

NATONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A GOVERNMENT OF INDIA UNDERTAKING)

REGIONAL OFFICE: SECUNDERABAD

(CIN NO: U 74899 DL 1963 GOI003913)



E-TENDER

Supply, Installation, Testing and Commissioning of 202 KVAR Capacity APFC Panel Board with other accessories inclusive of all allied necessary work at Area office, National Seeds Corporation Ltd, Madikonda, Warangal.

TENDER SHOULD BE SUBMITTED IN TWO BIDS SYSTEM ONLINE

Date & Time for submission of E-Tender : Up to 15:00 Hrs on 16.09.2026

Date & Time of opening of E-tender : Up to 15:30 Hrs on 16.09.2026

Contact Details:

Particulars		Telephone	E-mail
Regional Office -Secunderabad	Regional Manager	040-27731152	rm.secunderabad@indiaseeds.com
	JE (Civil.), Engg.	9579817983	Engg.nscsecunderabad@gmail.com
	Programmer, IT	9885750587	
Area Office- Warangal	Area Manager	9949996845	warangal@indiaseeds.com
Web Site		www.indiaseeds.com	

National Seeds Corporation limited

Regional Office: 17-11 Tukaram Gate North Lalaguda
Secunderabad-500017

INDEX

S. No.	Description	Page No.
1	Notice Inviting E-Tender (NIT)	3
2	Part A, Section-I	4
	Instructions to Tenderers -online mode	5-6
3	Section-II, General Rule & guidance for E-Tender	7-8
4	Section-III, General Terms & Condition of Contract	9-11
	Clause of Contract	12-23
	Safety Code	24-25
	Contractor Labour Regulations	26-29
	List of Acts and omissions	30
5	SECTION–IV, Specification & Conditions for Modification and dismantling work	31
	Additional specification for electrical work	32
	Recommended makes of electrical equipment's.	33
6	Section-V, Form of Technical Bid	34
7	Section-VI, Form of Agreement	35-37
	Affidavit	38
8	Part-B	39
	Section-VII, Form for Price Bid	40-41

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(A GOVT. OF INDIA UNDERTAKING)
REGIONAL OFFICE: Secunderabad -500017

No. Engg 1(04)/Elect. -WGL/NSC: HYD/2026-27

Date: 25.08.2026

NOTICE INVITING E-TENDER

National Seeds Corporation Ltd. (NSC), **Regional Office**, Secunderabad-500017 (Telangana) **invites online E- tenders** under two bid system from reputed Contractors registered with **Telangana State Electrical Departments** and having license for electrical work are invited for **Supply, Installation, Testing and Commissioning of 202 KVAR Capacity APFC Panel Board with other accessories inclusive of all allied necessary work requires Certificates/Permission from Electrical department** at Area office, National Seeds Corporation Ltd, Madikonda, Warangal. Details of work are as under:

S. No	Name of Work	Total value of work	EMD	Cost of Tender Documents	Period of Completion
1.	Supply, Installation, Testing and Commissioning of 202 KVAR Capacity APFC Panel Board with other accessories inclusive of all allied necessary work and Certificates/Permission/NOC if required from the electrical department.	Rs. 3,64,685.00/-	18500.00	1180/- inclusive of GST 18%	1 Month

Date & Time for submission of E-Tender : Up to 15:00 Hrs on 16.09.2026

Date & Time of opening of E-tender : Up to 15:30 Hrs on 16.09.2026

1. Tender document will be available on NSC E-Portal: <https://indiaseeds.eproc.in> up to 16.09.2026 till 15.00 hours for Participation.
2. Parties participating for Tender EMD amount should be submitted online along with cost of tender document.
3. **(Price bid)** will be opened on suitable date & time after Scrutiny of Technical Bids.
4. Tenderers should be submitted both Technical bid and Price bid strictly as per instructions to tenderers given in **Part-A** of the tender documents.
5. Tender not accompanied with requisite amount of EMD & Tender cost and not submitted as per instructions contained in the tender document are liable for rejection.
6. MSEs registered with NSIC for quoted item and having valid registration, such companies are exempted from payment of cost of tender document & EMD. MSEs are entitled to avail the benefit of purchase preference as per Public Procurement Policy for Micro and Small Enterprises (MSEs) 2012, subject to furnish declaration of Udyog Aadhar Memorandum (UAM) number on Central Public Procurement Portal (CPPP), failing which such bidders will not be able to enjoy the benefit as per PP policy for MSME's order 2012.
7. The successful bidders have to sign "An **Agreement on Rs. 100/- Non-Judicial Stamp Paper**" with NSC.
8. The Corporation reserves the right to accept or reject any/all tenders without assigning any reason whatsoever and decision of the Corporation shall be final and binding on tenderer.

Regional Manager

PART - A

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

SECTION - I

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

INSTRUCTIONSTOBIDDER–ONLINEMODE

1. Bidders/Vendors/Suppliers/Contractors must get themselves registered on the portal for participating in the e-tenders published on <https://indiaseeds.enivida.com> by paying the charges of Rs.2360/- (Inclusive taxes) per year.
2. Bidders must provide the details of PAN number registration details etc as applicable and submit the related documents. The user id will be activated only after submission of complete details. The activation process will take minimum 24 working hour's enividahelpdesk@gmail.com.
3. Bidders must have a valid email id and mobile number.
4. Bidders are required to obtain Class3 Digital Certificates (Signing &Encryption) as per their company details.
5. Once bidder DSC is mapped with the user id, the same DSC must not be used for another user id on the same portal. However, bidder can update the digital certificate to another user id after un-mapping it from the exiting user id.
6. Bidders now can login with the activated user id & DSC for online tender submission process in this portal.
7. Bidders can upload required documents for the tender well in advance under My Documents and these documents can be attached to the tender during tender participation as per the tender requirements. This will save the bid submission duration/time period and reduce upload time of bid documents.
8. Bidders must go through the downloaded tender documents and prepare and upload bid documents as per the requirements of the department.
9. Once the bidders have selected the tenders they are interested in, Bidders will pay the processing fee Rs 550/- per tender (NOT REFUNDABLE) by net-banking / Debit /Credit card then Bidder may download the Bid documents etc. Once Bidders will pay both fee tenders status will be shown "form received". This would enable the e-tender Portal to intimate the bidders through e-mail in case there is any corrigendum issued to the tender document.
10. Bidders are advised to read complete BoQ/SoQ/Price Bid/Financial Bid and Terms & Conditions before quoting rates in the bid document.
11. Any modification/replacement in BoQ/SoQ/Price Bid/Financial bid template is not allowed. Bidders must quote only in predefined fields in the bid sheet and save the bid sheet. After saving, the same bid sheet must be uploaded in the portal.
12. Bidders must pay required payments (Tender fee, EMD, Tender Processing Fee etc) as mentioned in the tender document, before submitting the bid.
13. Bidders are recommended to use PDF files for uploading the documents. Only price bid sheet will be in Excel format.
14. The bidders must ensure to get themselves registered on the portal at least 1

week before the tender submission date and get trained on the online tender submission process. For tender submission and registration process bidders are advised to refer respective manuals on website. Tender inviting Authority/Department will not be held responsible for any sort of delay or the difficulties faced during the submission of bid online by the bidders due to local issues like internet connectivity/PC speed/etc...

15. Offline Submission of bids/documents/rates by the bidders will not be accepted by the department, under any circumstance.
16. After final submission of the bid, a confirmation message and bid submission acknowledgement will be generated by the portal. The bid submission acknowledgement contains details of all documents submitted along with bid summary, token number, date & time of submission of the bid and other relevant details. Bidder can keep print of the bid submission acknowledgement.
17. If bidder is resubmitting the bid, bidder must confirm existence of all the required documents, financial bid and again submit the bid. Once submitted, the bid will be updated.
18. Submission of the bid means that the bid is saved online; but system does not confirm correctness of the bid. Correctness of the bid will be decided by tender inviting authority only.
19. The time displayed in the server is IST (GMT 5:30) and same will be considered for all the tendering activities. Bidders must consider the server time for submission of bids.
20. Bid documents being entered by the Bidders/Vendors/Contractors will be encrypted at the client end and the software uses PKI encryption technique to ensure security/secretcy of the data. The submitted bid documents/data become readable only after tender opening by the authorized individual.

Technical Support-Phone: 9355030617, 8448288980

Tel: 011-49606060

Email ID- enividahelpdesk@gmail.com,

SECTION - II

INSTRUCTION TO TENDERERS

GENERAL RULES AND GUIDANCE FOR INVITING E-TENDER

1. The e-tenders are being invited by **Regional Manager, National Seeds Corporation, NSC, Secunderabad.**
2. The contractor should read the specifications carefully before submitting e-tender.
3. The earnest money as per Notice should accompany the e-tender in the shape of online payment only. Contractors/firm who are registered with **MSME with NSIC** are exempted for submitting the tender fees as well as EMD.
4. The tenderer will be required to attach Income Tax Return for the last 2 year and Registration No. of GST, ESI and PF while applying for e-tender through online.
5. **PROCEDURE FOR SUBMISSION OF TENDER:** -The tenderer shall submit the bid online only before the due date and time of submission.
6. GST or any other tax applicable in respect of this contract shall be payable by the contractor.
7. The rates quoted by the contractor are in ___ % above or ___ % below against the estimated cost referred in Schedule of the tender will be taken as correct and not the amounts worked out by them.
8. The contractor should quote the rates in figures as well as in words and amount tendered by him. The amount for each item should be worked out and the requisite the total given. Rates should be written in words closely followed by figures and it should not be written in the next line.
9. **Time allowed for carrying out the work will be one month.**
10. Tender should remain open for acceptance for a period of 90 days from the date of receipt of tender. If any tenderer withdraws his tender before the said period or makes any modification in the terms and conditions of the tender which are not acceptable to the department, then the corporation shall, without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the earnest money as aforesaid.
11. Tenders who do not fulfill all or any of the above conditions or incomplete tenders in any respect are liable to be summarily rejected.
12. The e-tenders submitted with any additional conditions are liable to summarily rejection.
13. Mobilization advance shall not be applicable.
14. In the case of any tender where unit rate of any item /items appear unrealistic and imbalance and in case the tenderer is unable to provide satisfactory explanation, such a tender will be liable for rejection.
15. **The contractor should visit the site and shall satisfy himself to the conditions,** the accessibility of site, the full extent and character of operation, the nature of the ground and supply conditions affecting lay out execution of the contract generally. No claim on the ground for want of knowledge in such respect will be entertained.
16. Change in the terms and condition or the specifications, or schedule of completion shall not be accepted such conditional tenders shall be liable for rejection.
17. The rates shall be inclusive Up to all materials, labors, tools, equipment's, taxes, services, licensees & plants and taxes etc. as per site condition.
18. The site shown in the layout plan shall be cleared of all obstructions, loose stone, materials, rubbish of all kind. All holes of hollows whether originally existing or produced during clearance shall be carefully filled with earth, well rammed, leveled off, as directed.
19. The security deposit shall be deductible @ 5 % from the bills and will remains as such for a period of defect liability (i.e One Year or 12 month) from the date of completion of work.
20. Defects arising during the defect liability guarantee period if any shall be rectified by the party free of cost with

in fortnight as and when brought to the notice in writing or telephonically.

21. The contractor's responsibility for this contract shall commence from the date of issue of order of acceptance of tender.
22. The contractor shall maintain and produces all records when called for, related to relevant Acts concerning labour engaged and construction.
23. The Corporation shall have the right of rejecting all or any of the tender without assigning any reason whatsoever and will not be bound to accept the lowest tender or any of the tender.

SECTION –III

GENERAL TERMS & CONDITIONS OF THE CONTRACT

DEFINITIONS: -

1. The contract means the documents forming the tender and acceptance thereof and the formal agreement executed between the competent authority on behalf of the National Seeds Corporation Ltd, and the Contractor, together with the documents referred to therein including these conditions, the specifications, designs, drawings and instructions issued from time to time by the Engineer and all these documents taken together, shall be deemed to form the contract and shall be complementary to one another.

‘Employer’ means National Seeds Corporation Limited acting through its Chairman cum Managing Director including his authorized representative(s) who will employ the contractor and legal successor(s) in title and permitted assigns.

1. In the contract, the following expressions shall, unless the context otherwise requires, have the meanings, hereby respectively assignees to them: -

- a) The expression ‘works’ or ‘work’ shall, unless there be something either in the subject or context repugnant to such construction, be construed and taken to mean the works by or by virtue of the contract contracted to be executed whether temporary or permanent and whether original, altered, substituted or additional.
- b) The ‘Site’ shall mean the land and/or other places on, into or through which work to be executed under the contract or any adjacent land, path or street through which work is to be executed under the contract or any adjacent land, path or street which may allotted or used for the purpose of carrying out the contract.
- c) The ‘Contractor’ shall mean the individual or firm or company whether incorporated or not, undertaking the works and shall include the legal personal representative or such individual or the person composing such firm or company, or the successors of such firm or company and the permitted assignees or such individual, firm or company.

The Corporation or NSC means the National Seeds Corporation Ltd.

- d) The ‘Engineer’ means the Engineer and includes the project Manager/ In charge who shall service and be in charge of the work or any other designation authorized by the Employer for the purpose of operating the contract.
- e) Where the context requires, words imparting the singular only also include the plural number and vice-versa.
- f) **‘Specification’** means the specification referred to in the tender and any modification there of or addition there to as may from time to time be furnished approved in writing by Engineer.
- g) ‘District specification’ means the specifications followed by the State Govt. in the area where the work is to be executed.
- h) ‘Approved’ means approved in writings and ‘approval’ means approval in writing.
- i) Tendered value means the value of the entire work as stipulated in the letter of award.
- j) Market rate shall be the rate as decided by the Engineer on the basis of the cost of the materials and labor at the site where is the work is to be executed plus the percentage mentioned in the schedule “F” to cover all over heads and profits.

- 2. The work to be carried out under the Contract shall, except as otherwise provided in these conditions, include all labor, material, tool, plants, equipment and transport which may be required in preparation of and for and in the full and entire execution and completion of the works. The descriptions given in the Schedule of Quantities (Schedule-A) shall, unless otherwise stated, be held to include wastage on materials, carriage and cartage, carrying and return of empties, hoisting, setting, fitting and fixing in position and all other labors necessary in and for the full and entire execution and completion of the work as aforesaid in accordance with good practice and recognized principles.
- 3. The Contractor shall be deemed to have satisfied himself before tendering as to the correctness and sufficiency of his tender for the works and of the rates and prices quoted in the schedule of quantities, which rates and prices shall, except as otherwise provided, over all his obligations under the Contract and all matters and

things necessary for the proper completion and maintenance of the works.

DESCRIPENCIES AND ADJUSTMENT OF ERRORS:

4. The several documents forming the contract are to be taken as mutually explanatory of one another, detailed drawings being followed in preference to small scale drawing and figure dimensions in preference to scale and the special conditions in preference to general conditions.
 - (i) In case of discrepancy between the schedule of Quantities, the Specifications and/or the Drawings, the following order of preference shall be observed: -
 - a) Description of Schedule of Quantities.
 - b) Particular Specification and Special Condition as per manufacturer.
 - c) Drawings
 - d) C.P.W.D. specifications
 - e) Indian standard specification of B.I.S.
 - f) If there are varying or conflicting provisions made in any one document forming part of the contract, the Acceptance Authority shall be the deciding authority with regard to the intention of the document and his decision shall be final and binding on the contractor.
 - g) Any error in description, quantity or rate in Schedule of Quantities or any omission there from shall not vitiate the Contract or release the Contractor from the execution of the whole or any part of the works comprised therein according to drawings and specifications or from any of his obligations under the contract.

SIGNING OF CONTRACT

5. The successful contractor, on acceptance of office tender by the accepting Authority shall, within 7 days from the stipulated date of start of the work sign the contract consisting of:
 - (I) The notice inviting tender, all the documents including drawings, if any forming the tender as issued at the time of invitation of tender and acceptance thereof together with any correspondence leading there to.
 - (II) Various standard clause with corrections Up to the date stipulated in schedule "F" along with annexure there to.
 - (a) Model rules for the protection for the health, sanitary arrangements for workers employed by NSC or its contractors.
 - (b) Contractor's labor regulations.
 - (c) List of act and omissions for which fines can be imposed.

DISQUALIFICATION CONDITION

1. Tenderers who have been blacklisted or otherwise debarred by NSCL or any department of Central or State Government or any other Public Sector Undertaking will be ineligible during the period of such debarring/blacklisting.
2. Any Tenderer whose contract with National Seeds Corporation limited, or any department of Central or State Government or any other Public Sector Undertaking has been terminated before the expiry of the contract period at any point of time during two years, will be ineligible.
3. Tenderer who's EMD or PS/SD has been forfeited by National Seeds Corporation limited, or any department of Central or State Government or any other Public Sector Undertaking during last two years, will be ineligible.
4. If the proprietor/any of the partners of the Tenderer firm/any of the Director of the tenderer company have been, at any time, convicted by a court of an offence and sentenced to imprisonment for a period of three years or more, such Tenderer will be ineligible.
5. While considering ineligibility arising out of any of the above clauses, incurring of any such disqualification in any capacity whatsoever (even as a proprietor, partner firm, or as director of a company etc.) will render the tenderer disqualified.

ITEM RATE TENDER

I/We hereby tender for the execution of the work for National Seeds Corporation, (A Govt. of India Undertaking) Secunderabad specified in the underwritten memorandum within the time specified in such memorandum at the rates specified therein, and in accordance in all respect with the specifications, designs, drawings and instructions in written referred to rule of General Rule and Guidance and with such materials as are provided for by and in all respect in accordance with such conditions so far as applicable.

Memorandum

a) General description	—————→	AS PER NOTICE
b) Estimated cost		
c) Earnest money		
e) Security deposit		

I/We have read and examined the Notice schedules, specifications applicable, general rules and directions, conditions, schedule of rates and other documents and rules referred to in the tender document for the work.

The validity of the tender is for 90 days from the date of opening of tender.

The security deposit will be collected through deductions from the bills @ 5 % of work done till the sum along with earnest money deposited amount to 5 % of value of contract and that will be treated as security deposit.

The tender be accepted in whole or in part, I/We hereby agree (1) to abide by and fulfill all the terms & provisions of the said conditions annexed here to and all the terms and provision contained in the notice inviting tender so far as applicable, and or in default thereof to forfeit and pay to the Corporation or their successors, the sum of money mentioned in the said conditions.

I/We agree that the said Corporation or their successor in office shall without prejudice to any other right or remedy, be at liberty to forfeit the said Performance Guarantee, otherwise said Performance Guarantee shall be retained for performance of contract onward for a period Up to two months from the date of completion of work. Earnest money shall be retained by them towards security deposit mentioned against clause (e).

(ii) to execute all the works referred to in the tender documents on the terms & conditions contained or referred to therein, and to carry out such deviations as may be ordered, Up to a maximum of 100 % at the rates quoted in the tender documents and those in excess of that limit at the rates to be determined in accordance with the provisions mutually agreed.

Dated.....

Signature of Contractor

CLAUSES OF CONTRACT

CLAUSE- 1 PERFORMANCE GUARANTEE

1. The contractor shall submit an irrevocable Performance Guarantee of 5 % (five percent) of the accepted amount in addition to other deposit mentioned elsewhere in the contract, for his proper performance of the contract agreement, (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract) with in period specified in schedule "F" from the date of issue of letter of acceptance. This period can be further extended by the Engineer Up to maximum period as specified in schedule "F" on written request of the contractor stating the reason for delays in procuring the Performance Guarantee, to the satisfaction of the Engineer. This guarantee shall be in the form of Cash (in case guarantee amount is less than Rs. 10,000/- or deposited by Demand Draft/ pay order of any schedule bank (in case guarantee amount is less than 1,00,000/-only).

- a. This guarantee bond shall be in the form of Demand Draft or by means of Bank Guarantee as per proforma attached of the tender document. The Bank Guarantee shall be issued by and Schedule Bank in favour of National Seeds Corporation. The Bank Guarantee should be accompanied by a forwarding letter of the banker on their letterhead
 - b. The performance guarantee shall be initially valid Up to the stipulated date of completion plus 60 days beyond that. In case the time for completion of work gets enlarged, the contractor shall get the validity of performance guarantee extended to cover such enlarged time for completion of work. After recording of the completion of certificate for the work by the competent authority, the performance guarantee shall be returned to the contractor, without any interest.
 - c. The Engineer shall not make a claim under the performance guarantee except for amounts to which the Corporation is entitled under the contract (not withstanding and/or without prejudice to any other provisions in the contract agreement) in the event of:
 - a. Failure by the contractor to extend the validity of the Performance Guarantee as described herein above, in which event the Engineer may claim the full amount of the performance guarantee.
 - b. Failure by the contractor to pay NSC any amount due, either as agreed by the contractor or determined under any of the Clauses/conditions of the agreement, within 30 days of the service of the notice to this effect by Engineer.
2. In the event of the contract being determined or rescinded under provision of any of the clause/condition of the agreement, the performance guarantee shall stand forfeited in full and shall be absolutely at the disposal of the Chairman-cum-Managing Director.

CLAUSE 1-A RECOVERY OF SECURITY DEPOSIT

The person/persons whose tender(s) may be accepted (hereinafter called 'the Contractor') shall permit National Seeds Corporation (hereinafter called the employer) at the time of making any payment to him for work done under the contract to deduct at the rate of 5 % of the gross amount of each running bill till the sum along with the sum already deposited as earnest money, will amount to security deposit of 5 % of the tendered value of the work subject to maximum of Rs. 5,00,000/- (Rupees five lakhs only).

All compensations or the other sums of money payable by the contractor under the terms of this contract may be deducted from, or paid by the sale of a sufficient part of his security deposit or from the interest arising there from or from any sums which may be due or may become due to the contractor or any account whatsoever and in the event of his security deposit being reduced by reason of any such deductions or sale as aforesaid, the contractor shall within 10 days make good in cash or any part thereof the security deposit shall be collected from running bills of the contractor at the rates mentioned above and the Earnest money if deposited in cash at the time of tenders will be treated as part of the Security deposit.

Note – 1

Govt. papers tendered as security will be taken @ 5% (five percent) below its market price or at its face value, whichever is less. The market price of Govt. papers would be ascertained by the Engineer at the time of

collection of interest and the amount of interest to the extent of deficiency in value of the Govt. paper, will be withheld, if necessary.

Note No.2

Govt. securities will include all form of securities mentioned in Rule No.274 of the G.F. Rules except fidelity bond. This will be subject to the observance of the condition mentioned under the rule against each form of security.

CLAUSE 2 LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY

If the contractor fails to comply with the time for completion in accordance with clause 5 or required progress for the whole of the work or if applicable any section within the relevant time prescribed and clear the site, in case of delay in completion of civil contracts, LD shall be levied from the contractor at the rate of **0.5%** (half percent) of the contract price per week of delay, subject to a maximum of 10% (ten percent) of the contract price. The payment of deduction of such damages shall not relieve the contractor from his obligation to complete the works, or from any other of his obligations and liabilities under the contract.

CLAUSE 3.1 SUSPENSION OF WORK

The contractor shall, on the instructions of the engineer suspend the progress of the works or any part thereof for such time and in such manner as the Engineer may consider necessary and shall during such suspension, properly protect and secure the works or such part thereof so far as is necessary in the opinion of the Engineer unless such suspension is;

- a) Otherwise provided for in the contract, or
- b) Necessary by reason of some default or of breach of contract by the contractor of which he is responsible, or
Necessary by reason of climatic conditions on the site, or
- c) Necessary for the proper execution of the works or for the safety of the works or any part thereof (save to the extent that such necessity arises from any act or default by the Engineer or the Employer or from any of the risks defined in the sub clause 3.1) Sub clause-3.2 shall apply.

3.2 DETERMINATION FOLLOWING SUSPENSION

Where pursuant to sub clause 3.1 the sub clause applies, the Engineer shall, after consultation with the Employer determine;

- a) Any extension of time to which the contractor is entitled under clause 5, and
- b) The amount which shall be added to the contract price, in respect of the cost incurred by the contractor by reason of such suspension and shall notify the contractor with a copy to the Employer.

CLAUSE:- 4 CONTRACTOR LIABLE TO PAY DAMAGES EVEN IF ACTION NOT TAKEN UNDER CLAUSE-3

In any case in which any of the powers conferred on the Engineer by the clause 3 thereof shall have become exercisable and the same shall not be exercised, the non-exercise thereof shall not constitute a waiver of any of the conditions hereof and such powers shall notwithstanding be exercisable in the event of any future case of default by the contractor and the liability of the contractor for damages shall remain unaffected. In the event of the Engineer putting in force all or any of the powers vested in him under the preceding clause, he may if he so desired after giving a notice in writing to the contractor take possession of (or at the sole discretion of the Engineer which shall be final and binding on the contractor) use on as hire (the amount of the hire money being also in the final determination of the Engineer) all or any tools, plant material and stores in or on the works, or the site thereof, belonging to the contractor or procured by the contractor and intended to be used for execution of the work or any part thereof, paying or allowing for the same in account at the contract rates or in the case of these not being applicable, at current market rate to be certified by the Engineer whose certificate

thereof shall be final and binding on the contractor otherwise the Engineer by notice in writing may order the contractor, foreman or other authorized agent to remove such tools, plant materials or stores from the premises (within the time specified in the notice) and in event the contractor failing to comply with any such requisition, the Engineer may remove them at the contractor's expense or sell them by auction or private sale on account of the contractor and his risk in all respects and the certificate of the Engineer as to the expense of any such removal and amount of the proceed and expense of any such sale shall be final and conclusive against the contractor.

CLAUSE: 5 EXTENSION OF TIME FOR COMPLETION

1. In the event of:

- a) The amount or nature of extra or additional work or
- b) Exceptionally adverse climatic conditions, or
- c) Any delay, impediment or prevention by the Employer, or
- d) other special circumstances which may occur, other than through a default or breach of contract by the Contractor or for which he is responsible being such as fairly to entitle the Contractor to an extension of the Time for Completion of the works, or any section or part thereof, the Engineer shall determine the amount of such extension and shall notify the Contractor accordingly, with a copy to the Employer.

2. Contractor to provide notification and detailed particulars.

Provided that the Engineer is not bound to make any determination unless the Contractor has

- a) within 28 days after such even has first arisen notified the Engineer with a copy to the Employer, and
- b) within 28 days, or such other reasonable time as may be agreed by the Engineer, after such notification submitted to the Engineer detailed particulars of any extension of time to which he may consider himself entitled in order that such submission may be investigated at the time.

CLAUSE: 6 MEASUREMENTS OF WORK DONE

The quantities set out in the Bill of Quantities are the estimated quantities for the works, and they are not to be taken as the actual and correct quantities of the works to be executed by the Contractor in fulfillment of his obligation under the Contract.

The Engineer shall, except as otherwise stated ascertain and determine, by measurement the value of the works in accordance with Clause. The Engineer shall, when he requires any part of the works to be measured, give reasonable notice to the Contractor's authorized agent, who shall:

- a) forthwith attend or send a qualified representative to assist the Engineer in making such measurement and
- b) supply all particulars required by the Engineer. Should the Contractor not attend, or neglect or omit to send such representative, then the measurement made by the Engineer or approved by him shall be taken to be the correct measurement of such part of the works. For the purpose of measuring such permanent works as are to be measured by records and drawings, the Engineer shall prepare records and drawings as the work proceeds and the Contractor, as and when called on to do so in writing, shall, within 14 days, attend to examine and agree such records and drawing with the Engineer and shall sign the same when so agreed. If the contractor does not attend to examine and agree such records and drawing, they shall be taken to be correct. If, after examination of such records and drawing, the contractor does not agree the same or does not sign the same as agreed, they shall nevertheless be taken to be correct, unless the Contractor within 14 days of such examination, lodges with the Engineer notice of the respect in which such records and drawing are claimed by him to be incorrect. On receipt of such notice, the Engineer shall review the records and drawings and either confirm or vary them. The works shall be measured net, notwithstanding any general or local custom, except where otherwise provided for the Contract.

CLAUSE: 7.1 COMPLETION CERTIFICATE AND COMPLETION PLAN

Within ten days of the completion of the work, the contractor shall give notice of such completion to the

Engineer and within thirty days of the receipt of such notice the Engineer shall inspect the work and if there is no defect in the work shall furnish the contractor with a certificate of physical completion otherwise a provisional certificate of completion indicating defects (a) to be rectified by the contractor and/or (b) for which payment will be made at reduced rates, shall be issued but no certificate of completion, provisional or otherwise shall be issued, nor shall the work be considered to be complete until the contractor shall have removed from the premises on which the work shall be executed all scaffolding, surplus materials, rubbish and all huts and sanitary arrangement required for his/their work people on the site in connection with the execution of the work as shall have been erected or constructed by the contractor(s) and cleaned of the dirt from all wood work, doors, windows, walls, floors or other part of any building, in on or about which the work is to be executed or of he may have had possession for the purpose of the execution thereof and not until the work shall have been measured by the Engineer/. If the contractor shall fail to comply with the requirements of this clause as to removal of scaffolding, surplus materials, rubbish, all huts and sanitary arrangements as aforesaid and cleaning off dirt on or before the date fixed for the completion of work the Engineer may at the expense of the contractor remove such scaffolding, surplus materials and rubbish etc. and dispose off the same as he thinks fit and clean of such dirt as aforesaid, and the contractor shall have no claim in respect of any such scaffolding or surplus materials as aforesaid except for any sum actually realized by the sale thereof.

7.2 CONTRACTOR TO KEEP SITE CLEAN

The splashes and droppings from white washing, color washing, painting etc. on walls, floors, doors, windows, etc. shall be removed and the surface cleaned simultaneously with the completion of these items of work in the individual rooms, quarters or premises etc. where the work is done without waiting for the actual completion of all the other items of work in the contract. In case the contractor fails to comply with the requirements of this clause, Engineer shall have the right to get this work done at the cost of the contractor either departmentally or through another agency. Before taking such action, the Engineer shall give two days' notice in writing to the contractor.

7.3 COMPLETION PLANS TO BE SUBMITTED BY CONTRACTOR

The contractor on completion of the work shall submit to the employer's three bound sets of all "As constructed" drawing for every component of the work at his own cost and plan as required vide General specifications for Electrical Works (Part-I Internal) 1972 & (Part-II External) 1974 as applicable within thirty days of the completion of the work.

In case, the contractor fails to submit the completion plan as aforesaid he shall be liable to pay a sum equivalent to 2.5% of the value of the work subject to a ceiling of Rs. 15,000/- (Rupees fifteen thousand only) as may be fixed by the Engineer shall be final and binding on the contractor

CLAUSE: 8 PAYMENT OF BILLS

8.1 RUNNING BILLS

No Running will be applicable.

8.2 FINAL BILL

The final bill shall be submitted by the contractor in the same manner as specified in running bills within 15 days from the date of the final certificate of completion furnished by the Engineer. No further claims shall be made by the contractor after submission of the final bill and these shall be deemed to have been waived and extinguished. Payments off those items of the bill in respect of which there is no dispute and of items in dispute, for quantities and rates as approved by Engineer, will, as far as possible be made within the period specified herein under, the period being reckoned from the date of receipt of the bill by the Engineer or his authorized Officer, complete with account of materials, issued by the Corporation and dismantled materials.

CLAUSE:9 DISMANTLED MATERIAL EMPLOYER'S PROPERTY

The contractor shall treat all materials obtained during dismantling of a structure, excavation of the site for a work etc. as Employer's property and such materials shall be disposed off to the best advantage of the Employer.

CLAUSE: 10 WORK TO BE EXECUTED ACCORDING TO SPECIFICATION ORDERS ETC.

The contractor shall execute the whole and every part of the work in the most substantial and workman like manner and both as regard materials and otherwise in every respect in strict accordance with the specifications. The contractor shall also confirm exactly fully and faithfully to the designs, drawings and instructions in writing in respect of the work signed by the Engineer and the contractor shall be furnished free of charge one copy of the such specifications, and of all such designs, drawings and instruction as are not included in the standard specification.

The contractor shall comply with the provisions of the contract and with the care and diligence execute and maintain the works and provide all labour and materials, tools and plants including for measurements and servision of all works, structural plans and other thinks of temporary or permanent nature required for such execution and maintenance in so far as the necessity for providing these, is specified or is reasonably responsibility for adequacy, suitability and safety of all the works and methods of construction.

CLAUSE: 11 VALUATION OF DEVIATIONS/VARIATIONS

The Engineer shall have power (1) to make any alternations in omissions from, additions to or substitutions for the original specifications, drawings, designs and instructions, that may appear to him to be necessary during the progress of the work, and (2) to omit a part of the work in case of non-availability of a portion of the site or for any other reasons and the contractor shall be bound to carry out the work in accordance with any instructions given to him in writing by the Engineer and such alterations omission, additions or substitutions shall form part of the contract as if originally provided therein and any altered, additional or substituted work which the contractor may be directed to do in the manner above specified as part of the work, shall be carried out the contractor on the same conditions in all respect including price on which he agreed to do the main work. The time for the completion of the work shall in the proportion that the altered, additional or substituted work bears to the original contract work on the request of the contractor and the decision of the Engineer shall be conclusive.

11.1 The rate for additional altered or substituted work referred to in clauses shall be worked out in accordance with the following provisions in their respective order: -

- I) If the rates for the additional, altered or substituted item of work is specified in the contract for the work, the contractor is bound to carry out additional, altered or substituted work at same rate as are specified in the contract for the work.
- II) If the rates for the additional or substituted work includes any work for which no rate is specified in the contract for work and cannot be derived from similar class of work in the contract, then such work shall be carried out as the rates appearing in CPWD Schedule of Rates 2025 for location of work or state PWD rates whichever is less in order of preference with correction slips min us/plus percentage which the total tendered amount compares to the estimated cost of the entire work put to tender.
- III) If the rates for the altered, additional or substituted work cannot be determined in the manner specified in sub clause (i) to (iii) above, then the rates for such part/parts will be determined by the Engineer on the basis of the prevailing market rates when the work was done.

11.2 The Contractor shall send to the Engineer once every three months an Up to date account giving complete details of all claims for additional payments to which the contractor may consider himself entitled and of all additional work ordered by the Engineer which he has executed during the preceding quarter failing which the contractor shall be deemed to have waived his right. However, the Employer may authorize consideration of such claims on merits.

11.3 Any operation incidental to or necessarily has to be in contemplation of tendered while filing tender, or necessary for proper execution of the item included in the Schedule of quantities or in the

schedule of rates mentioned above, whether or not, specifically indicated in the description of the item and the relevant specifications, shall be deemed to be included in the rates quoted by the tenderer or the rate given in the said schedule of rates, as the case may be. Nothing extra shall be admissible for such operations.

CLAUSE: 12 FOR CLOSURE OF CONTRACT DUE TO ABANDONMENT OR REDUCTION IN SCOPE OF WORK

If at any time after the commencement of the work the Employer shall for any reasons decide to abandon or reduce the scope of the works and hence not required, the whole or part of works to be carried out the Engineer shall give notice in writing to that effect to the contractor and the contractor shall act accordingly in the matter. The contractor shall have no claim to any payment of compensation whatsoever on account of any profit or advantage which he might have derived from the execution of the work in full but which he did not derive in consequence of the foreclosure of whole or part of the work.

The contractor shall be paid at contract rates full amount for the works executed at site and in addition, a reasonable amount on account of the items as mentioned here under,

i) the contractor shall be paid the charges on the cartage only of materials actually and bona fide brought to the site of the work by the contractor and rendered surplus as a result of the abandonment curtailment of the work or any portion thereof and then taken back by the contractor, provided however, that the Engineer shall have in all such cases the option of taking over all or any such materials at their purchase price or at local current rates whichever may be less.

"In the case of such stores having been issued by the Employer and returned by the contractor to the Employer, credit shall be given to him by the Engineer at rates not exceeding those at which they were originally issued to him after taking into consideration and deduction for claims on account of any deterioration or damage while in the custody of the contractor and in this respect the decision of the Engineer shall be final and binding.

CLAUSE: 13.1 CANCELLATION OF CONTRACT IN FULL OR PART

If contractor:

- i) at any time makes default in proceeding with the work or any part of the work with the due diligence and continuous to do so after a notice in writing of 7 days from the Engineer.
- ii) commits default to complying with any of the terms & conditions of the contract and does not remedy, it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer.
- iii) fails to complete the works or items of work with individual dates of completion, on or before the date(s) of completion, and does not complete them within the period specified in a notice given in writing in that behalf by the Engineer, or
- iv) shall enter into a contract with NSC in connecting with which commission has been paid or agreed to be paid by him or to his knowledge, unless the particulars of any such commission and the terms of payment thereof have been previously disclosed in writing to the Accepting Authority/Engineer, or
- v) shall obtain a contract with NSC as a result of wrong tendering or other non - bonafide methods of competitive tendering; or
- vi) being an individual, or if a firm, any partner thereof shall at any time be adjudged insolvent or have a receiving order or order for administration of his estate made against him or shall take any proceedings for liquidation or composition (other than a voluntary liquidation for the purpose of amalgamation or reconstruction) under any Insolvency Act for the time being in force or make any conveyance or assignment of his effects or composition or arrangement for the benefit of his creditors or purport so to do, or if any application be made under any Insolvency Act for the time being in force for the sequestration of his estate or if a trust deed be executed by him for benefit of his creditors.

On cancellation of the contract in full or in part, the Engineer shall determine what amount, if any, is

recoverable from the contractor for completion of the works or part of the works or in case the works or part of the works is not to be completed, the loss or damage suffered by Employer.

Any excess expenditure incurred to be incurred by Employer in completing the works or part of the works or the excess loss or damages suffered or may be suffered by Employer as aforesaid after allowing such credit shall without prejudice to any other right or remedy available to Employer in law be recovered from any moneys due to the contractor on any account, and if such moneys are not sufficient the contractor shall be called on in writing and shall be liable to pay the same within 30 days.

If the contractor shall fail to pay the required sum within the aforesaid period of 30 days, the Engineer shall have the right to sell any or all of the contractors unused materials, constructional plant, implements, temporary buildings etc.

13.2 WHEN CONTRACT CAN BE TERMINATED

Subject to other provisions contained in this clause the Engineer may, without prejudice to his any other rights or remedy against the contractor in respect of any delay, inferior workmanship, any claims for damages and/or any other provisions of this contract or otherwise, and whether the date of completion has or has not elapsed, by notice in writing absolutely terminate the contract in any of the following cases.

- i) If the contractor having been given by the Engineer a notice in writing to rectify, reconstruct or replace any defective work or that the work is being performed in an inefficient or otherwise improper or unworkman like manner shall omit to comply with the requirement of such notice for a period of seven days thereafter.
- ii) If the contractor has, without reasonable cause, suspended the progress of the work or has failed to proceed with the work with due diligence so that in the opinion of the Engineer (which shall be final and binding) he will be unable to secure completion of the work by the date for completion and continues to do so after a notice in writing of seven days from the Engineer.
- iii) If the contractor persistently neglects to carry out his obligations under the contract and/or commits default in complying with any of the terms in conditions of the contract and does not remedy it or take effective steps to remedy it within 7 days after a notice in writing is given to him in that behalf by the Engineer.
- iv) If the contractor commits any acts mentioned in Clause 21 hereof, when the contractor has made himself liable for action under any of the cases aforesaid the engineer on behalf of employer shall have powers.
- v) To determine or rescind the contract as aforesaid (of which termination or rescission notice in writing to the contractor under the hand of the Engineer shall be conclusive evidence) on such determination or rescission the full security deposit recoverable under the contract shall be liable to be forfeited and shall be absolutely at the disposal of the NSC if any portion of the Security Deposit has not been paid or received it would be called for an forfeited.
- vi) After giving notice to the contractor to measure the work of the contractor and to take such whole, or the balance or part thereof as shall be un-executed of his hands and to give it to another contractor to complete in which case any expenses which may be incurred in excess of the sum which would have been paid to the original contractor if the whole work has been executed by him (of the amount of which excess the certificate in writing of the Engineer shall be final and conclusive) shall be borne and paid by the original contractor and may be deducted from any money due to him by NSC under his contract or on any other account whatsoever or from his security deposit or the proceeds of sales thereof or a sufficient part thereof as the case may be. If the expenses incurred by the Department are less than the amount payable to the contractor at his agreement rate, the difference shall not be paid to the contractor.

CLAUSE: 14 MEASUREMENTS OF WORK BEYOND REACH

If the contractor shall give, not less than seven days' notice in writing to the Engineer or his representative, before covering or otherwise placing beyond the reach of measurements, any work in order that the same may be measured and correct dimensions thereof be taken before the same is so covered or placed beyond the reach of measurement and shall not cover any work without the consent in writing of the Engineer or his Representative

shall within the aforesaid period of seven days inspect the work, and if any work shall be covered or placed beyond the reach of measurement without such notice having been given or the Engineer consent being obtained the same shall be uncovered at the contractors expense, or in default thereof no payment or allowance shall be made for such work or the materials with which the same was executed.

CLAUSE: 15 ACTION IN CASE WORK NOT DONE AS PER SPECIFICATION

All work under or in course of execution or executed in pursuance of the contract shall at all times be open to the inspection and supervision of the Engineer and his authorized representative and other senior officers related to Quality Control and of Chief Technical Examiner's office and the contractor shall at all times during the usual working hours and at all other times at which reasonable notice of the visit of such officers have been given to the contractor, either himself be present to receive orders and instructions, or have a responsible agent duly accredited in writing, present for that purpose. Orders given to the contractor's agent shall be considered to have the same force as if they had been given to the contractor himself.

If it shall appear to the Engineer or his authorized representative at work or to the Chief Technical Examiner or his subordinate Officers, that any work has been executed with unsound, imperfect, or unskillful workmanship, or with materials or articles provided by him for the execution of the work which are unsound or of a quality inferior to that contracted or otherwise not in accordance with the contract the contractor shall, on demand in writing which shall be made within six months of the completion of the work from the Engineer specifying the work, materials or articles complained of notwithstanding that the same may have been passed, certified and paid for forthwith rectify, or remove and reconstruct the work so specified in whole or in part, as the case may require or as the case may be, remove the materials or articles so specified and provide other proper and suitable materials or articles at his own charges and cost. In the event of the failing to do so within a period specified by the Engineer in his demand aforesaid, then the contractor shall be liable to pay compensation at the same rate as under Clause 2 of the contract (for non-completion of the work in time) for this default.

In such case the Engineer may not accept the item of work at the rates applicable the item of work at the rates applicable under the contract but may accept such items at reduced rates as the competent authority may consider reasonable during the preparation of on account bills or final bill if the item is so acceptable without detriment to the safety and utility of the item and the structure or he may reject the work outright without any payment and/or get it and other connected and incidental items rectified, or removed and re-executed at the risk and cost of the contractor. Decision of the Engineer to be conveyed in writing in respect of the same will be final and binding on the contractor.

CLAUSE: 16 CONTRACTOR LIABLE FOR DAMAGES, DEFECTS DURING MAIN TENANCE PERIOD

If the contractor or his working people or servants shall break, deface, injure or destroy and part of building, in which they may be working, or any building, main or ancillary or other installation fixture etc. or any part of it is being executed or if any damage shall happen to the work while in progress, from any cause whatsoever or if any defect, shrinkage or other faults appear in the work within twelve months after a certificate final or otherwise of its completion shall have been given by the Engineer as aforesaid arising out of defective or improper materials or workmanship, the contractor shall on a receipt of a notice in writing on that behalf make the same good at his own expense, or in default the Engineer may cause the same to be made good by other workman and deduct the expense from any sums that may be due or at any time thereafter may become due to the contractor or from his security deposit, or the proceeds of sale thereof or of a sufficient portion thereof from the security deposit of the contractor.

CLAUSE: 17 CONTRACTOR TO SUPPLY TOOLS & PLANTS ETC.

The contractor shall provide at his own cost all materials (except such special materials if any, as may in accordance with the contract be supplied by Employer plant tools, appliances, implements, ladders, cordage, tackle, scaffolding and temporary works required for the proper execution of the work. Whether original,

altered or substituted and whether included in the specification or other documents forming part of the contract or referred to in these conditions or not, or which may be necessary for the purpose of satisfying or complying with the requirements of Engineer as to any matter as to which under these conditions he is entitled to be satisfied, or which he is entitled to require together with carriage therefore to and from the work. The contractor, shall also sply without charge the requisite number of persons with the means and materials, necessary for the purpose of setting out works, and counting, weighing and assisting in the measurement for examination at any time and from time to time of the work or materials. Failing his so doing the same may be provided by the Engineer at the expense of the contractor and the expense may be deducted, from any money due to the contractor, under the contract and/or from his security deposit thereof.

CLAUSE: 18.1 RECOVERY OF COMPENSATION PAID TO WORKMAN

In every case in which by virtue of the provisions of sub-section (i)_ of section 12 of the Workmen's Compensation Act, 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor the amount of the compensation so paid; and without prejudice to the rights of the Employer under Section 12, sub-section (ii) of the said Act. Employer shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or

from any sum due by Employer to the contractor whether under this contract or otherwise. Employer shall not be bound to contest any claim made against it under Section 12, sub-section (i) of the Said Act, except on the written request of the contractor and on his giving to Employer full security for all costs for which Employer might become liable in consequence such claim.

CLAUSE: 18.2 ENSURING PAYMENT AND AMENITIES TO WORKERS IF CONTRACTOR FAILS

In every case in which by virtue of the provisions of the contract labour (Regulation and Abolition) Act 1970 and of the contract labour (Regulation and Abolition Central Rules 1971) Employer is obliged to pay any amounts of wages to a Workman employed by the contractor in execution of the works or to incur any expenditure providing welfare and health amenities required to be provided under the above said Act and the Rules under Clause 19 and sanitary arrangements for workers employed by Contractors. NSC will recover from the contractor the amount of wages so paid or the amount of expenditure so incurred; and without prejudice to the right of the Employer under, Section 20 Sub section (2) and Section 21 sub-section (4) of the contractor Labour (Regulation & Abolition Act 1970). Employer shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from the security deposit or from any sum due to the contractor whether under this agreement or otherwise. Employer shall not be bound to contest any claim made against section 20 sub section (1) & Section 21, sub-section (4) of the said Act, except on the written request of the contractor and on his giving to the Employer full security for all costs for which Employer might become liable in contesting such claim.

CLAUSE: 19 SETTLEMENT OF DISPUTES AND ARBITRATION

19.1 ENGINEERS' DECISION

If a dispute of any kind whatsoever arises between the Employer and the contractor in connection with, or arising out of, the contract or the execution of the works, whether during the execution of the works or after their completion and whether before or after repudiation or other termination of the contract, including any dispute as to any opinion, instruction, determination, certificate or valuation of the Engineer, the matter in dispute shall, in the first place, be referred in writing to the Engineer, with a copy to the other party. Such reference shall state that it is made pursuant to this clause. No letter than the eighty fourth day after the day on which he received such reference the Engineer shall give notice of his decision to the employer and the contractor. Such decision shall state that it is made pursuant to the Clause.

Unless the contract has already been repudiated or terminated, the contractor shall, in every case, continue to proceed with the works with all due diligence and the contractor and the employer shall give effect forthwith to every such decision of the Engineer unless and until the same shall be revised, as hereinafter provided, in an

amicable settlement or an arbitrator award.

If either the Employer or the contractor be dissatisfied with any decision of the Engineer or if the Engineer fails to give notice of his decision on or before the eighty fourth day after the day on which he received the reference, then either the Employer or the contractor may, on or before the seventieth day after the day on which he received notice of such decision, on or before the seventieth day after the day on which the said period of 84 days expired, as the case may be given notice to the other party, with a copy for information to the Engineer, of his intention to commence arbitration, as herein after provided, as to the matter in dispute. Such notice shall establish the entitlement of the party giving the same to commence arbitration, as hereinafter provided as to such dispute and subject to Sub Clause

19.2 No arbitration in respect thereof may be commenced unless such notice is given.

If the Engineer has given notice of his decision as to a matter in dispute to the Employer and the Contractor and no notice of intention to commence arbitration as to such dispute has been given by either the Employer or the Contractor on or before the seventieth day after the day on which the parties received notice as to such decision from the Engineer, the said decision shall be come final and binding on the employer and the contractor. Request for arbitration by the contractor shall be entertained by the employer only after completion of work.

20.1 AMICABLE SETTLEMENT

Where notice of intention to commence arbitration as to a dispute has been given in accordance with Sub Clause 19.1 arbitration of such dispute shall not be commenced unless and attempt has first been made by the parties to settle such dispute amicably. Provided that, unless the parties otherwise agree, arbitration may be commenced on or after the fifty sixth day after the day on which notice of intention to commence arbitration of such dispute was given, whether or not any attempt at amicable settlement thereof has been made.

21. ARBITRATION: -

The arbitration on this tender shall be governed by the following conditions: -

21.1 Jurisdiction of subject: -

All the disputes/differences between the parties as may be arising out of the present tender documents and subsequent to the execution of the agreement between the parties including interpretation of the terms and agreement shall be subject to the exclusive jurisdiction of Courts at New Delhi/Delhi only.

21.2 Arbitration Clause:

In case any dispute arises between the NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussions, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provision of Arbitration and conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, the Chairman-Cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by the decision. The parties will bind to resolve the dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The court of Delhi shall have the jurisdiction.

The Arbitrator shall have powers to enlarge time for making & publishing the Award with the consent of the parties. If the claims involved in a dispute are of more than Rs. one lakh, the Arbitrator shall make a speaking award as per provision of Arbitration & Conciliation Act 1996.

In case the contractor/supplier is a Public Sector Undertaking, the above clause shall not be applicable and in that event the following clause shall apply.

In the event of any dispute or difference relating to the interpretation and application of the provisions of the contracts, such dispute or difference shall be referred by either party for arbitration to the sole arbitrator in the Department of Public Enterprises to be nominated by the Secretary to the Govt. of India, In charge of the Department of Public Enterprises. The Arbitration & Conciliation Act, 1996 shall not be applicable to the arbitration under this clause. The award of the Arbitrator shall be binding upon the

parties to the dispute, provided, however, any party aggrieved by such award may make a further reference for setting aside or revision of the award to the Law Secretary, Department of Legal and Affairs, Ministry of Law and Justice, Govt. of India. Upon such reference, the dispute shall be decided by the Law Secretary or the Special Secretary/Additional Secretary when so authorized by the Law Secretary whose decision shall bind the parties finally and conclusively. The parties to the disputes will share equally the cost of arbitration as intimated by the Arbitrator.

21.3 Force Majeure Clause

Due to failure of any of the parties in the performance of the Agreement on the happening of Civil disturbance, War, Act of God and other unforeseeable circumstances beyond the control of any of the parties, the party as default shall not be guilty, if that party serves on the other party, a notice of such circumstances and upon the end of the above situations, that party will again serve the notice on the other party about the removal of the above mentioned events. The notice shall be issued within 48 hours from the happening of the event.

CLAUSE: 22 EMPLOYMENT OF TECHNICAL STAFF AND EMPLOYEES

Contractors superintendence, supervision, technical staff and employees.

i. The contractor shall provide all necessary superintendence during execution of the work and as along thereafter as may be necessary for proper fulfilling of the obligations under the contract.

The contractor shall immediately after receiving letter of acceptance of the tender and before commencement of the work, intimate in writing to the Engineer the name, qualifications, experience, age, address and other particulars along with certificates, of the principal technical representative to be in charge of the work. Such qualifications and experience shall not be lower than specified in schedule 'f'. The Engineer shall within 15 days of receipt of such communication intimate in writing his approval or otherwise of such a representative according to the provisions on the contractor in this respect. Such a principal technical representative shall be appointed by the contractor soon after receipt of the approval from Engineer and shall be available at site within fifteen days of start of work.

If the contractor (or any partner in case of firm/company) who himself has such qualifications, it will not be necessary for the said contractor to appoint such a principal technical representative but the contractor shall designate and appoint a responsible agent to represent him and to be present at the work whenever the contractor is not in a position to be so present. All the provisions applicable to the principal technical representative under the Clause will also be applicable in such a case to contractor or his responsible agent. The principal technical representative and/or the contractor shall on receiving reasonable notice from the Engineer or his designated representative(s) in charge of the work in writing or in person or otherwise, present himself to the Engineer and/or at the site of work, as required, to take instructions.

Instructions given to the principal technical representative or the responsible agent shall be deemed to have the same force as if these have been given to the contractor. The principal technical representative and/or the contractor or his responsible authorized agent shall be actually available at site during important stages of execution of work, recording of measurement of works and whenever so required by the Engineer, his designated representative in the site order book and shall affix his signature in token of noting down the instructions and in token of acceptance of measurements.

If the Engineer whose decision in this respect is final and binding on the contractor, is convinced that no such technical representative or agent is effectively appointed or is effectively attending or fulfilling the provision of this clause, a recovery shall be effected from the contractor as specified in schedule 'f' and the decision of the Engineer as recorded in the site order book and measurement recorded in measurement book shall be final and binding on the contractor. Further, if the contractor fails to appoint a suitable technical representative or responsible agent and if such appointed persons are not effectively present or do not discharge their responsibilities satisfactorily, the Engineer shall have full powers to suspend the execution of the work until such date as a suitable agent is appointed and the contractor shall be held responsible for the delay so caused to the work. The contractor shall submit a certificate of employment of the technical representative/responsible agent along with every on account bill/fixed bill and shall produce evidence if at any time so required by the

Engineer.

The contractor shall provide and employ on the site only such technical assistance as are skilled and experienced in their respective fields and such foremen and servisory staff as are competent to give proper servision to the work.

The contractor shall provide and employ skilled, semiskilled and unskilled labour as is necessary for proper and timely execution of the work.

The Engineer shall be at liberty to object to and require the contractor to remove from the works any person who in his opinion misconducts himself or is incompetent or negligent in the performance of his duties or whose employment is otherwise considered by the Engineer to be undesirable. Such person shall not be employed again at works site without the written permission of the Engineer and the persons so removed shall be replaced as soon as possible by competent substituted.

CLAUSE: 23 Split of work:

The whole work, may be split between two or more contractors or accepted in part and not in entirely, if considered expedient.

CLAUSE: 24 LEVY/TAXES PAYABLE BY CONTRACTOR

- i) Sales tax or any other tax on material in respect of this contract shall be payable by contractor and Employer shall not entertain any claim whatsoever in this respect.
- ii) The contractor shall obtain necessary permit and have to deposit royalty for sply of the red bajri, stone, moorum etc. from local authorities.
- iii) If pursuant to on under any law such notification or order any royalty, or the like becomes payable by the Employer by the contractor to the State Government. Local authorities in respect of any material used by the contractor in the works then in such a case. It shall be lawful to the Employer and it will have the right and be entitled to recover the amount paid in the circumstances as aforesaid from the dues of the contractor.

CLAUSE: 26 BRIBES/COMMISSION

Any bribe/commission, gift or advantage given promised by or on behalf of the contractor or his partner, agent or servant or any one, on his or their behalf to any officer, servant, representative or agent of the Engineer or to any person on his behalf in relation to the obtaining or to the execution of this or any other contract with the Employer shall in addition to any criminal liability which he may incur, subject to the contractor to the cancellation of this and all other contracts with the Employer and also to the payment of any loss or damage resulting from any such cancellation. The Employer shall be entitled to deduct the amounts so payable from any money otherwise due to the contractor under this or any other contract Any Question or dispute as to the commission of any offense under the present Clause shall be settled in accordance with the law for the time being in force and applicable in India.

CLAUSE: 27 DRAWINGS AND PHOTOGRAPHS OF THE WORKS

The contractor shall not disclose of drawings furnished to him and works on which he is engaged without the prior approval of the Engineer in writing. No photograph of the works or any part thereof or plant employed thereon shall be taken or permitted by the contractor to be taken by any of his employees or any employees of his sub-contractors without the prior approval of the Engineer in writing and no such photographs shall be published or otherwise circulated without the approval of the Engineer in writing.

SAFETY CODE

- i) Suitable scaffolds should be provided for workmen for all works that cannot safely be done from the ground or from solid construction except such short period work as can be done safely from ladders. When a ladder is used an extra 'Mazdoor' shall be engaged for holding the ladder and if the ladder is used for carrying materials as well suitable footholds and handholds shall be provided on the ladder and the ladder shall be given an inclination not steeper than 1/4 to 1 (1/4 horizontal and 1 vertical)
- ii) Safe means of access shall be provided to all working platform and other working places. Every ladder shall be securely fixed. No portable single ladder shall be over 9m (30 feet) in length while the width between side rails rung ladder shall in no case be less than 29 cm (11-1/2") for ladder up to and including 3m (10 feet) in length. For longer ladders with width should be increased at least 1/4" for each additional 30cm (12") of length uniform step, spacing shall not exceeding 30cm (12"). Adequate precaution shall be taken to prevent danger from electrical equipment. No materials on any of the site of work shall be stacked or placed as to cause danger or inconvenience to any person or the public. The contractor shall provide all necessary fencing and lights to protect the public from accident, and shall be bound to bear the expenses of defence of every suit, action or other proceeding at law that may be brought by any person for injury sustained owing to neglect of the above precautions and to pay any damages and cost which may be awarded in any such suit, action proceedings to any such person or which may, with the consent of the contractor, be paid to compromise any claim by any such person.
- iii) Excavation & Trenching. All trenches, 1.2 m (4 feet) or more in depth, shall at all times be spliced with at least one ladder for each 30m (100 feet) in length or fraction thereof ladder shall extend from bottom of the trench to at least 90 cm (3 feet) above the surface of the ground. The side of the trenches which are 1.5 m (5 feet) or more in depth shall be stepped back to give suitable slope or securely held by timber bracing, so as to avoid the danger of sides collapsing. The excavated materials shall not be placed within 1.5 m (5 feet) of the edges of the trench or half of the depth of trench whichever is more. Cutting shall be done from top to bottom. Under no circumstances undermining or undercutting shall be done.
- iv) Demolition: Before demolition work is commenced and also during the process of the work:
- a) All roads and open areas adjacent to the work site shall either be closed or suitably protected.
 - b) No electric cable or apparatus which is liable to be a source of danger over a cable or apparatus used by the operator shall remain electrically charged.
 - c) All practical steps shall be taken to prevent danger to persons employed from risk of fire or explosion or flooding. No floor, roof or other part of the building shall be so overloaded with debris or materials as to render it unsafe.
 - d) All necessary personal safety equipment as considered adequate by the Engineer should be kept available for the use of the person employed on the site and maintained in a condition suitable for immediate use, and the contractor should take adequate steps to ensure proper use of equipment by those concerned: -
 - e) In injurious to the eyes work shall be provided with protective goggles.
 - f) Those engaged in welding works shall be provided with welder's protective eye shields.
 - g) Stone breakers shall be provided with protective goggles and protective clothing and seated at sufficiently safe intervals.
 - h) The contractor shall not employ men and women below the age of 18 years on the work of painting with products containing lead in any form. Wherever, an above the age of 18 years are employed on the work of lead painting, the following precautions should be taken:
 - a) No paint containing lead or lead products shall be used except in the form of paste or readymade paint.
 - b) Suitable face masks should be supplied for use by the workers when paint is applied in the form of spray or a surface having lead paint dry rubbed and scraped.
 - c) Overalls shall be supplied by the contractor to the workmen and adequate facilities shall be provided to enable the working painters to wash during the cessation of work.
 - d) An Additional clause (viii) (i) of NSC safety code in the contract shall not employ women and men below the age of 18 on the work of painting with product containing lead, in any form wherever men above the age of 18 are employed on the work of lead painting.
 - e) Every crane driver or hoisting appliance operator shall be properly qualified and no person under the

age of 21 years should be in charge of any hoisting machine including any scaffolding winch or give signal to operator.

f) In case of every hoisting machine and of every chain ring hook, shackle swivel and pulley block used in hoisting or as means of suspension the safe working load shall be ascertained by adequate means. Every hoisting machine and all gear referred to above shall be plainly marked with the safe working load each safe working load and the conditions under which it is applicable shall be clearly indicated. No part of any machine or any gear referred to above in this paragraph shall be loaded beyond the safe working load except, for the purpose of testing.

g) In case of departmental machines, the safe working load shall be notified by the Elect/. Engineer. As regards contractor's machine the contractor shall notify the safe working load of the machine to the Engineer whenever he brings any machinery to site of work and get it verified by the Electrical Engineer concerned.

h) Motors, gearing transmission, electric wiring and other dangerous parts of hoisting appliances should be provided with efficient safe guard. Hoisting appliances should be provided with such means as shall reduce to the minimum the risk of accidental descent of the load. Adequate precautions should be taken to reduce to the minimum the risk of any part of a suspended load becoming accidentally displayed. When workers employed on electrical installations which are already energized insulating mats, wearing apparel, such as gloves, sleeves and boots as may be necessary should be provided. The workers should not wear any rings, watches and carry keys or other materials which are the good conductors of electricity.

i) All scaffolds, ladders and other safety devices mentioned or described herein shall be maintained in safe condition and no scaffold ladder or equipment shall be altered or removed while it is in use. Adequate washing facilities should be provided at near places of work.

j) These safety provision should be brought to the notice of all concerned by display on a notice board at a prominent place at work spot. The person responsible for compliance of the safety code shall be named therein by the contractor.

k) To ensure effective enforcement of the rules and regulations relating to safety precautions the arrangements made by the contractor shall be open to inspection by the Labour Officer, Engineer of the department or their representatives.

l) Notwithstanding the above clauses from (10 to xiv) there is nothing in these to exempt the contractor from the operations of any other Act or Rule in force in the Republic of India.

CONTRACTOR LABOUR REGULATION SHORT TITLE

1. These regulations may be called the National Seeds Corporation Ltd., Contractor Labour Regulations.

2. DEFINITIONS: -

i) 'Workman' means any person employed by NSC or its contractor directly or indirectly through a sub-contractor with or without the knowledge of the National Seeds Corporation to do any skilled, semi-skilled or unskilled manual supervisory, technical or electrical work for hire or reward whether the terms of employment are expressed or implied but does not include any person:

a) Who is employed mainly in a managerial or administrative capacity: or

b) Who, being employed in a supervisory capacity drawn wages exceeding five hundred Rupees per mensem for exercised either by the nature of the duties attached to the office or by reason of powers vested in him, functions mainly of managerial nature.

c) Who is an out worker, that is to say a person to whom, any articles or materials are given out by or on behalf of the principal employer to be made, cleaned, washed, altered, ornamental finished, repaired, adopted or otherwise processed for sale for the purpose of the trade or business of the principal employer and the process is to be carried out either in the home of the out worker or in some other premises, not principal employer.

ii) Fair Wages shall include every person who undertake whether for time or piece work fixed & notified under the provisions of the Minimum Wages Act from time to time.

iii) 'Contractors' shall include every person who undertake to produce a given result other than a mere supply of goods or articles of manufacture through contract labour or who supplied contract labour for any work and includes a sub-contractor.

iv) 'Wages' shall have the same meaning as defined in the payment of Wages Act.

3. a) Normally working hours of an adult employee should not exceed 9 hours a day & in case of child 4-1/2 hours a day. The working day shall be so arranged that inclusive of interval for rest, if any, it shall not spread over more than 12 hours on one day.

b) When an adult worker is made to work for more than 9 hours on any day or for more than 48 hours in any week he shall be paid overtime for the extra hours put in by him at double the ordinary rate of wages. Children shall not be made to work extra hours.

c) i) Every worker shall be given a weekly holiday normally on a Sunday in accordance with the provisions of the minimum wages (Central) Rules 1960 as amended from time to time irrespective of whether such worker is governed by the Minimum Wages Act or not.

ii) Where the Minimum wages prescribed by the National Seeds Corporation under the Minimum Wages Act are not inclusive of the Wages for the weekly day of rest, the worker shall be entitled to rest day wages at the rate applicable to the next proceeding day, provided he had worked under the same contractor for a continuous period of not less than 6 days.

iii) Where a contractor is permitted by the Engineer to allow a worker to work on a normal weekly holiday, he shall grant a substituted holiday to him for the whole day on one of the five days immediately before or after the normal weekly holiday and pay wages to such worker for the work performed on the normal weekly holiday at overtime rate.

4. DISPLAY OF NOTICE REGARDING WAGES ETC.

The contractor shall before he commences his work on contract, display and correctly maintain and continue to display and correctly maintain in a clean and legible condition in conspicuous places on the work, notices in English and in the local Indian Languages spoken by the majority of the workers, giving the minimum rates of wages fixed under the Minimum Wages Act, the actual wages being paid, the hours of work for which such wages are earned, wage periods, date of payments of wages and other relevant information's as per Appendix 'A'.

5. PAYMENT OF WAGES

- i) The contractor shall fix wage period in respect of which wages shall be payable.
- ii) No wage period shall exceed one month.
- iii) The wages of every person employed as contract labour in an establishment or by a contractor where less than one thousand, such persons are employed shall be paid before the expiry of seventh day and in other cases before the expiry of tenth day after the last day of the wage period in respect of which the wages are payable.
- iv) Where the employment of any worker is terminated by or on behalf of the contractor the wages earned by him shall be paid before the expiry of the second working day from the date on which his employment is terminated.
- v) All payments of wages shall be made on a working day at the work premises and during the working time and on a date notified in advance and in case the work is completed before the expiry of the wage period; final payment shall be made within 48 hours of the last working day.
- vi) Wages due to every worker shall be paid to him direct or to other person authorized by him in this behalf.
- vii) All wages shall be paid in current coin or currency or in both.
- viii) Wages shall be paid without any deductions of any kind except those specified by the National Seeds Corporation by general or special order in this behalf of permissible under the payment of wages Act, 1956.
- ix) A notice showing the wages period and the place and time of disbursement of wages shall be displayed at the place of work and a copy sent by the contractor to the Engineer under acknowledgment.
- x) It shall be the duty of the contractor to ensure the disburse of wages in the presence of the Engineer or any other authorized representative of the Engineer who will be required to be present at place and time of disbursement of wages by the contractor to workman.
- xi) The contractor shall obtain from the Engineer or any other authorized representative of the Engineer as the case may be, a certificate, under his signature at end of the entries in the "Register of Wages" or the "Wages-cum-Muster Roll" as the case may be in the form.

6. LABOUR RECORDS

- i) The contractor shall maintain a "Register of persons Employed" on work on contract in Form XIII of the CL (R&A) Central Rules 1971 (Appendix - IV)
- ii) The contractor shall maintain a 'Muster Roll' Register in respect of all workmen employed by him on the work under contractor in Form XVI of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix - V).
- iii) The Contractor shall maintain a wage register in respect of all workmen employed by him on the work under Contract in Form XVII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix V).
- iv) Register of Accidents: "The contractor shall maintain a register of accidents in such form as may be convenient at the work placed but the same shall include the following particulars".
 - a) Full particulars of the labourers who met with accident.
 - b) Rate of wages.
 - c) Sex.
 - d) Age.
 - e) Nature of accident and cause of accident.
 - f) Time and date of accident.
 - g) Date & time when admitted in Hospital.
 - h) Date of discharge from the Hospital.
 - i) Period of treatment and result of treatment.
 - j) Percentage of loss of earning capacity and disability as assessed by Medical Officer.
 - k) Claim required to be paid under Workmen's Compensation Act.
 - l) Date of payment of compensation.
 - m) Amount paid with details of the person to whom the same was paid.
 - n) Authority by whom the compensation was assessed.
 - o) Remarks.

- p) Register of Fines Contractor shall maintain a "Register of Fines" in the form XXII of C1 (R&A) Rules 1971 (Appendix - XII).
- v) The contractor shall display in a good condition and in a conspicuous place of work the approved list of Acts and Omissions for which fines can be imposed (Appendix - X).
- vi) Register of Deductions: The contractor shall maintain a Register of deductions for damage or loss in form XX of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix - XII)
- vii) Register of Advance: The contractor shall maintain a 'Register of Advances' in form XXII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix XIII).
- viii) Register of overtime: The contractor shall maintain a Register of Overtime in Form XXXIII of the CL (R&A) Rules 1971 (Appendix XIV).

7. ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP

- i) The contractor shall issue an attendance Card-cum-Wage slip to each workmen employed by him in the specimen form at (Appendix VII).
- ii) The card shall be valid for each wage period.
- iii) The contractor shall mark the attendance of each workman on the card twice each day, once at the commencement of the day and again after the rest interval, before the actually starts work.
The card shall remain in possession of the worker during the wage period under reference.
- v) The contractor shall complete the wage slip portion on the reverse of the card at least a day prior to the disbursement of wages in respect of the wage period under reference.
- vi) The contractor shall obtain the signature or thumb impression of the worker on the wage slip at the time of disbursement of wages and retain the card with himself.

8. EMPLOYMENT CARD;

The contractor shall issue an Employment Card in Form XIV of the CL(R&A) Central Rules 1971 to each worker within three days of the employment of the worker (Appendix-VIII).

9. SERVICE CERTIFICATE:

On termination of employment for any reason whatsoever, the contractor shall issue to the workman whose services have been terminated, a service certificate in Form XV of the CL(R&A) Central Rules, 1971 (Appendix-IX).

10. PRESERVATION OF LABOUR RECORDS

All records required to be maintained under regulations Nos. 6 & 7 shall be preserved in original for a period of three years from the date of last entries made available for inspection by the Engineer or Labour Officer or any other officers authorized by the Department of works and Housing in this behalf.

11. POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY

The Labour Officer or any other person authorized by National Seeds Corporation on their behalf shall have power to make inquiries with a view to ascertaining and enforcing due and proper observance of the Fair Wage Clauses and the Provision of Regulations. He shall investigate into any complaint regarding the default made by the Contractor or sub-contractor in regard to such provisions.

The labour officer or other person authorized as fore said shall submit a report of result of his investigations or inquiry to the Engineer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues be paid to the labourers concerned. In case an appeal is made by the contractor under Clause of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Engineer after the Serintending Engineer has given his decision on such appeal.

The Engineer shall arrange payments to the Labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the Labour Officer or the Serintending Engineer as the case may be.

12. REPORT OF LABOUR OFFICER

The Labour Officer or other persons authorized as aforesaid shall submit a report of result of his investigation

or enquiry to the Engineer concerned indicating the extent, if any, to which the default has been committed with a note that necessary deductions from the contractor's bill be made and the wages and other dues to paid to the labourers concerned. In case any appeal is made by the contractor under clause 13 of these regulations, actual payment to labourers will be made by the Engineer after the Serintending Engineer has given his decision on such appeal.

The Engineer shall arrange payments to the labour concerned within 45 days from the receipt of the report from the Labour Officer or the Serintending Engineer as the case may be.

13. APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER

Any person agreed by the decision and recommendation of the Labour Officer or other person so authorized may appeal such decision to the Engineer concerned within 30 days from the date of decision, forwarding simultaneously a copy of his appeal to the Serintending Engineer concerned but subject to such appeal, the decision of the Officer shall be final and binding on the contractor.

14. PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER

i) A workman shall be entitled to be represented in any investigation or an enquiry under these regulations by: -

- a) An Officer of a registered trade union or which he is a member.
- b) An Officer or a federation of trade unions referred to in clause (a) is affiliated.
- c) Where the employer is not a member of any registered trade union, by an officer of a registered trade union, connected with, the industry in which the worker is employed.

ii) An employer shall be entitled to be represented in any investigation or enquiry under these regulations by: -

- a) An Officer of an association of employers of which he is a member.
- b) An Officer of federation of associations of employers to which association referred to in clause (A) is affiliated.
- c) Where the employer is not a member of any association of employers by an officer of association of employer, connected with industry or by any other employer, engaged in the industry in which the employer is engaged.

iii) No party shall be entitled to be represented by a legal petitioner in any investigation or enquiry under these regulations.

15. INSPECTIONS OF BOOKS AND SLIPS

The contractor shall allow inspection of all the prescribed labour recorded to any of his workers to his agent at a convenient time and place after due notice is received or to the Labour Officer or any other person, authorized by the National Seeds Corporation on his behalf.

16. SUBMISSION OF RETURNS

The contractor shall submit periodical returns as may be specified from time to time.

17. AMENDMENTS

The National Seeds Corporation may from time to time and to or amend the regulations and on any question as to the application, interpretation or effect of those regulations the decision of the Engineer concerned in this behalf shall be final.

LIST OF PROFORMA FOR REGISTERS (Appendix- I to XIII)

- 1. Register of workman employed by Contractor
- 2. Muster Roll
- 3. Register of wage
- 4. Wage Card & Wages slip
- 5. Register of advance.
- 6. Register of over time.

LIST OF ACTS AND OMISSIONS FOR WHICH FINES CAN BE IMPOSED

In accordance with rule 7(v) of the NSC Contractor's Labour Regulations to be displayed prominently at the site of work both in English & local language.

- 1) Willful insubordination or disobedience, whether alone or in combination with other.
- 2) Theft fraud or dishonesty in connection with the contractors beside a business or property of NSC.
- 3) Taking or giving bribes or any illegal gratification's.
- 4) Habitual late attendance.
- 5) Drunkenness, fighting, riotous or disorderly or indifferent behavior.
- 6) Habitual negligence.
- 7) Smoking near or around the area where combustible or other materials are locked
- 8) Habitual in-discipline.
- 9) Causing damage to work in the progress or to property of the NSC or of the contractor
- 10) Sleeping on duty
- 11) Malingering or slowing down work.
- 12) Giving of false information regarding name, age, father's name etc.
- 13) Habitual loss of wage cards supplied by the employers.
- 14) Unauthorized use of employer's property of manufacturing or making of unauthorized particle at the work place.
- 15) Bad workmanship in construction and maintenance by skilled workers which is not approved by the department and for which the contractors are compelled to undertake rectifications.
- 16) Making false complaints and /or misleading statements.
- 17) Engaging on trade within the premises of the establishments.
- 18) Any unauthorized divulgence of business affairs of the employees
- 19) Collection or canvassing for the collection of any money within the premises of an establishment unless authorized by the employer.
- 20) Holding meeting inside the premises without prior sanction of the employer.
- 21) Threatening or intimidating any workman or employer during the working hours within the premises.

SECTION-IV

SPECIFICATIONS & CONDITIONS FOR MODIFICATION & DISMANTLING WORKS

(A) Dismantling

The term dismantling implies carefully separating the parts without damage and removing. This may consist of dismantling one or more parts of the building as specified or shown on the drawing.

(B) Demolition

The term Demolition implies breaching. This shall consist of demolishing whole or part of work including all relevant items as specified or shown on the drawing.

Precautions

1. All materials obtained from dismantling or demolition shall be the property of the Government unless otherwise specified and shall be kept in safe custody until they are handed over to the Engineer-in-charge before starting the work.
2. The demolition shall always be well planned before hand and shall generally be done in reverse order of the one in which the structure was constructed. The operations shall be got approved from the Engineer-in-charge before starting the work.
3. Due care shall be taken to maintain the safety measures prescribed in IS; 4130 and safety code of terms and conditions.
4. Necessary propping, shoring and or under pinning shall be provided to ensure the safety of the adjoining work or property before dismantling and demolishing is taken and the work shall be carried out in such a way that no damage is caused to the adjoining work or property. Wherever specified, temporary enclosures or partitions shall also be provided, as directed by the Engineer-in-Charge.
5. Necessary precautions shall be taken to keep down the dust nuisance to the minimum.
6. Dismantling shall be done in a systematic manner. All materials which are likely to be damaged by dropping from a height or by demolishing roofs, masonry etc. shall be carefully removed first. The dismantled articles shall be removed manually or otherwise, lowered to the ground (and not thrown) and then properly stacked as directed by the Engineer-in-Charge.
7. Where existing fixing is done by nails, screws, bolts, rivets, etc., dismantling shall be done by taking out the fixing with proper tools and not by tearing or ripping off.
8. Any serviceable material, obtained during dismantling or demolition, shall be separated out and stacked properly as directed by the Engineer-in-Charge.
9. All unserviceable materials rubbish etc. shall be disposed off as directed by the Engineer-in-Charge.
10. The contractor shall maintain/disconnect existing services, whether temporary or permanent.

Measurements

All work shall be measured net in the decimal system, as fixed in its place, subject to the following limits, unless otherwise stated hereinafter.

(a) Dimensions shall be measured correct to a cm.

(b) Areas shall be worked out in sqm correct to two places of decimal. (c) Cubical contents shall be worked out to the nearest 0.01 cum.

Parts of work required to be dismantled and those required to be demolished shall be measured separately. Measurements of all work except hidden work shall be taken before demolition or dismantling and no allowance for increase in bulk shall be allowed. Specifications for deduction for voids, opening etc. shall be on the same basis as that adopted for new construction of the work.

Work executed in the following conditions shall be measured separately.

(a) Work in or under water and /or liquid mud.

(b) Work in or under foul positions.

Rates: The rate shall include the cost of all labour involved and tools used in demolishing and dismantling including scaffolding. The rate shall also include the charges for separating out and stacking the serviceable material properly and disposing off unserviceable materials as directed by the Engineer-in-Charge.

The rate shall also include for temporary shoring for the safety of portions not required to be pulled down, or of adjoining properly, and providing temporary, enclosures or partitions, where considered necessary.

ADDITIONAL SPECIFICATION FOR ELECTRICAL WORK

- 1) The work shall be carried out as per CPWD Specifications 2005, amended Up to date and Indian Electricity Rules 1956 amended-to-date.
- 2) The contractor shall obtain prior approval from the Engineer-in –charge for the material to be used at site of work.
- 3) The contractor shall have to submit the completion plan in triplicate along with one set of tracing cloth/paper failing which charges will be deducted from the final bill as per clause 8.3 of the contract.
- 4) The work shall be carried out in full co-operation with the other contractors working at site.
- 5) All inter connection shall be carried out with suitable lengths of cables, commensurate with current carrying capacity with solder less thimbles, all earth connections with metal boards shall be made only with soldered thimbles lugs. Nothing extra shall be paid to the contractor on these accounts.
- 6) Piano type switches & sockets of Anchor/Cona (ISI) make shall only be used with suitable color Hylam sheet cover with full “HYLAM” inscription on it. Nothing extra paid on this account. Colour of the sheet shall be got approved from the Engineer-in-charge.
- 7) The route of conduits & cables is to be got approved from the Engineer-in-charge.
- 8) The drawing showing the arrangement of switches gears and dimensions for angle iron or sheet metal boards shall have to be got approved from the Engineer-in-charge before fabrication and installation at site of work.
- 9) Earthing shall be carried out in presence of Engineer-in-charge or his authorized representative.
- 10) All damages done to the building during execution of the work shall have to be made good by the electrical contractor at his own cost and risk for which nothing extra shall be paid.
- 11) The contractor will have to arrange the removal of the Malba /debris etc. to the site decided by the Engineer-in-charge after each day's work and nothing extra will be paid on this account. It will be the contractor's responsibility to keep the site neat and clean after completion of the work otherwise the site shall be got clear at the risk and cost of the contractor.
- 12) The contractor will make his own arrangements for watch & ward of the materials and electrical installations until the work is completed and handed over to the department in full. No extra payment will be made to the contractor for the same.
- 13) The check nuts are to be provided on both ends of the conduits whenever it enters any metallic box, frame etc.
- 14) The contractor is bound to sign the site order book as and when required by the Engineer-in- charge or his authorized representative.
- 15) Persons expecting the work should have electrical license as required according to the Indian Electricity Act.
- 16) The contractor will have to submit the completion certificate as per Annexure “E” of General specifications for electrical work, 2005. The prescribed test shall have to be conducted in the presence of Engineer-in-charge.
- 17) All AC switches & SDB's shall be numbered and other lettering work done on SDB's and main board as required by the Engineer-in-charge. Nothing extra shall be paid on this account.
- 18) Completed portion of the work shall not be taken over in parts unless otherwise agreed over by the Engineer-in-charge.

RECOMMENDED MAKES OF ELECTRICAL EQUIPMENTS.

1	Transformer	a)	Siemens India Ltd.
		b)	NGEF Ltd
		c)	Crompton Greaves Ltd.
		d)	GEC Ltd
		e)	Jyoti Ltd.
		f)	Kasun (Madras)
		g)	NEI Ltd.
		h)	ITE Hyderabad
		i)	BHEL
2	HT Circuit breaker and fuse switch units.	a)	Siemens India Ltd.
		b)	NGEF Ltd
		c)	GEC Ltd
		d)	MET Ltd.
		e)	Jyoti Ltd.
		f)	Crompton Greaves Ltd.
		g)	Allind
		h)	Kirloskar
		i)	Voltas
		j)	BHEL
3	LT switch gear (PCC) and motor control centre (MCC)	a)	Larsen & Tubro)
		b)	Siemens India Ltd.
		c)	Bhartia Cutler Hammper
		d)	English Electric company
4	Cables	a)	Cable Corporation of India
		b)	Fort Gloster
		c)	TCC
		d)	NICCO
		e)	Grandlay
		f)	Universal
		g)	Asian cables
		h)	Industrial cable
5	Ceiling fans	a)	GEC Ltd
		b)	Philips
		c)	Usha
		d)	Crompton
		e)	Orient
		f)	Cool home
6	Exhaust fans	a)	GEC Ltd
		b)	Philips
		c)	Usha
		d)	Crompton
		e)	Cool home
7	Lighting fixtures	a)	Incandesocent fixtures.
		b)	GEC Ltd
		c)	Philips
		d)	Deccon
		e)	Crompton
II	Flourescent and HPMV fixtures.		
		a)	Philips
		b)	GEC
		c)	Crompton
		d)	Anchor
		e)	Mysore Lamps
		f)	Best & Crompton Ltd.

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.**Section - V****Annexure-A****(To be submitted to NSC in online mode 'Technical Bid')****FORM FOR TECHNICAL BID**

SN	Particulars	Remarks/Yes or No
1	Tender fee as per NIT (Non- refundable):- online mode.	
2	EMD as per tender online mode.	
3	Certificate of registration/License of the firm with Telangana State Electricity Department	
4	Partnership Deed if Partnership firm.	
5	Authorization for signing if it is limited company or partnership firm	
6	An affidavit of ownership if proprietary firm/sole traders.	
7	PAN Number	
8	Income-tax Return for the current & two previous year	
	ITR-2024-25 -Value	
	ITR-2025-26 - Value	
	Current status-	
9	Name and addresses of the Bank,	
	Account No.,	
	IFSC Code.	
10	Copy of registration for :-	
	i) GST	
	ii) PF, ESI or Labour License	
11	Performance / experience certificate of Department for :-	
12	Work done certificate during last four years	
	2022-23 Rs.----- lakhs	
	2023-24 Rs.----- lakhs	
	2024-25 Rs.----- lakhs	
	2025-26 Rs.----- lakhs	
	Current status-	
14	Affidavit certificate that not black listed/Debarred and no arbitration case pending in this office.	
16	MSME / NSIC certificate with validity of time and item with MSME UDYOG ADHAR MEMORANDUM	
17	Technical Bid	
18	Other document if any in support of the tender.	
19	Address of the contractor	
	Contact No.	
	E-mail ID	

FORM OF AGREEMENT

Contract no -

Dated

This agreement is made indatedbetween **National Seeds Corporation Limited**, Govt of India Undertaking, having its registered office at Beej Bhawan, Pusa complex, New Delhi-110012 through its Authorized Representative (Which expression shall unless repugnant to the subject or context include its successor and assigns) as the first part, herein after referred as Corporation and----
-----, through its proprietor -----
----- (which expression shall unless repugnant to the subject or context include its successor and assigns). The party of the second part, **Delhi-110012**.

Whereas the Corporation had invited Tender No. -----
-----as per terms and conditions as enumerated or referred in Notice inviting Tender, General conditions of contract, specifications, Drawing and other documents constituting the tender and acceptance thereof, copy hereto annexed, all of which are designed and form as part of this contract and are included in the term 'CONTRACT' whenever here in used.

And whereas the Contractor accepted the tender of Corporation for the provision and the execution of the said work for location ----- at total amount Rs -----
-- on the terms and conditions as contained in the tender documents form in part of the contract.

Now this agreement witnessed and it is hereby agreed and declared as follows:

1 The consideration of the payment to be made to the contractor for the works executed by him in accordance with the covenant with the corporation, Contractor shall and will duly provide, execute and complete the said works in ----- months from 7th day after the date of issue of work order, as per the terms of the contract and maintain the same at its own cost during the maintenance period, "**Which is One Year from the date of completion**", thereafter, perform all other acts and things in the contract mentioned or described or which are to be implied there from or may be reasonable necessary for the completion of the said works and at the times and in the manner and subject to the terms and conditions or stipulations mentioned in the contract.

2 In consideration of the due provision, execution and completion of the said works, the corporation does hereby agree to pay to the contractor for the works actually done by him at the (**Rs.- -----**) rates quoted by the contractor against the proper bill of quantities forming part of the tender documents and accepted by the corporation or at Agreed Rates and such other sums are may become payable to the contractor under the provision of the contract such payments to be made at such time and in such manner as provided for in the contract.

3 And in consideration of the above, the contractor does hereby agree to pay to the Corporation the sums as may be due to the corporation for the services, if any, rendered by the corporation to the contractor and such other sum or sums as may become payable to the corporation as per the terms and conditions of contract, such payment to be made at such manner as it provided in the contract.

4 **Arbitration Clause:**

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussions, then it shall be binding upon the parties to resolve issue under the provisions of Arbitrations & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time. Under this provision, Chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint Sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by

the decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The Arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The court of Delhi shall have the jurisdiction. Further, if the Contractor is Government Department/Undertaking/CPSEs, the dispute or differences in relation to this tender shall be reformed for adjudication before the Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Dispute (AMRCD).

5 Force Majeure Clause

Due to failure of any of the parties in the performance of the Agreement on the happening of Civil disturbance, War, Act of God and other unforeseeable circumstances beyond the control of any of the parties, the party at default shall not be guilty, if that party serves on the other party, a notice of such circumstances and upon the end of the above situations, that party will again serve the notice on the other party about the removal of the above mentioned events. The notice shall be issued within 48 hours from the happening/ cessation of the event.

6 Amendment clause:

“Any terms or conditions of the present Agreement may be modified or amended by written agreement between the Parties”.

7 Confidentiality Clause:

The Parties shall during the term of this Agreement and at any time after its expiration or earlier termination, treat as absolutely confidential all knowledge and information exchanged between the parties. The parties to the extent of their respective rights to do so shall exchange such technical information and data as is reasonably required of each party to perform its responsibilities under this Agreement.

Each party agrees to keep in confidence and to use the same degree of care as it uses with respect to its own proprietary data to prevent the disclosure to third parties of all technical information, data and confidential business information (Hereinafter called DATA)

Data exchanged by the parties under this Agreement shall not be used for any other purpose, except for the purpose set out under this Agreement.

The preceding provisions of confidentiality and restriction on use of data shall not apply to:-

- Information in the public domain or information which subsequently enters into public domain without committing breach of this Clause.
- Information in possession of the party at the time of disclosure and which was not acquired, directly or indirectly from the other party
- Information which a party is required to disclose under law, rules or regulations to any judicial or other authorities.

Termination Clause

NSC without prejudice to any other contractual rights and remedies available to it, may by written notice of default sent to the Contractor, terminate the contract in whole or in part, if the contractor fails to performs its contractual obligations as per the terms and conditions of the contract.

In the event of NSC terminates the contract in whole or part, NSC may procure goods/services similar to those cancelled with such terms and conditions and in such manner as it deems fit at the “Risk and Cost” of the contractor. The contractor shall be liable to NSC for extra expenditure, if incurred by NSC for arranging such procurement.

Warranties:

The contractor warrants that all ----- shall be free from defects in materials and workmanship for a period of **One Year** from the date of installation. Any defects discovered within the period shall be promptly rectified by the contractor at no additional cost to the corporation.

Limitation of Liability:

In no event shall either party be liable to the other party for any indirect, consequential, special or punitive damage arising out of or relating to this Contract, including but not limited to loss of profits, loss of business, or loss of goodwill, whether in contract, tort (including negligence), or otherwise.

Indemnification:

The contractor agrees to indemnify, defend and hold harmless the Corporation and its officers, directors, employee, and agents from and against any and all claims, liabilities, damages, losses, costs, and expenses, including reasonable attorneys' fees, arising out of or relating to the breach of any provision of this Contract.

In witness where of the parties hereto have signed on the date respectively set under their signatures.

SIGNED AND DELIVERED FOR AND ON BEHALF OF

In the presence of:-

Witness 1 _____.

2 _____.

SIGNED AND DELIVERED FOR AND ON BEHALF OF NATIONAL SEEDS CORPORATION
LIMITED

In the presence of :-

Witness 1 _____.

2 _____.

Annexure-A-1

Affidavit Certificate

(To be submitted in original by bidder on non-judicial stamp paper of Rs 100/-(Rupees Hundred only) duly attested by notary Public).

I /We _____(Name, Designation and Address) hereby declaring that my/our firm/Company has not been neither black-listed nor de-barred from participation in tender by any of the Govt. Department/ Organization /PSUs /Institution etc., where I /We had supplied the goods during the last _____years as well as no arbitration case pending in NSC.

Annexure-A-2

I/We have read and understood e-tender Terms & Conditions and I agree to abide by them. I hereby certified that all the information mentioned above & provided by me are true and in case of any information is found to be incorrect, my bid may be treated as rejected by NSC Management. Above information is true to our knowledge and belief.

Name_ Designation ____ Signature of Authorized signatory
Name _____

Designation _____

Name of the Firm/Company _____

Full address _____

stamp _____

Place: _____

Dated: _____

PART – B

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD. SECTION - VII

Annexure-1

(IT IS TO BE SUBMITTED TO NSC IN ONLINE MODE 'PRICE BID')

To,
Regional Manager
National Seeds Corporation Ltd.,
Secunderabad

From-

Sir,

We have examined the prescribed specification and read the Terms & Conditions of E- Tender No. -----, issued under File No -----Dated ----- for **“Supply, Installation, Testing and Commissioning of 202 KVAR Capacity APFC Panel Board with other accessories inclusive of all allied necessary work and Certificates/Permission/NOC from the electrical department at Area office NSC, Madikonda, Warangal”**. Our rates to your specification, Terms & Conditions for below work are mentioned as under: -

S. No.	Particulars	Qty.	Amount
1	Supply of 400A 3 Pole MCCB 50KA L&T Make	1 No's	25600.00
2	Supply of 400A ROM and Spederlinkis L&T Make	1 No's	6000.00
3	Supply APFC Reley L&T Make	1 No's	21500.00
4	Supply of Capacitor Contactors MOC3 L&T Make	2 No's	3724.00
5	Supply of Capacitor Contactors MOC5 L&T Make	1 No's	1974.00
6	Supply of Capacitor Contactors MOC10 L&T Make	1 No's	2513.00
7	Supply of Capacitor Contactors MOC15 L&T Make	1 No's	3423.00
8	Supply of Capacitor Contactors MOC20 L&T Make	2 No's	7882.00
9	Supply of Capacitor Contactors MOC25 L&T Make	5 No's	21595.00
10	Supply of 100A 3 Pole MCCBS L&T Make	8 No's	16520.00
11	Supply of 32A 3 Pole MCB L&T Make	4 No's	3754.00
12	Supply Voltmeter and AMPS meter Set L&T Make	1 No's	10000.00
13	Supply of CT coils Make branded Company	3 No's	3000.00
14	Supply of Capacitors round type Heavy L&T Make	202 KVAR	50500.00
15	Supply of 3.5C X 185 Sq mm Aluminum Arm cable Polycab	10 Mtr.	14750.00
16	Supply of 6C X 2.5 Sq mm Copper Arm cable Polycab	10 Mtr.	4320.00
17	Supply of 185 Sq mm Copper Aluminum Lugs Polycab	8 No's	1000.00

18	Supply of 400 A Aluminum Bus Bar L&T Make	As per requirement	40000.00
19	Supply of 16 SWG CRAC Powder Coated Panels	As per requirement	60000.00
20	Transport Charges of all above items	L.S	3000.00
21	Assembling of all supplied items, Fixing on Vertical Stand type on floor with required all civil work, Testing and Commissioning etc Charges.	L.S	8000.00
Total =			3,09,055.00
GST 18%=			55,629.90.00
R. off=			+0.10
Grand Total=			3,64,685.00
In Word: Three Lakh Sixty-Four Thousand Six Hundred Eighty-Five Rupees Only.			

The rate shall include the cost of all labour, material, equipment, transport (loading, unloading and lifting). Quantities and number of above works may increase or decrease.

I/We hereby tender for Grand Total of value. My/our rates ----- % (percent) above the rate.	
I/We here by tender for Grand Total of Value. My/our rates ----- % (percent) below the rate.	

All taxes i.e. GST bear by contractor/firm.

We agree to the terms and conditions specified in the tender no It is certified that the price quoted is reasonable and not higher than the price usually charged for the same nature to the other work.

Name_____

Designation _____

Name of the Firm/Company _____

Full address _____

Place: _____

Dated: _____

Rubber stamp_____



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय: सिकंदराबाद

(CIN NO: U 74899 DL 1963 GOI 003913)



ई-निविदा

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, प्रक्षेत्र कार्यालय, मडिकोंडा, वारंगल में 202 KVAR क्षमता के APFC पैनल बोर्ड एवं अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग सहित सभी आवश्यक संबद्ध कार्यों हेतु।

ई-निविदा दो-बिड प्रणाली (Two Bid System) के अंतर्गत ऑनलाइन प्रस्तुत की जानी है।

ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय : 16.09.2026 को 15:00 बजे तक

ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय : 16.09.2026 को 15:30 बजे

संपर्क विवरण

विवरण	दूरभाष	ई-मेल
क्षेत्रीय कार्यालय – सिकंदराबाद		
क्षेत्रीय प्रबंधक	040-27731152	rm.secunderabad@indiaseeds.com
कनिष्ठ अभियंता (सिविल)	9579817983	Engg.nscsecunderabad@gmail.com
प्रोग्रामर, आई.टी.	9885750587	—
प्रक्षेत्र कार्यालय – वारंगल		
प्रक्षेत्र प्रबंधक	9949996845	warangal@indiaseeds.com
वेबसाइट		www.indiaseeds.com



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

क्षेत्रीय कार्यालय: 17-11, तुकाराम गेट, नॉर्थ लालागुडा
सिकंदराबाद – 500017

अनुक्रमणिका

क्र. सं.	विवरण	पृष्ठ संख्या
1	ई-निविदा आमंत्रण सूचना (NIT)	3
2	भाग-A, अनुभाग-I	4
	ऑनलाइन माध्यम से निविदादाताओं हेतु निर्देश	5-6
3	अनुभाग-II – ई-निविदा हेतु सामान्य नियम एवं दिशा-निर्देश	7-8
4	अनुभाग-III – अनुबंध की सामान्य नियम एवं शर्तें	9-11
	अनुबंध की धाराएँ	12-25
	सुरक्षा संहिता (Safety Code)	26-27
	ठेकेदार श्रम विनियम (Contractor Labour Regulations)	28-32
	अधिनियमों एवं चूकों की सूची	33
5	अनुभाग-IV – संशोधन एवं विघटन/निराकरण कार्य हेतु विनिर्देश एवं शर्तें	34-35
	विद्युत कार्य हेतु अतिरिक्त विनिर्देश	36
	विद्युत उपकरणों के अनुशंसित ब्रांड/निर्माता	37-38
6	अनुभाग-V – तकनीकी बोली का प्रारूप	39
7	अनुभाग-VI – अनुबंध/करार का प्रारूप	40-42
	शपथ-पत्र (Affidavit)	43
8	भाग-B	44
	अनुभाग-VII – मूल्य बोली (Price Bid) का प्रारूप	45-46



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का एक उपक्रम)

क्षेत्रीय कार्यालय: सिकंदराबाद – 500017

सं.: अभि. 1(04)/विद्युत-WGL/रा.बी.नि.: HYD/2026-27

दिनांक: 25.08.2026

ई-निविदा आमंत्रण सूचना

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSC), क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद – 500017 (तेलंगाना) द्वारा दो-बिड प्रणाली (Two-Bid System) के अंतर्गत प्रतिष्ठित विद्युत ठेकेदारों से ऑनलाइन ई-निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदादाता का तेलंगाना राज्य विद्युत विभाग में पंजीकृत होना तथा वैध विद्युत ठेकेदार लाइसेंस धारक होना आवश्यक है। कार्य का विवरण निम्नानुसार है: “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, प्रक्षेत्र कार्यालय, मडिकोंडा, वारांगल में 202 KVAR क्षमता के APFC पैनल बोर्ड एवं अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग तथा विद्युत विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र/अनुमतियाँ/NOC प्राप्त करने सहित सभी आवश्यक संबद्ध कार्य।”

कार्य का विवरण

क्र. सं.	कार्य का नाम	कार्य का कुल मूल्य	EMD	निविदा दस्तावेज की लागत	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1.	202 KVAR क्षमता के APFC पैनल बोर्ड एवं अन्य सहायक उपकरणों की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग तथा विद्युत विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र/अनुमतियाँ/NOC, यदि आवश्यक हो, प्राप्त करने सहित सभी आवश्यक संबद्ध कार्य।	₹3,64,685.00	₹18,500.00	₹1,180.00 (18% GST सहित)	1 माह

ई-निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय: 16.09.2026 को 15:00 बजे तक

ई-निविदा खोलने की तिथि एवं समय: 16.09.2026 को 15:30 बजे

नियम एवं शर्तें

- निविदा दस्तावेज प्रतिभागिता हेतु NSC ई-पोर्टल <https://indiaseeds.eproc.in> पर दिनांक 16.09.2026 को 15:00 बजे तक उपलब्ध रहेगा।
- निविदादाताओं द्वारा EMD राशि एवं निविदा दस्तावेज की लागत ई-निविदा के साथ ऑनलाइन जमा की जानी होगी।
- मूल्य बोली (Price Bid) तकनीकी बोलियों की जांच एवं मूल्यांकन के उपरांत उपयुक्त तिथि एवं समय पर खोली जाएगी।
- निविदादाताओं द्वारा तकनीकी बोली (Technical Bid) एवं मूल्य बोली (Price Bid) दोनों को निविदा दस्तावेज के भाग-A में दिए गए निविदादाताओं हेतु निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- निर्धारित EMD एवं निविदा दस्तावेज की लागत के बिना अथवा निविदा दस्तावेज में दिए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई निविदाएँ निरस्त किए जाने योग्य होंगी।
- NSIC में उद्धृत वस्तु/कार्य हेतु पंजीकृत एवं वैध पंजीकरण रखने वाले सूक्ष्म एवं लघु उद्यम (MSEs) को लागू शर्तों के अधीन निविदा दस्तावेज की लागत एवं EMD जमा करने से छूट प्रदान की जाएगी। MSEs को सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (MSEs) हेतु सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के अनुसार खरीद वरीयता का लाभ प्राप्त होगा, बशर्ते लागू नियमों के अनुसार वैध उद्यम पंजीकरण संख्या/Udyog Aadhaar Memorandum (UAM) प्रस्तुत किया गया हो। ऐसा न करने पर संबंधित बोलीदाता लागू MSME सार्वजनिक खरीद नीति के अंतर्गत उपलब्ध लाभ प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
- सफल निविदादाता को ₹100/- के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर (Non-Judicial Stamp Paper) पर राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के साथ करार/अनुबंध (Agreement) निष्पादित करना होगा।
- निगम को किसी भी या सभी निविदाओं को बिना कोई कारण बताए स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है। इस संबंध में निगम का निर्णय सभी निविदादाताओं के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

क्षेत्रीय प्रबंधक

भाग -क

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

अनुभाग – I

निविदादाताओं हेतु निर्देश – ऑनलाइन माध्यम निविदादाताओं हेतु ऑनलाइन निर्देश

1. निविदादाताओं/विक्रेताओं/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों को राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड द्वारा पोर्टल <https://indiaseeds.enivida.com> पर प्रकाशित ई-निविदाओं में भाग लेने हेतु उक्त पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य है। पंजीकरण हेतु ₹2,360/- प्रति वर्ष (सभी करों सहित) शुल्क देय होगा।
2. निविदादाताओं को अपना PAN नंबर, पंजीकरण संबंधी विवरण आदि, जैसा लागू हो, उपलब्ध कराना तथा संबंधित दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक है। पूर्ण विवरण प्रस्तुत किए जाने के पश्चात ही User ID सक्रिय की जाएगी। सक्रियण प्रक्रिया में न्यूनतम 24 कार्य घंटे लग सकते हैं। सहायता हेतु ई-मेल: enividahelpdesk@gmail.com
3. निविदादाता के पास एक वैध ई-मेल आईडी एवं मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
4. निविदादाताओं को अपनी कंपनी के विवरण के अनुसार Class-3 Digital Signature Certificate (DSC) – Signing एवं Encryption प्राप्त करना आवश्यक है।
5. एक बार निविदादाता का DSC किसी User ID के साथ मैप हो जाने के बाद, उसी DSC का उपयोग उसी पोर्टल पर किसी अन्य User ID के लिए नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मौजूदा User ID से DSC को un-map करने के पश्चात निविदादाता उसे किसी अन्य User ID के साथ मैप कर सकता है।
6. User ID सक्रिय होने तथा DSC मैप होने के बाद निविदादाता इस पोर्टल पर लॉगिन करके ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है।
7. निविदादाता आवश्यक दस्तावेजों को निविदा प्रस्तुत करने से पहले ही “My Documents” में अपलोड कर सकते हैं। निविदा में भाग लेते समय निविदा की आवश्यकताओं के अनुसार इन दस्तावेजों को संलग्न किया जा सकता है। इससे बोली प्रस्तुत करने में लगने वाला समय कम होगा तथा दस्तावेज अपलोड करने की प्रक्रिया सुगम होगी।
8. निविदादाताओं को डाउनलोड किए गए निविदा दस्तावेजों का पूर्ण रूप से अध्ययन करना चाहिए तथा विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार सभी आवश्यक बोली दस्तावेज तैयार कर पोर्टल पर अपलोड करने चाहिए।
9. इच्छित निविदा का चयन करने के पश्चात निविदादाता को प्रत्येक निविदा के लिए ₹550/- का निविदा प्रसंस्करण शुल्क (Tender Processing Fee), जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) है, Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करना होगा। इसके पश्चात निविदादाता निविदा दस्तावेज आदि डाउनलोड कर सकता है। आवश्यक शुल्क जमा करने के पश्चात निविदा की स्थिति “Form Received” प्रदर्शित होगी। इससे निविदा दस्तावेज में कोई Corrigendum जारी होने की स्थिति में ई-निविदा पोर्टल द्वारा निविदादाता को ई-मेल के माध्यम से सूचित किया जा सकेगा।
10. निविदादाताओं को बोली में दें उद्धृत करने से पूर्व पूर्ण BOQ/SOQ/Price Bid/Financial Bid तथा नियम एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की सलाह दी जाती है।
11. BOQ/SOQ/Price Bid/Financial Bid Template में किसी भी प्रकार का संशोधन अथवा प्रतिस्थापन स्वीकार्य नहीं होगा। निविदादाताओं को केवल निर्धारित Fields में ही दें उद्धृत करनी होंगी तथा Bid Sheet को Save करना होगा। Save करने के पश्चात उसी Bid Sheet को पोर्टल पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
12. निविदादाताओं को निविदा दस्तावेज में उल्लिखित सभी आवश्यक भुगतान, जैसे निविदा शुल्क (Tender Fee), EMD, Tender Processing Fee आदि, बोली प्रस्तुत करने से पूर्व जमा करना अनिवार्य है।
13. निविदादाताओं को दस्तावेज अपलोड करने के लिए PDF Format का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। केवल Price Bid Sheet Excel Format में होगी।
14. निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वे निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि से कम से कम एक सप्ताह पूर्व पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें तथा ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया का प्रशिक्षण/अभ्यास कर लें। पंजीकरण एवं निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के लिए निविदादाता वेबसाइट पर उपलब्ध संबंधित Manuals का संदर्भ ले सकते हैं। स्थानीय समस्याओं, जैसे Internet Connectivity, PC Speed आदि के कारण ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करने में होने वाली किसी भी प्रकार की देरी अथवा कठिनाई

- के लिए निविदा आमंत्रित करने वाला प्राधिकरण/विभाग जिम्मेदार नहीं होगा।
15. निविदादाताओं द्वारा ऑफलाइन माध्यम से बोली/दस्तावेज/दरें किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं की जाएंगी।
 16. बोली को अंतिम रूप से प्रस्तुत करने के पश्चात पोर्टल द्वारा Confirmation Message एवं Bid Submission Acknowledgement जारी किया जाएगा। Bid Submission Acknowledgement में प्रस्तुत किए गए सभी दस्तावेजों का विवरण, Bid Summary, Token Number, बोली प्रस्तुत करने की तिथि एवं समय तथा अन्य संबंधित विवरण शामिल होंगे। निविदादाता उक्त Acknowledgement का प्रिंट सुरक्षित रख सकता है।
 17. यदि निविदादाता अपनी बोली को पुनः प्रस्तुत (Resubmit) करता है, तो उसे यह सुनिश्चित करना होगा कि सभी आवश्यक दस्तावेज एवं Financial Bid उपलब्ध हैं तथा बोली को पुनः Submit करना होगा। पुनः Submit करने के पश्चात पोर्टल पर बोली अपडेट हो जाएगी।
 18. बोली प्रस्तुत करने का अर्थ है कि बोली ऑनलाइन Save/Submit हो गई है; हालांकि, सिस्टम बोली की शुद्धता अथवा पूर्णता की पुष्टि नहीं करता है। बोली की शुद्धता एवं स्वीकार्यता का निर्णय केवल निविदा आमंत्रित करने वाले प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।
 19. पोर्टल के Server पर प्रदर्शित समय भारतीय मानक समय (IST), GMT +5:30 होगा और निविदा से संबंधित सभी गतिविधियों के लिए यही समय मान्य होगा। निविदादाताओं को बोली प्रस्तुत करते समय Server Time को ध्यान में रखना अनिवार्य है।
 20. निविदादाताओं/विक्रेताओं/ठेकेदारों द्वारा पोर्टल पर दर्ज किए गए बोली दस्तावेज Client End पर Encrypt किए जाएंगे तथा डेटा की सुरक्षा एवं गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए Software में PKI Encryption Technology का उपयोग किया जाता है। प्रस्तुत किए गए बोली दस्तावेज/डेटा केवल निविदा खोलने के पश्चात अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही पठनीय होंगे।

तकनीकी सहायता (Technical Support)

फोन: 9355030617, 8448288980

दूरभाष: 011-49606060

ई-मेल: enividahelpdesk@gmail.com

अनुभाग – II

निविदादाताओं हेतु निर्देश

ई-निविदा आमंत्रित करने हेतु सामान्य नियम एवं दिशा-निर्देश

1. ई-निविदाएँ क्षेत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय, सिकंदराबाद द्वारा आमंत्रित की जा रही हैं।
2. ई-निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व ठेकेदार को निविदा में दिए गए विनिर्देशों एवं शर्तों का सावधानीपूर्वक अध्ययन करना चाहिए।
3. निविदा सूचना में निर्धारित अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) ई-निविदा के साथ केवल ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से जमा किया जाना अनिवार्य है। NSIC के साथ MSME के रूप में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को निविदा शुल्क तथा EMD जमा करने से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते वे लागू नियमों एवं शर्तों को पूरा करते हों।
4. निविदादाता को ऑनलाइन ई-निविदा प्रस्तुत करते समय पिछले 2 वर्षों के आयकर रिटर्न (Income Tax Returns) तथा GST, ESI एवं PF पंजीकरण संख्या से संबंधित दस्तावेज संलग्न करना आवश्यक होगा।

5.

निविदा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया:

निविदादाता को निर्धारित अंतिम तिथि एवं समय से पहले अपनी बोली केवल ऑनलाइन माध्यम से प्रस्तुत करनी होगी।

6. इस अनुबंध के संबंध में लागू GST अथवा अन्य कोई भी कर ठेकेदार द्वारा देय होगा।
7. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरें, निविदा की अनुसूची में उल्लिखित अनुमानित लागत के विरुद्ध _____ % अधिक या _____ % कम के रूप में उद्धृत की जानी हैं। निविदा मूल्य के निर्धारण हेतु ठेकेदार द्वारा स्वयं गणना की गई राशि के बजाय अनुमानित लागत के विरुद्ध उद्धृत प्रतिशत दर को सही माना जाएगा।
8. ठेकेदार को अपनी उद्धृत दरें एवं निविदा राशि अंकों एवं शब्दों दोनों में अंकित करनी होगी। प्रत्येक मद की राशि की गणना कर कुल राशि अंकित करना आवश्यक होगा। दरों को पहले शब्दों में तथा उसके ठीक बाद अंकों में लिखा जाना चाहिए। दर को अगली पंक्ति में लिखना स्वीकार्य नहीं होगा।

9. कार्य को पूर्ण करने के लिए निर्धारित अवधि एक माह होगी।

10. निविदा प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों की अवधि तक निविदा स्वीकृति हेतु खुली रहेगी। यदि कोई निविदादाता उक्त अवधि के भीतर अपनी निविदा वापस लेता है अथवा निविदा की नियम एवं शर्तों में ऐसा कोई संशोधन करता है जो विभाग को स्वीकार्य नहीं है, तो निगम को किसी अन्य अधिकार या उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, EMD को जब्त करने का अधिकार होगा।
11. जो निविदादाता उपर्युक्त सभी अथवा किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं अथवा किसी भी दृष्टि से अपूर्ण निविदा प्रस्तुत करते हैं, उनकी निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त किया जा सकता है।
12. किसी भी अतिरिक्त/अलग शर्त के साथ प्रस्तुत की गई ई-निविदा को सरसरी तौर पर निरस्त किया जा सकता है।
13. मोबिलाइजेशन एडवांस (Mobilization Advance) देय नहीं होगा।
14. यदि किसी निविदा में किसी मद/मदों की इकाई दर अवास्तविक, असंतुलित अथवा अत्यधिक असंगत पाई जाती है और निविदादाता द्वारा उसका संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो ऐसी निविदा निरस्त की जा सकती है।
15. ठेकेदार को कार्यस्थल का निरीक्षण/दौरा कर स्वयं को कार्यस्थल की परिस्थितियों, स्थल की पहुंच, कार्य की पूर्ण सीमा एवं प्रकृति, भूमि की स्थिति तथा ले-आउट एवं अनुबंध के सामान्य निष्पादन को प्रभावित करने वाली आपूर्ति संबंधी परिस्थितियों से संतुष्ट करना होगा। इस संबंध में जानकारी के अभाव के आधार पर बाद में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा।
16. अनुबंध की नियम एवं शर्तों, विनिर्देशों अथवा कार्य पूर्ण करने की निर्धारित समय-सारणी में कोई परिवर्तन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ऐसी सशर्त निविदाएँ निरस्त किए जाने योग्य होंगी।
17. ठेकेदार द्वारा उद्धृत दरों में साइट की परिस्थितियों के अनुसार सभी सामग्री, श्रम, औजार, उपकरण, संयंत्र एवं मशीनरी, सेवाएँ, लाइसेंस, कर तथा अन्य सभी संबंधित व्यय सम्मिलित माने जाएंगे।
18. ले-आउट प्लान में दर्शाए गए कार्यस्थल को सभी प्रकार के अवरोधों, ढीले पत्थरों, सामग्री, कूड़े-कचरे एवं अन्य मलबे से साफ करना होगा। सफाई के दौरान पाए जाने वाले अथवा सफाई के कारण उत्पन्न सभी गड्ढों/खोखले स्थानों को मिट्टी से सावधानीपूर्वक भरकर अच्छी तरह दबाया (Rammed) एवं समतल किया जाएगा, जैसा कि प्रभारी अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए।
19. प्रत्येक बिल से 5% की दर से सुरक्षा जमा (Security Deposit) काटी जाएगी। यह राशि कार्य पूर्ण होने की तिथि से दोष दायित्व अवधि (Defect Liability Period) अर्थात् एक वर्ष/12 माह तक सुरक्षा के रूप में निगम के पास रहेगी।
20. दोष दायित्व/गारंटी अवधि के दौरान यदि कोई दोष उत्पन्न होता है, तो संबंधित पक्ष द्वारा उसे बिना किसी अतिरिक्त लागत के, लिखित

अथवा दूरभाष के माध्यम से सूचना दिए जाने के बाद 15 दिनों के भीतर ठीक करना अनिवार्य होगा।

21. इस अनुबंध के संबंध में ठेकेदार की जिम्मेदारी निविदा की स्वीकृति का आदेश (Order of Acceptance) जारी होने की तिथि से प्रारंभ होगी।

22. ठेकेदार को श्रमिकों एवं निर्माण कार्य से संबंधित लागू अधिनियमों के अंतर्गत सभी आवश्यक अभिलेख/रिकॉर्ड संधारित करने होंगे तथा निगम द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करने होंगे।

23. निगम को बिना कोई कारण बताए किसी भी या सभी निविदाओं को अस्वीकार करने का अधिकार होगा। निगम के लिए सबसे कम दर वाली निविदा अथवा किसी भी निविदा को स्वीकार करना अनिवार्य नहीं होगा।

अनुभाग – III

अनुबंध की सामान्य नियम एवं शर्तें

परिभाषाएँ (DEFINITIONS)

1. **अनुबंध (Contract)** से आशय निविदा में शामिल दस्तावेजों एवं उनकी स्वीकृति तथा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की ओर से सक्षम प्राधिकारी एवं ठेकेदार के बीच निष्पादित औपचारिक करार से है। इसमें उल्लिखित दस्तावेज, इन नियम एवं शर्तों, विनिर्देशों, डिजाइन, ड्राइंग तथा समय-समय पर अभियंता द्वारा जारी किए गए निर्देश भी सम्मिलित होंगे। उपर्युक्त सभी दस्तावेजों को सामूहिक रूप से अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा तथा वे एक-दूसरे के पूरक होंगे। **‘नियोक्ता (Employer)’** से आशय राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड से है, जो अपने अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) तथा उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि(यों) के माध्यम से कार्य करेगा। इसमें ठेकेदार को नियुक्त करने वाला तथा उसके विधिक उत्तराधिकारी एवं अनुमत हस्तांतरित व्यक्ति भी सम्मिलित होंगे।

1. अनुबंध में निम्नलिखित शब्दों एवं अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:

(क) **‘कार्य/कार्यों (Works/Work)’** से आशय उन सभी कार्यों से है जिन्हें अनुबंध के अंतर्गत निष्पादित किया जाना है, चाहे वे अस्थायी हों अथवा स्थायी तथा मूल, परिवर्तित, प्रतिस्थापित अथवा अतिरिक्त कार्य हों।

(ख) **‘स्थल (Site)’** से आशय उस भूमि और/या अन्य स्थानों से है, जिस पर, जिसमें अथवा जिसके माध्यम से अनुबंध के अंतर्गत कार्य किया जाना है। इसमें ऐसा कोई निकटवर्ती भू-भाग, रास्ता अथवा सड़क भी शामिल है, जो अनुबंध के कार्य के निष्पादन हेतु आवंटित अथवा उपयोग की जा सकती है।

(ग) **‘ठेकेदार (Contractor)’** से आशय उस व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी से है, चाहे वह निगमित हो अथवा नहीं, जो कार्य के निष्पादन का दायित्व लेती है। इसमें संबंधित व्यक्ति के विधिक व्यक्तिगत प्रतिनिधि, फर्म अथवा कंपनी के गठन में सम्मिलित व्यक्ति, उनके उत्तराधिकारी तथा ऐसे व्यक्ति, फर्म अथवा कंपनी के अनुमत हस्तांतरित व्यक्ति भी शामिल होंगे।

‘निगम’ अथवा **‘NSC’** से आशय **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड** से है।

(घ) **‘अभियंता (Engineer)’** से आशय अभियंता से है तथा इसमें परियोजना प्रबंधक/प्रभारी भी शामिल होंगे, जो कार्य का पर्यवेक्षण एवं प्रभार संभालेंगे, अथवा नियोक्ता द्वारा अनुबंध के संचालन हेतु अधिकृत कोई अन्य पदनाम वाला अधिकारी भी इसमें सम्मिलित होगा।

(ङ) जहाँ संदर्भ की आवश्यकता हो, एकवचन को दर्शाने वाले शब्दों में बहुवचन तथा बहुवचन को दर्शाने वाले शब्दों में एकवचन भी सम्मिलित माना जाएगा।

(च) **‘विनिर्देश (Specification)’** से आशय निविदा में उल्लिखित विनिर्देश तथा समय-समय पर अभियंता द्वारा लिखित रूप में अनुमोदित कोई संशोधन अथवा अतिरिक्त विनिर्देश से है।

(छ) **‘जिला विनिर्देश (District Specification)’** से आशय उस राज्य सरकार द्वारा निर्धारित/अनुसरण किए जाने वाले विनिर्देशों से है, जहाँ कार्य निष्पादित किया जाना है।

(ज) **‘अनुमोदित (Approved)’** का अर्थ लिखित रूप में अनुमोदित तथा **‘अनुमोदन (Approval)’** का अर्थ लिखित अनुमोदन से है।

(झ) **‘निविदा मूल्य (Tendered Value)’** से आशय स्वीकृति पत्र (Letter of Award) में निर्धारित संपूर्ण कार्य के मूल्य से है।

(ञ) **‘बाजार दर (Market Rate)’** से आशय उस दर से है जिसे अभियंता द्वारा कार्य निष्पादन स्थल पर सामग्री एवं श्रम की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाएगा, जिसमें सभी ओवरहेड खर्चों एवं लाभ को सम्मिलित करने हेतु अनुसूची “F” में उल्लिखित प्रतिशत जोड़ा जाएगा।

2. कार्य का दायरा

अनुबंध के अंतर्गत किए जाने वाले कार्य में, जब तक इन शर्तों में अन्यथा प्रावधान न हो, कार्य की तैयारी, पूर्ण एवं समग्र निष्पादन तथा कार्य को पूर्ण करने के लिए आवश्यक सभी श्रम, सामग्री, औजार, संयंत्र, उपकरण एवं परिवहन सम्मिलित होंगे।

मात्राओं की अनुसूची (Schedule-A) में दिए गए विवरण में, जब तक अन्यथा उल्लेख न हो, सामग्री में होने वाली बर्बादी, ढुलाई एवं परिवहन, खाली कंटेनरों की वापसी, उठान, स्थापना, फिटिंग एवं निर्धारित स्थान पर फिक्सिंग तथा कार्य के उचित एवं पूर्ण निष्पादन हेतु आवश्यक सभी अन्य श्रम शामिल माने जाएंगे।

3. निविदादाता द्वारा संतुष्टि

यह माना जाएगा कि ठेकेदार ने निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व कार्य की प्रकृति तथा मात्राओं की अनुसूची में उद्धृत दरों एवं कीमतों की शुद्धता एवं पर्याप्तता के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लिया है। ये दरें एवं कीमतें, जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार के सभी दायित्वों तथा कार्य के उचित निष्पादन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक सभी मामलों एवं कार्यों को समाहित करेंगी।

****विवरणों में विसंगति एवं त्रुटियों का समायोजन**

(DISCREPANCIES AND ADJUSTMENT OF ERRORS) **

4. अनुबंध दस्तावेजों की प्राथमिकता

अनुबंध बनाने वाले विभिन्न दस्तावेजों को एक-दूसरे का पूरक एवं परस्पर व्याख्यात्मक माना जाएगा। विस्तृत ड्रॉइंग को छोटे पैमाने की ड्रॉइंग पर तथा अंकित आयामों को स्केल से प्राप्त आयामों पर प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार, **विशेष शर्तों को सामान्य शर्तों पर प्राथमिकता** प्राप्त होगी।

(i) मात्राओं की अनुसूची, विनिर्देशों और/या ड्रॉइंग के बीच किसी प्रकार की विसंगति होने की स्थिति में निम्नलिखित प्राथमिकता क्रम लागू होगा:

(क) मात्राओं की अनुसूची में कार्य का विवरण (Description of Schedule of Quantities)।

(ख) निर्माता के अनुसार विशेष विनिर्देश एवं विशेष शर्तें।

(ग) ड्रॉइंग।

(घ) CPWD विनिर्देश।

(ङ) भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) के भारतीय मानक विनिर्देश।

(च) यदि अनुबंध का हिस्सा बनने वाले किसी एक दस्तावेज में परस्पर विरोधी अथवा भिन्न प्रावधान हों, तो दस्तावेज के आशय के संबंध में **स्वीकृति प्राधिकारी (Acceptance Authority)** का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा।

(छ) मात्राओं की अनुसूची में किसी विवरण, मात्रा अथवा दर में कोई त्रुटि अथवा किसी मद का छूट जाना, अनुबंध को अमान्य नहीं करेगा और न ही ठेकेदार को ड्रॉइंग एवं विनिर्देशों के अनुसार अनुबंध में सम्मिलित संपूर्ण अथवा किसी भाग के कार्य को निष्पादित करने या अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी दायित्व से मुक्त करेगा।

5. अनुबंध पर हस्ताक्षर (SIGNING OF CONTRACT)

स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा निविदा स्वीकार किए जाने के पश्चात सफल ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने की निर्धारित तिथि से **7 दिनों के भीतर** अनुबंध पर हस्ताक्षर करना होगा। अनुबंध में निम्नलिखित दस्तावेज सम्मिलित होंगे:

(I) निविदा आमंत्रण सूचना, निविदा आमंत्रण के समय जारी किए गए सभी दस्तावेज, जिसमें ड्रॉइंग, यदि कोई हो, तथा उनकी स्वीकृति, साथ ही उससे संबंधित समस्त पत्राचार शामिल होंगे।

(II) अनुसूची "F" में निर्धारित तिथि तक संशोधित विभिन्न मानक धाराएँ तथा उनके साथ संलग्न परिशिष्ट।

(क) NSC द्वारा नियोजित श्रमिकों अथवा ठेकेदार के श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा एवं स्वच्छता व्यवस्था हेतु मॉडल नियम

(ख) ठेकेदार श्रम विनियम

(ग) उन अधिनियमों एवं चूकों की सूची, जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है

अयोग्यता की शर्तें (DISQUALIFICATION CONDITIONS)

1. ऐसे निविदादाता जो NSCL अथवा केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (PSU) द्वारा **ब्लैकलिस्ट** अथवा अन्यथा प्रतिबंधित (Debarred) किए गए हैं, वे ब्लैकलिस्टिंग/प्रतिबंध की अवधि के दौरान निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे।
2. ऐसे किसी निविदादाता का अनुबंध, जो राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड अथवा केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के साथ रहा हो और जिसे पिछले दो वर्षों के दौरान अनुबंध अवधि समाप्त होने से पहले किसी भी समय समाप्त कर दिया गया हो, ऐसा निविदादाता निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य होगा।
3. ऐसे निविदादाता जिनकी EMD अथवा Performance Security/Security Deposit (PS/SD) राशि पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड अथवा केंद्र/राज्य सरकार के किसी विभाग या किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम द्वारा जब्त (Forfeited) की गई हो, वे निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य होंगे।
4. यदि निविदादाता फर्म के स्वामी/किसी साझेदार अथवा निविदादाता कंपनी के किसी निदेशक को किसी न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिए कभी दोषसिद्ध किया गया हो और तीन वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास की सजा दी गई हो, तो ऐसा निविदादाता निविदा में भाग लेने के लिए अयोग्य होगा।
5. उपर्युक्त किसी भी खंड के अंतर्गत अयोग्यता पर विचार करते समय, यदि ऐसी कोई अयोग्यता किसी भी क्षमता में उत्पन्न हुई हो—चाहे वह स्वामी, साझेदार, फर्म के सदस्य अथवा कंपनी के निदेशक के रूप में हो—तो ऐसी स्थिति में संबंधित निविदादाता को अयोग्य माना जाएगा।

आइटम रेट निविदा (ITEM RATE TENDER)

मैं/हम, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (भारत सरकार का एक उपक्रम), सिकंदराबाद द्वारा नीचे दिए गए ज्ञापन में वर्णित कार्य को, उसमें निर्धारित समय-सीमा के भीतर, उसमें उल्लिखित दरों पर तथा सभी प्रकार से निविदा दस्तावेज में संदर्भित विनिर्देशों, डिजाइन, ड्राइंग एवं लिखित निर्देशों के अनुसार निष्पादित करने हेतु निविदा प्रस्तुत करता/करते हूँ/हैं। मैं/हम यह कार्य सामान्य नियम एवं दिशा-निर्देशों तथा लागू शर्तों के अनुरूप, निर्धारित सामग्री का उपयोग करते हुए सभी प्रकार से पूर्ण करने का वचन देता/देते हूँ/हैं।

ज्ञापन (Memorandum)

(क) सामान्य विवरण (General Description):

(ख) अनुमानित लागत (Estimated Cost):

(ग) अर्नेस्ट मनी (Earnest Money):

(घ) सुरक्षा जमा (Security Deposit):

निविदा सूचना के अनुसार

मैं/हमने कार्य से संबंधित निविदा सूचना, अनुसूचियों, लागू विनिर्देशों, सामान्य नियम एवं दिशा-निर्देशों, नियम एवं शर्तों, दरों की अनुसूची तथा निविदा दस्तावेज में उल्लिखित अन्य दस्तावेजों एवं नियमों को पढ़ एवं भली-भांति समझ लिया है।

निविदा की वैधता निविदा खोलने की तिथि से 90 दिनों की अवधि के लिए होगी।

सुरक्षा जमा निष्पादित कार्य के बिलों से 5% की दर से कटौती करके वसूल की जाएगी, जब तक कि अर्नेस्ट मनी के रूप में जमा राशि सहित कुल राशि अनुबंध मूल्य के 5% के बराबर न हो जाए। उक्त कुल राशि को सुरक्षा जमा के रूप में माना जाएगा।

यदि यह निविदा पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, तो मैं/हम निम्नलिखित के लिए सहमत हूँ/हैं:

(1) इस निविदा के साथ संलग्न उक्त नियम एवं शर्तों तथा निविदा आमंत्रण सूचना में निहित सभी लागू नियमों एवं प्रावधानों का पालन एवं अनुपालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। यदि इनका पालन करने में चूक होती है, तो उक्त शर्तों में उल्लिखित राशि को निगम अथवा उसके उत्तराधिकारियों को जन्त/भुगतान करने के लिए उत्तरदायी रहूँगा/रहेंगे।

मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि उक्त निगम अथवा उसके पद पर उत्तराधिकारी, किसी अन्य अधिकार अथवा उपचार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उक्त परफॉर्मेंस गारंटी (Performance Guarantee) को जन्त करने के लिए स्वतंत्र होगा। अन्यथा, उक्त परफॉर्मेंस गारंटी को अनुबंध के निष्पादन की सुरक्षा के रूप में कार्य पूर्ण होने की तिथि से दो माह तक निगम के पास रखा जाएगा। अर्नेस्ट मनी को भी उपरोक्त खंड (घ) में उल्लिखित सुरक्षा जमा के रूप में निगम द्वारा अपने पास रखा जाएगा।

निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित सभी कार्यों को उनमें निहित अथवा संदर्भित नियम एवं शर्तों के अनुसार निष्पादित करने तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेशित विचलन (Deviations) को निष्पादित करने के लिए सहमत हूँ/हैं, जो निविदा में उद्धृत दरों पर अधिकतम 100% तक हो सकते हैं। उक्त सीमा से अधिक विचलन के लिए दरें आपसी सहमति से निर्धारित प्रावधानों के अनुसार तय की जाएंगी।

दिनांक (Dated): _____

ठेकेदार के हस्ताक्षर (Signature of Contractor):

नाम एवं फर्म का नाम:

मुहर:

अनुबंध की धाराएँ (CLAUSES OF CONTRACT)

धारा-1 : कार्य निष्पादन गारंटी (PERFORMANCE GUARANTEE)

1. ठेकेदार को अनुबंध के अन्यत्र उल्लिखित किसी अन्य जमा राशि के अतिरिक्त, अनुबंध/करार के उचित निष्पादन हेतु स्वीकृत अनुबंध राशि के 5% (पाँच प्रतिशत) की अपरिवर्तनीय कार्य निष्पादन गारंटी (Performance Guarantee) प्रस्तुत करनी होगी। यह गारंटी निविदा स्वीकृति पत्र (Letter of Acceptance) जारी होने की तिथि से अनुसूची “F” में निर्धारित अवधि के भीतर प्रस्तुत करनी होगी।

यह प्रावधान अनुबंध में उल्लिखित अन्य किसी प्रावधान को प्रभावित किए बिना लागू होगा। यदि ठेकेदार द्वारा Performance Guarantee प्राप्त करने में देरी के कारणों को बताते हुए लिखित अनुरोध किया जाता है और अभियंता उन कारणों से संतुष्ट होता है, तो अभियंता अनुसूची “F” में निर्धारित अधिकतम अवधि तक इस समय-सीमा को आगे बढ़ा सकता है।

यह गारंटी निम्नलिखित रूप में दी जा सकती है:

- नकद, यदि गारंटी की राशि ₹10,000/- से कम हो; अथवा
- किसी अनुसूचित बैंक की Demand Draft/Pay Order, यदि गारंटी की राशि ₹1,00,000/- तक हो।

(क) Performance Guarantee Bond, निविदा दस्तावेज के साथ संलग्न निर्धारित प्रारूप के अनुसार Demand Draft अथवा Bank Guarantee के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। Bank Guarantee किसी अनुसूचित बैंक द्वारा राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के पक्ष में जारी की जानी चाहिए। Bank Guarantee के साथ बैंक द्वारा अपने Letter Head पर जारी Forwarding Letter भी संलग्न होना चाहिए।

(ख) Performance Guarantee प्रारंभ में कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि तक तथा उसके अतिरिक्त 60 दिनों तक वैध होनी चाहिए। यदि कार्य पूर्ण करने की अवधि बढ़ाई जाती है, तो ठेकेदार को Performance Guarantee की वैधता भी कार्य पूर्ण करने की बढ़ी हुई अवधि को कवर करने के लिए बढ़ानी होगी।

सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्य का Completion Certificate दर्ज किए जाने के पश्चात Performance Guarantee ठेकेदार को बिना किसी ब्याज के वापस कर दी जाएगी।

(ग) अभियंता Performance Guarantee के अंतर्गत केवल उतनी ही राशि की मांग करेगा, जितनी राशि के लिए निगम अनुबंध के अंतर्गत हकदार है। यह मांग निम्नलिखित परिस्थितियों में की जा सकती है:

- (i) यदि ठेकेदार उपर्युक्त प्रावधान के अनुसार Performance Guarantee की वैधता अवधि बढ़ाने में विफल रहता है, तो अभियंता Performance Guarantee की पूरी राशि का दावा कर सकता है।
- (ii) यदि ठेकेदार द्वारा अभियंता द्वारा इस संबंध में नोटिस दिए जाने के 30 दिनों के भीतर NSC को देय कोई राशि, चाहे वह ठेकेदार द्वारा स्वीकार की गई हो अथवा अनुबंध की किसी धारा/शर्त के अंतर्गत निर्धारित की गई हो, का भुगतान नहीं किया जाता है।

2. यदि अनुबंध को अनुबंध की किसी धारा/शर्त के प्रावधानों के अंतर्गत समाप्त (Determined) अथवा निरस्त (Rescinded) किया जाता है, तो Performance Guarantee की पूरी राशि जब्त (Forfeit) कर ली जाएगी और वह पूर्णतः अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) के अधिकार में होगी।

धारा 1-A : सुरक्षा जमा की वसूली (RECOVERY OF SECURITY DEPOSIT)

जिस व्यक्ति/व्यक्तियों की निविदा स्वीकार की जाती है (जिसे आगे ‘ठेकेदार’ कहा जाएगा), वह/वे राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (जिसे आगे ‘नियोक्ता’ कहा जाएगा) को अनुबंध के अंतर्गत किए गए कार्य के लिए प्रत्येक भुगतान के समय प्रत्येक Running Bill की सकल राशि के 5% की दर से कटौती करने की अनुमति देगा/देंगे।

यह कटौती तब तक की जाएगी जब तक कि इस प्रकार काटी गई राशि तथा पहले से जमा Earnest Money को मिलाकर कार्य के निविदा मूल्य के 5% के बराबर सुरक्षा जमा न हो जाए। सुरक्षा जमा की अधिकतम सीमा ₹5,00,000/- (पाँच लाख रुपये मात्र) होगी।

इस अनुबंध की शर्तों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा देय सभी क्षतिपूर्ति अथवा अन्य धनराशि उसकी सुरक्षा जमा राशि से, अथवा उससे प्राप्त ब्याज से, अथवा ठेकेदार को किसी भी खाते में देय अथवा भविष्य में देय होने वाली किसी राशि से काटी जा सकती है।

यदि इस प्रकार की कटौती अथवा बिक्री के कारण ठेकेदार की सुरक्षा जमा राशि कम हो जाती है, तो ठेकेदार को 10 दिनों के भीतर नकद अथवा अन्य स्वीकृत माध्यम से सुरक्षा जमा की कमी को पूरा करना होगा।

सुरक्षा जमा की शेष राशि ठेकेदार के Running Bills से उपर्युक्त दर से काटी जाएगी तथा यदि निविदा के समय Earnest Money नकद के रूप में जमा की गई है, तो उसे भी सुरक्षा जमा के एक भाग के रूप में माना जाएगा।

नोट-1

सुरक्षा के रूप में प्रस्तुत सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities/Papers) को उनके बाजार मूल्य से 5% (पाँच प्रतिशत) कम अथवा

अंकित मूल्य (Face Value), जो भी कम हो, उस मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार मूल्य अभियंता द्वारा ब्याज वसूल किए जाने के समय निर्धारित किया जाएगा। सरकारी प्रतिभूति के मूल्य में कमी की स्थिति में, आवश्यक होने पर उस कमी के बराबर ब्याज की राशि रोक ली जाएगी।

नोट-2

सरकारी प्रतिभूतियों (Government Securities) में G.F. Rules के Rule No. 274 में उल्लिखित सभी प्रकार की प्रतिभूतियाँ शामिल होंगी, Fidelity Bond को छोड़कर।

यह संबंधित प्रतिभूति के प्रकार के सामने उक्त नियम में उल्लिखित शर्तों के अनुपालन के अधीन होगा।

धारा-2 : विलंब के लिए परिसमाप्त हर्जाना (LIQUIDATED DAMAGES FOR DELAY)

यदि ठेकेदार धारा-5 के अनुसार निर्धारित कार्य पूर्णता अवधि के भीतर संपूर्ण कार्य अथवा, जहां लागू हो, कार्य के किसी भाग को निर्धारित समय में पूरा करने तथा कार्यस्थल को खाली/साफ करने में विफल रहता है, तो सिविल कार्यों के पूर्ण होने में विलंब की स्थिति में ठेकेदार से अनुबंध मूल्य के 0.5% (आधा प्रतिशत) प्रति सप्ताह की दर से Liquidated Damages (LD) वसूल किया जाएगा।

हालांकि, Liquidated Damages की अधिकतम सीमा अनुबंध मूल्य के 10% (दस प्रतिशत) तक होगी।

ऐसे हर्जाने की राशि की कटौती/भुगतान करने से ठेकेदार कार्य को पूरा करने के अपने दायित्व अथवा अनुबंध के अंतर्गत अपने किसी अन्य दायित्व एवं उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं होगा।

धारा-3.1 : कार्य का निलंबन (SUSPENSION OF WORK)

ठेकेदार को अभियंता के निर्देशानुसार कार्य की प्रगति अथवा उसके किसी भाग को उस अवधि तक और उस तरीके से निलंबित (Suspend) करना होगा, जैसा कि अभियंता आवश्यक समझे।

निलंबन की अवधि के दौरान ठेकेदार को अभियंता की राय में आवश्यक सीमा तक कार्य अथवा उसके संबंधित भाग की उचित सुरक्षा एवं संरक्षण सुनिश्चित करना होगा, जब तक कि ऐसा निलंबन निम्नलिखित कारणों से न हो:

(क) अनुबंध में अन्यथा प्रावधान किया गया हो; अथवा

(ख) ठेकेदार की किसी चूक अथवा अनुबंध के उल्लंघन के कारण आवश्यक हुआ हो, जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार हो; अथवा

(ग) कार्यस्थल पर उत्पन्न जलवायु/मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण आवश्यक हुआ हो; अथवा

(घ) कार्य के उचित निष्पादन अथवा कार्य या उसके किसी भाग की सुरक्षा के लिए निलंबन आवश्यक हो।

हालांकि, यदि ऐसी आवश्यकता अभियंता अथवा नियोक्ता के किसी कार्य/चूक अथवा उप-धारा 3.1 में परिभाषित किसी जोखिम के कारण उत्पन्न हुई हो, तो उप-धारा 3.2 लागू होगी।

धारा-3.2 : कार्य के निलंबन के पश्चात निर्धारण

(DETERMINATION FOLLOWING SUSPENSION)

जहाँ उप-धारा 3.1 के अंतर्गत कार्य निलंबित किया गया हो, वहाँ अभियंता, नियोक्ता से परामर्श करने के पश्चात निम्नलिखित का निर्धारण करेगा:

(क) धारा-5 के अंतर्गत ठेकेदार को प्राप्त होने वाली कार्य अवधि में वृद्धि (Extension of Time); तथा

(ख) ऐसे निलंबन के कारण ठेकेदार द्वारा किए गए अतिरिक्त खर्च के संबंध में अनुबंध मूल्य में जोड़ी जाने वाली राशि।

उक्त निर्धारण की सूचना अभियंता द्वारा ठेकेदार को दी जाएगी तथा उसकी एक प्रति नियोक्ता को भी भेजी जाएगी।

धारा-4 : धारा-3 के अंतर्गत कार्रवाई न किए जाने पर भी ठेकेदार हर्जाना देने के लिए उत्तरदायी

ऐसे किसी भी मामले में, जिसमें इस अनुबंध की धारा-3 के अंतर्गत अभियंता को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन अभियंता द्वारा उस शक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, तो ऐसी शक्ति का प्रयोग न किया जाना इस अनुबंध की किसी भी शर्त की छूट (Waiver) नहीं माना जाएगा। ऐसी शक्तियाँ भविष्य में ठेकेदार द्वारा किसी भी प्रकार की चूक किए जाने की स्थिति में भी प्रयोग की जा सकेंगी तथा हर्जाने के लिए ठेकेदार का दायित्व अप्रभावित रहेगा।

यदि अभियंता पिछली धारा के अंतर्गत उसे प्राप्त सभी अथवा किसी भी शक्ति का प्रयोग करता है, तो वह, यदि आवश्यक समझे, ठेकेदार को लिखित नोटिस देने के पश्चात कार्यस्थल अथवा कार्य के परिसर में उपलब्ध ठेकेदार के स्वामित्व वाले या ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादन के लिए प्राप्त किए गए तथा कार्य अथवा उसके किसी भाग के निष्पादन हेतु उपयोग किए जाने वाले सभी अथवा किसी भी औजार, संयंत्र, सामग्री एवं भंडारित सामग्री (Stores) को अपने कब्जे में ले सकता है।

अथवा, अभियंता के **पूर्ण विवेकाधिकार** पर, जिसका निर्णय ठेकेदार के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा, वह उक्त औजार, संयंत्र, सामग्री एवं Stores को **किराये पर उपयोग** कर सकता है। ऐसे किराये की राशि भी अभियंता द्वारा अंतिम रूप से निर्धारित की जाएगी। इसके लिए संबंधित राशि का भुगतान/समायोजन अनुबंध में निर्धारित दरों पर किया जाएगा और यदि ऐसी दरें लागू न हों, तो **प्रचलित बाजार दर** पर किया जाएगा। बाजार दर का प्रमाणन अभियंता द्वारा किया जाएगा और इस संबंध में अभियंता का प्रमाणपत्र ठेकेदार के लिए **अंतिम एवं बाध्यकारी** होगा।

अन्यथा, अभियंता लिखित नोटिस द्वारा ठेकेदार, फोरमैन अथवा उसके किसी अन्य अधिकृत प्रतिनिधि को निर्देश दे सकता है कि वह ऐसे औजार, संयंत्र, सामग्री अथवा Stores को नोटिस में निर्धारित समय के भीतर **परिसर से हटा ले**।

यदि ठेकेदार ऐसे किसी निर्देश/मांग का अनुपालन करने में विफल रहता है, तो अभियंता उक्त औजार, संयंत्र, सामग्री अथवा Stores को **ठेकेदार के खर्च पर स्वयं हटवा सकता है**, अथवा उन्हें **नीलामी या निजी बिक्री** के माध्यम से ठेकेदार के खाते एवं उसके पूर्ण जोखिम पर बेच सकता है।

ऐसी किसी भी सामग्री को हटाने में हुए खर्च तथा ऐसी बिक्री से प्राप्त राशि एवं बिक्री पर हुए खर्च के संबंध में **अभियंता का प्रमाणपत्र ठेकेदार के विरुद्ध अंतिम एवं निर्णायक** होगा।

धारा-5 : कार्य पूर्ण करने हेतु समयावधि में विस्तार (EXTENSION OF TIME FOR COMPLETION)

1. निम्नलिखित परिस्थितियों में:

(क) अतिरिक्त अथवा अतिरिक्त प्रकार के कार्य की मात्रा अथवा प्रकृति के कारण; अथवा

(ख) असाधारण रूप से प्रतिकूल जलवायु/मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण; अथवा

(ग) नियोक्ता (Employer) द्वारा किसी प्रकार की देरी, बाधा अथवा कार्य में रुकावट के कारण; अथवा

(घ) ठेकेदार की किसी चूक अथवा अनुबंध के उल्लंघन के कारण उत्पन्न न होने वाली अथवा जिसके लिए ठेकेदार जिम्मेदार न हो, ऐसी कोई अन्य विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर, जो ठेकेदार को कार्य अथवा उसके किसी भाग/खंड को पूर्ण करने हेतु समयावधि में विस्तार प्राप्त करने का उचित अधिकार प्रदान करती हो,

अभियंता ऐसे **समय विस्तार की अवधि का निर्धारण** करेगा तथा इसकी सूचना ठेकेदार को देगा और उसकी एक प्रति नियोक्ता को भी भेजेगा।

2. ठेकेदार द्वारा सूचना एवं विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना

यह प्रावधान है कि अभियंता समयावधि में विस्तार के संबंध में कोई निर्धारण करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार:

(क) ऐसी घटना के पहली बार उत्पन्न होने के **28 दिनों के भीतर**, अभियंता को इसकी सूचना न दे तथा उसकी एक प्रति नियोक्ता को न भेजे; और

(ख) ऐसी सूचना दिए जाने के **28 दिनों के भीतर**, अथवा अभियंता द्वारा सहमत किसी अन्य उचित अवधि के भीतर, ठेकेदार द्वारा मांगे गए समय विस्तार के संबंध में **विस्तृत विवरण (Detailed Particulars)** अभियंता को प्रस्तुत न करे, ताकि उस समय ऐसे दावे की जांच की जा सके।

धारा-6 : निष्पादित कार्य का मापन (MEASUREMENTS OF WORK DONE)

मात्राओं की अनुसूची/बिल ऑफ क्वांटिटीज (Bill of Quantities) में दी गई मात्राएँ कार्य की **अनुमानित मात्राएँ** हैं। इन्हें अनुबंध के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले वास्तविक एवं अंतिम कार्य की मात्राएँ नहीं माना जाएगा।

अभियंता, जब तक अन्यथा प्रावधान न हो, अनुबंध की संबंधित धारा के अनुसार कार्य का **मापन करके कार्य के मूल्य का निर्धारण** करेगा। जब अभियंता को कार्य के किसी भाग का मापन करना आवश्यक होगा, तो वह ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि को उचित सूचना देगा। ठेकेदार का अधिकृत प्रतिनिधि:

(क) तत्काल स्वयं उपस्थित होगा अथवा किसी योग्य प्रतिनिधि को अभियंता के साथ मापन में सहायता करने के लिए भेजेगा; और

(ख) अभियंता द्वारा मांगे गए सभी आवश्यक विवरण उपलब्ध कराएगा।

यदि ठेकेदार स्वयं उपस्थित नहीं होता अथवा अपने प्रतिनिधि को भेजने में उपेक्षा/चूक करता है, तो अभियंता द्वारा किया गया अथवा उसके द्वारा अनुमोदित मापन संबंधित कार्य भाग का **सही मापन** माना जाएगा।

ऐसे स्थायी कार्यों के मापन के लिए, जिनका मापन अभिलेखों एवं ड्राइंग के आधार पर किया जाना है, अभियंता कार्य की प्रगति के साथ-साथ आवश्यक **अभिलेख एवं ड्राइंग** तैयार करेगा।

जब ठेकेदार को लिखित रूप से ऐसा करने के लिए कहा जाएगा, तो ठेकेदार **14 दिनों के भीतर** अभियंता के साथ उक्त अभिलेखों एवं ड्राइंग की जांच एवं सहमति हेतु उपस्थित होगा तथा सहमति होने पर उन पर हस्ताक्षर करेगा।

यदि ठेकेदार अभिलेखों एवं ड्राइंग की जांच एवं सहमति के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो उन्हें **सही माना जाएगा**।

यदि अभिलेखों एवं ड्रॉइंग की जांच करने के बाद ठेकेदार उनसे सहमत नहीं होता अथवा सहमति के रूप में उन पर हस्ताक्षर नहीं करता है, तब भी उन्हें सही माना जाएगा, जब तक कि ठेकेदार ऐसी जांच की तिथि से **14 दिनों के भीतर** अभियंता को लिखित सूचना देकर यह स्पष्ट नहीं करता कि उक्त अभिलेखों एवं ड्रॉइंग में कौन-कौन से विवरण उसके अनुसार गलत हैं।

ऐसी सूचना प्राप्त होने पर अभियंता अभिलेखों एवं ड्रॉइंग की पुनः समीक्षा करेगा तथा उन्हें **यथावत पुष्टि या संशोधित** करेगा।

अनुबंध में अन्यथा प्रावधान होने को छोड़कर, कार्य का मापन किसी सामान्य अथवा स्थानीय प्रथा की परवाह किए बिना **शुद्ध (Net) मात्रा** के आधार पर किया जाएगा।

धारा-7.1 : पूर्णता प्रमाण-पत्र एवं कार्य पूर्णता योजना

(COMPLETION CERTIFICATE AND COMPLETION PLAN)

कार्य पूर्ण होने के **10 दिनों के भीतर**, ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने की सूचना अभियंता को देनी होगी।

ऐसी सूचना प्राप्त होने के **30 दिनों के भीतर**, अभियंता कार्य का निरीक्षण करेगा।

यदि कार्य में कोई दोष नहीं पाया जाता है, तो अभियंता ठेकेदार को **कार्य के भौतिक रूप से पूर्ण होने का प्रमाण-पत्र (Certificate of Physical Completion)** जारी करेगा।

यदि कार्य में कोई दोष पाया जाता है, तो **अंतिम पूर्णता प्रमाण-पत्र (Provisional Certificate of Completion)** जारी किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित दोषों का उल्लेख होगा:

(क) ऐसे दोष जिन्हें ठेकेदार द्वारा ठीक किया जाना है; और/या

(ख) ऐसे दोष/कार्य जिनके लिए **कम दरों (Reduced Rates)** पर भुगतान किया जाएगा।

हालांकि, जब तक ठेकेदार निम्नलिखित कार्य पूरे नहीं कर देता, तब तक न तो पूर्णता प्रमाण-पत्र, चाहे वह अंतिम हो अथवा अंतिम, जारी किया जाएगा और न ही कार्य को पूर्ण माना जाएगा:

1. कार्यस्थल से सभी **Scaffolding (मचान)** हटाना;
2. सभी अतिरिक्त/अधिशेष सामग्री (Surplus Materials) हटाना;
3. सभी प्रकार का मलबा एवं कूड़ा-कचरा (Rubbish) हटाना;
4. कार्य के लिए बनाए गए सभी अस्थायी झोपड़े/हट्स (Huts) हटाना;
5. साइट पर कार्यरत अपने श्रमिकों के लिए बनाए गए सभी **स्वच्छता संबंधी प्रबंध (Sanitary Arrangements)** हटाना;
6. कार्य के निष्पादन के दौरान बनाए/स्थापित किए गए उपर्युक्त सभी अस्थायी प्रबंधों को हटाकर परिसर को साफ करना;
7. जिस भवन अथवा उसके किसी भाग में कार्य किया गया है, उसके **लकड़ी के कार्य, दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, फर्श एवं अन्य भागों से गंदगी/मलबा साफ करना**; और
8. अभियंता द्वारा कार्य का **मापन पूरा किया जाना**।

यदि ठेकेदार कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि तक **मचान, अतिरिक्त सामग्री, मलबा, झोपड़े, स्वच्छता संबंधी प्रबंध आदि हटाने तथा गंदगी साफ करने** की उपर्युक्त आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो अभियंता ठेकेदार के खर्च पर उक्त मचान, अतिरिक्त सामग्री, मलबा आदि को स्वयं हटवा सकता है और उन्हें अपने विवेकानुसार निस्तारित/बेच सकता है।

ऐसी स्थिति में ठेकेदार को उक्त मचान अथवा अतिरिक्त सामग्री आदि के संबंध में कोई दावा करने का अधिकार नहीं होगा, सिवाय इसके कि उनके विक्रय से वास्तव में कोई राशि प्राप्त हुई हो; ऐसी प्राप्त राशि का दावा ठेकेदार द्वारा किया जा सकता है।

7.2 साइट को साफ-सुथरा रखने की जिम्मेदारी (CONTRACTOR TO KEEP SITE CLEAN)

दीवारों, फर्श, दरवाजों, खिड़कियों आदि पर **सफेदी (White Washing)**, **रंगाई (Color Washing)**, **पेंटिंग (Painting)** आदि कार्यों के दौरान पड़ने वाले छींटे एवं टपकने से उत्पन्न दाग/अवशेषों को हटाया जाएगा तथा संबंधित कमरों, क्वार्टरों अथवा परिसर आदि में इन कार्यों के पूर्ण होते ही सतहों को साफ किया जाएगा। इसके लिए अनुबंध के अंतर्गत आने वाले अन्य सभी कार्यों के पूर्ण होने की प्रतीक्षा नहीं की जाएगी।

यदि ठेकेदार इस धारा की आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहता है, तो अभियंता को यह अधिकार होगा कि वह यह कार्य **ठेकेदार के खर्च पर**, विभागीय रूप से अथवा किसी अन्य एजेंसी के माध्यम से, करवा सके।

ऐसी कार्रवाई करने से पूर्व अभियंता ठेकेदार को **दो दिन का लिखित नोटिस** देगा।

7.3 ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्णता योजनाएं प्रस्तुत करना

(COMPLETION PLANS TO BE SUBMITTED BY CONTRACTOR)

कार्य पूर्ण होने पर ठेकेदार को अपने खर्च पर कार्य के प्रत्येक घटक के लिए तैयार की गई सभी “As Constructed” (निर्माणानुसार) ड्रॉइंग की तीन बाउंड प्रतियां नियोक्ता को प्रस्तुत करनी होंगी।

इसके अतिरिक्त, जहां लागू हो, **General Specifications for Electrical Works (Part-I Internal), 1972 एवं (Part-II External), 1974** के अनुसार आवश्यक योजनाएं भी कार्य पूर्ण होने की तिथि से **30 दिनों के भीतर** प्रस्तुत करनी होंगी।

यदि ठेकेदार उपर्युक्तानुसार **Completion Plan** प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो वह कार्य के मूल्य के **2.5% के बराबर राशि**, अधिकतम **₹15,000/- (पंद्रह हजार रुपये मात्र)** तक, भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। इस संबंध में अभियंता द्वारा निर्धारित राशि अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगी।

धारा-8 : बिलों का भुगतान (PAYMENT OF BILLS)

8.1 रनिंग बिल (RUNNING BILLS)

कोई रनिंग बिल लागू नहीं होगा।

8.2 अंतिम बिल (FINAL BILL)

ठेकेदार द्वारा अंतिम बिल, रनिंग बिल के लिए निर्धारित प्रक्रिया के समान, अभियंता द्वारा जारी **अंतिम कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र (Final Certificate of Completion)** की तिथि से **15 दिनों के भीतर** प्रस्तुत किया जाएगा।

अंतिम बिल प्रस्तुत किए जाने के बाद ठेकेदार द्वारा कोई अन्य दावा प्रस्तुत नहीं किया जाएगा तथा ऐसे सभी दावों को **त्याग दिया गया एवं समाप्त (Waived and Extinguished)** माना जाएगा।

बिल में जिन मदों के संबंध में कोई विवाद नहीं है तथा विवादित मदों की वे मात्राएँ एवं दरें जिन्हें अभियंता द्वारा अनुमोदित किया गया है, उनका भुगतान यथासंभव नीचे निर्धारित अवधि के भीतर किया जाएगा। उक्त अवधि की गणना अभियंता अथवा उसके अधिकृत अधिकारी द्वारा बिल प्राप्त किए जाने की तिथि से की जाएगी।

बिल के साथ निगम द्वारा जारी की गई सामग्री तथा कार्य से प्राप्त/निकाली गई **विघटित (Dismantled) सामग्री का लेखा-जोखा** भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

धारा-9 : विघटित सामग्री नियोक्ता की संपत्ति होगी

(DISMENTLED MATERIAL – EMPLOYER'S PROPERTY)

संरचना को तोड़ने, कार्यस्थल की खुदाई अथवा अन्य कार्यों के दौरान प्राप्त होने वाली सभी सामग्रियों को ठेकेदार **नियोक्ता (Employer)** की संपत्ति मानेगा। ऐसी सभी सामग्रियों का निस्तारण/बिक्री अथवा उपयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे **नियोक्ता को अधिकतम लाभ** प्राप्त हो।

धारा-10 : कार्य का विनिर्देश एवं आदेशों के अनुसार निष्पादन

(WORK TO BE EXECUTED ACCORDING TO SPECIFICATION, ORDERS ETC.)**

ठेकेदार कार्य के प्रत्येक भाग तथा संपूर्ण कार्य को **सर्वोत्तम, मजबूत एवं कुशल कार्य-पद्धति** से निष्पादित करेगा। सामग्री की गुणवत्ता तथा अन्य सभी मामलों में कार्य का निष्पादन निर्धारित **Specifications (विनिर्देशों)** के पूर्णतः अनुरूप किया जाएगा।

ठेकेदार कार्य के संबंध में अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित **Designs, Drawings एवं लिखित Instructions** का पूर्णतः, सही एवं निष्ठापूर्वक पालन करेगा।

मानक विनिर्देशों में शामिल न किए गए ऐसे Specifications, Designs, Drawings एवं Instructions की एक-एक प्रति ठेकेदार को **निःशुल्क** उपलब्ध कराई जाएगी।

ठेकेदार अनुबंध के सभी प्रावधानों का पालन करेगा तथा उचित सावधानी एवं परिश्रम के साथ कार्य का निष्पादन एवं रखरखाव करेगा।

इसके लिए आवश्यक सभी **श्रमिक, सामग्री, Tools & Plants, मापन एवं पर्यवेक्षण से संबंधित साधन, Structural Plans** तथा अन्य अस्थायी अथवा स्थायी व्यवस्थाएं, जो कार्य के निष्पादन एवं रखरखाव के लिए आवश्यक हों, ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी, जहां ऐसी व्यवस्था Specifications के अनुसार आवश्यक हो अथवा कार्य के उचित निष्पादन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक हो।

इन सभी कार्यों एवं निर्माण विधियों की **पर्याप्तता, उपयुक्तता एवं सुरक्षा** की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।

धारा-11 : विचलन/परिवर्तन का मूल्य निर्धारण

(VALUATION OF DEVIATIONS/VARIATIONS)

अभियंता को कार्य की प्रगति के दौरान आवश्यकता महसूस होने पर निम्नलिखित अधिकार होंगे:

1. मूल **Specifications, Drawings, Designs एवं Instructions** में किसी प्रकार का परिवर्तन, संशोधन, विलोपन, वृद्धि अथवा

प्रतिस्थापन करना; तथा

2. साइट के किसी भाग की अनुपलब्धता अथवा किसी अन्य कारण से कार्य के किसी भाग को हटाना/विलोपित करना।

ठेकेदार अभियंता द्वारा लिखित रूप में दिए गए ऐसे सभी निर्देशों के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होगा।

ऐसे परिवर्तन, विलोपन, वृद्धि अथवा प्रतिस्थापन को अनुबंध का ही भाग माना जाएगा, मानो वे मूल अनुबंध में प्रारंभ से ही सम्मिलित हों।

यदि ठेकेदार को उपर्युक्त प्रक्रिया के अनुसार कोई **परिवर्तित, अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित कार्य** करने का निर्देश दिया जाता है, तो वह कार्य भी उन्हीं सभी शर्तों के अधीन किया जाएगा, जिनके आधार पर ठेकेदार ने मूल कार्य करने की सहमति दी थी, जिसमें **दर/मूल्य संबंधी शर्तें** भी शामिल हैं।

कार्य की पूर्णता अवधि में आवश्यक परिवर्तन, मूल अनुबंध कार्य की तुलना में परिवर्तित/अतिरिक्त/प्रतिस्थापित कार्य के अनुपात के आधार पर किया जाएगा, बशर्ते ठेकेदार द्वारा समय विस्तार का अनुरोध किया गया हो। इस संबंध में अभियंता का निर्णय **अंतिम एवं निर्णायक** होगा।

धारा-11.1 : अतिरिक्त, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित कार्य की दरों का निर्धारण

उपर्युक्त धाराओं में उल्लिखित अतिरिक्त, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित कार्य की दरें निम्नलिखित क्रम में निर्धारित की जाएंगी:

(i)

यदि अतिरिक्त, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित कार्य की दर अनुबंध में पहले से निर्दिष्ट है, तो ठेकेदार उसी कार्य को **अनुबंध में निर्धारित दर** पर करने के लिए बाध्य होगा।

(ii)

यदि अतिरिक्त अथवा प्रतिस्थापित कार्य में ऐसा कोई कार्य शामिल है जिसकी दर अनुबंध में निर्दिष्ट नहीं है तथा अनुबंध में उपलब्ध समान प्रकृति के कार्य से उसकी दर निर्धारित नहीं की जा सकती, तो ऐसा कार्य **CPWD Schedule of Rates 2025** में कार्यस्थल के लिए निर्धारित दर अथवा **State PWD Rates**, इनमें से **जो भी कम हो**, उस दर पर किया जाएगा।

इसमें संबंधित **Correction Slips** तथा निविदा में प्राप्त कुल निविदा राशि और कार्य की अनुमानित लागत के बीच लागू **Minus/Plus Percentage** को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(iii)

यदि अतिरिक्त, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित कार्य की दर उपर्युक्त प्रावधानों के अनुसार निर्धारित नहीं की जा सकती, तो ऐसे कार्य की दर **कार्य किए जाने के समय प्रचलित बाजार दरों** के आधार पर अभियंता द्वारा निर्धारित की जाएगी।

धारा-11.2 : अतिरिक्त भुगतान के दावों का विवरण

ठेकेदार प्रत्येक **तीन माह में एक बार** अभियंता को अद्यतन विवरण प्रस्तुत करेगा, जिसमें निम्नलिखित का पूर्ण विवरण होगा:

- अतिरिक्त भुगतान के वे सभी दावे, जिनके लिए ठेकेदार स्वयं को हकदार मानता है; तथा
- अभियंता द्वारा पिछले तीन माह के दौरान आदेशित एवं ठेकेदार द्वारा निष्पादित सभी अतिरिक्त कार्य।

यदि ठेकेदार निर्धारित अवधि में ऐसा विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है, तो उसे अपने ऐसे दावे के अधिकार का **त्याग (Waived)** किया हुआ माना जाएगा।

हालांकि, नियोक्ता ऐसे दावों पर उनके **गुण-दोष (Merits)** के आधार पर विचार करने की अनुमति दे सकता है।

धारा-11.3 : निविदा दरों में सम्मिलित आकस्मिक/आवश्यक कार्य

निविदा प्रस्तुत करते समय जिन कार्यों/गतिविधियों को ध्यान में रखना आवश्यक था अथवा जो किसी मद के उचित निष्पादन के लिए आवश्यक एवं उससे संबंधित हैं, और जो **Schedule of Quantities** अथवा **उपर्युक्त Schedule of Rates** में सम्मिलित किसी मद के निष्पादन के लिए आवश्यक हैं, उन्हें ठेकेदार की निविदा दर में शामिल माना जाएगा।

यह प्रावधान तब भी लागू होगा जब ऐसे कार्यों का संबंधित मद के विवरण अथवा विनिर्देशों में **स्पष्ट रूप से उल्लेख न किया गया हो**।

ऐसे किसी भी कार्य/गतिविधि के लिए ठेकेदार को **अतिरिक्त भुगतान (Nothing Extra)** देय नहीं होगा।

****धारा-12 : कार्य के परित्याग अथवा कार्य-क्षेत्र में कमी के कारण अनुबंध का समापन**

(CLOSURE OF CONTRACT DUE TO ABANDONMENT OR REDUCTION IN SCOPE OF WORK)**

यदि कार्य प्रारंभ होने के पश्चात किसी भी समय नियोक्ता किसी कारणवश यह निर्णय लेता है कि कार्य को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से **परित्यक्त (Abandon)** किया जाए अथवा कार्य के दायरे (Scope of Work) को कम किया जाए और इस कारण कार्य का पूरा अथवा कोई भाग कराया जाना आवश्यक नहीं रह जाता है, तो अभियंता इस संबंध में ठेकेदार को **लिखित सूचना** देगा और ठेकेदार इस संबंध में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेगा।

ठेकेदार को कार्य के पूर्ण निष्पादन से प्राप्त होने वाले किसी संभावित लाभ अथवा अन्य आर्थिक लाभ/फायदे, जो कार्य के पूर्ण अथवा आंशिक रूप से बंद किए जाने के कारण उसे प्राप्त नहीं हो सके, के लिए किसी भी प्रकार के मुआवजे (Compensation) का दावा करने का अधिकार नहीं होगा।

ठेकेदार को साइट पर वास्तव में निष्पादित कार्य के लिए अनुबंध में निर्धारित दरों पर पूर्ण भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, निम्नलिखित मदों के संबंध में उचित राशि का भुगतान किया जाएगा:

(i) साइट पर लाई गई अतिरिक्त सामग्री की ढुलाई

ठेकेदार द्वारा वास्तविक रूप से और bona fide (वास्तविक रूप से) कार्यस्थल पर लाई गई ऐसी सामग्री, जो कार्य के परित्याग अथवा कार्य में कमी के कारण अतिरिक्त (Surplus) हो गई हो और जिसे बाद में ठेकेदार द्वारा वापस ले जाया जाता है, उसके लिए केवल ढुलाई (Cartage) शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

हालांकि, ऐसे सभी मामलों में अभियंता को यह अधिकार होगा कि वह ऐसी सभी अथवा किसी भी सामग्री को ठेकेदार से उसके क्रय मूल्य (Purchase Price) अथवा उस समय के स्थानीय प्रचलित बाजार मूल्य (Local Current Rate), इनमें से जो भी कम हो, उस दर पर अपने अधीन ले सके।

यदि ऐसी कोई सामग्री/Stores नियोजित द्वारा ठेकेदार को जारी की गई थी और ठेकेदार द्वारा वापस नियोजित को लौटा दी जाती है, तो अभियंता ठेकेदार को ऐसी सामग्री की क्रेडिट राशि उस दर से देगा जो मूल रूप से सामग्री जारी करते समय लागू दर से अधिक नहीं होगी। इसमें ठेकेदार की अभिरक्षा के दौरान सामग्री में हुई किसी भी क्षति, खराबी अथवा गुणवत्ता में कमी के संबंध में आवश्यक कटौती की जाएगी। इस संबंध में अभियंता का निर्णय अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्यकारी होगा।

धारा-13.1 : अनुबंध का पूर्ण अथवा आंशिक निरस्तीकरण

(CANCELLATION OF CONTRACT IN FULL OR PART)

यदि ठेकेदार निम्नलिखित में से कोई कार्य करता है, तो अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किया जा सकता है:

(i)

यदि ठेकेदार किसी भी समय कार्य अथवा कार्य के किसी भाग को उचित परिश्रम एवं निरंतरता के साथ करने में चूक करता है और अभियंता द्वारा 7 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी ऐसा करना जारी रखता है।

(ii)

यदि ठेकेदार अनुबंध की किसी भी शर्त एवं नियम का पालन करने में चूक करता है और अभियंता द्वारा इस संबंध में 7 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी उस चूक को दूर नहीं करता अथवा उसे सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता।

(iii)

यदि ठेकेदार कार्य अथवा ऐसे कार्य-मदों को, जिनकी अलग-अलग पूर्णता तिथियां निर्धारित हैं, निर्धारित तिथि/तिथियों तक पूरा करने में विफल रहता है और अभियंता द्वारा लिखित नोटिस में निर्धारित अतिरिक्त अवधि के भीतर भी उन्हें पूरा नहीं करता।

(iv)

यदि ठेकेदार NSC के साथ ऐसा कोई अनुबंध करता है, जिसके संबंध में उसके द्वारा या उसकी जानकारी में किसी कमीशन का भुगतान किया गया हो अथवा भुगतान करने पर सहमति हुई हो, जब तक कि ऐसे कमीशन का विवरण एवं उसके भुगतान की शर्तें पूर्व में लिखित रूप से स्वीकृति प्राधिकारी/अभियंता को प्रकट न की गई हों।

(v)

यदि ठेकेदार गलत निविदा प्रक्रिया अथवा प्रतिस्पर्धी निविदा के किसी अन्य गैर-बोनाफाइड (Non-bonafide) तरीके के परिणामस्वरूप NSC का अनुबंध प्राप्त करता है।

(vi)

यदि ठेकेदार एक व्यक्ति है, अथवा फर्म होने की स्थिति में उसका कोई भागीदार किसी समय दिवालिया (Insolvent) घोषित हो जाता है, अथवा उसके विरुद्ध संपत्ति के प्रशासन/प्रबंधन से संबंधित आदेश पारित होता है, अथवा वह लागू Insolvency Act के अंतर्गत परिसमापन (Liquidation) या समझौते (Composition) की कोई कार्यवाही प्रारंभ करता है—सिवाय विलय अथवा पुनर्गठन के उद्देश्य से स्वैच्छिक परिसमापन के—या अपने लेनदारों के लाभ के लिए अपनी संपत्ति का हस्तांतरण/समर्पण अथवा कोई समझौता करता है या ऐसा करने का प्रयास करता है।

इसी प्रकार, यदि लागू Insolvency Act के अंतर्गत उसकी संपत्ति के जब्ती/अधिग्रहण (Sequestration) के लिए कोई आवेदन किया जाता है अथवा वह अपने लेनदारों के लाभ के लिए Trust Deed निष्पादित करता है, तो भी यह धारा लागू होगी।

अनुबंध निरस्तीकरण के पश्चात वसूली

अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से निरस्त किए जाने पर अभियंता यह निर्धारित करेगा कि कार्य अथवा उसके किसी भाग को पूरा करने के लिए ठेकेदार से कितनी राशि, यदि कोई हो, वसूल की जानी है।

यदि कार्य अथवा उसके किसी भाग को आगे पूरा नहीं कराया जाना है, तो नियोक्ता को हुई हानि अथवा क्षति का भी निर्धारण किया जाएगा। कार्य को पूरा करने में नियोक्ता द्वारा किए गए अथवा किए जाने वाले अतिरिक्त व्यय, अथवा नियोक्ता को हुई/होने वाली अतिरिक्त हानि या क्षति की राशि, उपलब्ध क्रेडिट को समायोजित करने के बाद, नियोक्ता के किसी अन्य वैधानिक अधिकार अथवा उपाय को प्रभावित किए बिना, ठेकेदार को देय किसी भी राशि से वसूल की जाएगी।

यदि ऐसी देय राशि पर्याप्त नहीं है, तो ठेकेदार को लिखित रूप से मांग की जाएगी और वह उक्त राशि का भुगतान 30 दिनों के भीतर करने के लिए उत्तरदायी होगा।

यदि ठेकेदार 30 दिनों की निर्धारित अवधि में आवश्यक राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, तो अभियंता को ठेकेदार की अप्रयुक्त सामग्री, Construction Plant, Implements, Temporary Buildings आदि में से सभी अथवा किसी को बेचने का अधिकार होगा।

धारा-13.2 : अनुबंध कब समाप्त किया जा सकता है

(WHEN CONTRACT CAN BE TERMINATED)

इस धारा के अन्य प्रावधानों के अधीन, अभियंता को ठेकेदार के विरुद्ध उपलब्ध अन्य अधिकारों अथवा उपायों को प्रभावित किए बिना, जैसे कि कार्य में देरी, घटिया कार्य-कुशलता, हर्जाने के दावे अथवा अनुबंध के अन्य प्रावधान, तथा इस बात की परवाह किए बिना कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त हुई है या नहीं, निम्नलिखित परिस्थितियों में लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध को पूर्णतः समाप्त करने का अधिकार होगा:

(i) यदि अभियंता द्वारा ठेकेदार को किसी दोषपूर्ण कार्य को ठीक करने, पुनः निर्माण करने अथवा बदलने अथवा कार्य को अक्षम, अनुचित अथवा गैर-कुशल तरीके से किए जाने के संबंध में लिखित नोटिस दिया जाता है और ठेकेदार नोटिस के बाद 7 दिनों की अवधि में उसका पालन नहीं करता।

(ii) यदि ठेकेदार बिना उचित कारण के कार्य की प्रगति को रोक देता है अथवा उचित परिश्रम के साथ कार्य आगे नहीं बढ़ाता, जिसके कारण अभियंता की राय में (जिसका निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा) ठेकेदार निर्धारित पूर्णता तिथि तक कार्य पूरा करने में सक्षम नहीं होगा और अभियंता द्वारा 7 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी वह ऐसा करना जारी रखता है।

(iii) यदि ठेकेदार लगातार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों की उपेक्षा करता है और/या अनुबंध की किसी भी शर्त का पालन करने में चूक करता है तथा अभियंता द्वारा इस संबंध में 7 दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी उस चूक को दूर नहीं करता अथवा उसे सुधारने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाता।

(iv) यदि ठेकेदार अनुबंध की धारा-21 में उल्लिखित किसी कार्य/कृत्य को करता है, तो उपर्युक्त परिस्थितियों में कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होने पर अभियंता को नियोक्ता की ओर से आवश्यक शक्तियां प्राप्त होंगी।

(v) अभियंता को अनुबंध को निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समाप्त अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। अभियंता द्वारा हस्ताक्षरित लिखित termination/rescission notice इसका निर्णायक प्रमाण माना जाएगा।

ऐसे termination/rescission की स्थिति में अनुबंध के अंतर्गत देय पूरी सुरक्षा जमा (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी और वह पूर्णतः NSC के अधिकार में होगी। यदि सुरक्षा जमा की कोई राशि अभी तक जमा/प्राप्त नहीं हुई है, तो उसे जमा करने के लिए कहा जाएगा और वह भी जब्त कर ली जाएगी।

(vi) ठेकेदार को नोटिस देने के बाद अभियंता को ठेकेदार द्वारा निष्पादित कार्य का मापन करने तथा उसके हाथ से पूरे कार्य अथवा उसके शेष/अपूर्ण भाग को लेकर किसी अन्य ठेकेदार को कार्य पूरा करने के लिए देने का अधिकार होगा।

यदि दूसरे ठेकेदार से कार्य पूरा कराने में मूल ठेकेदार को पूरे कार्य के निष्पादन के लिए देय राशि की तुलना में अधिक खर्च होता है, तो ऐसी अतिरिक्त राशि मूल ठेकेदार द्वारा वहन एवं भुगतान की जाएगी।

अतिरिक्त व्यय की राशि के संबंध में अभियंता का लिखित प्रमाणपत्र अंतिम एवं निर्णायक होगा। यह राशि ठेकेदार को NSC द्वारा देय किसी भी राशि, उसके सुरक्षा जमा अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त राशि से वसूल की जा सकती है।

यदि विभाग द्वारा कार्य पूरा करने में किया गया व्यय ठेकेदार को उसके अनुबंधित दरों पर देय राशि से कम होता है, तो उस अंतर की राशि ठेकेदार को भुगतान नहीं की जाएगी।

खंड 13.2 – अनुबंध कब समाप्त किया जा सकता है

इस खंड में निहित अन्य प्रावधानों के अधीन, अभियंता को ठेकेदार के विरुद्ध किसी भी विलंब, घटिया कार्यकुशलता/कार्य की गुणवत्ता, क्षतिपूर्ति संबंधी किसी दावे और/या इस अनुबंध के किसी अन्य प्रावधान के संबंध में उपलब्ध अन्य अधिकारों या उपचारों को प्रभावित किए

बिना, तथा यह देखते हुए कि कार्य पूर्ण करने की निर्धारित तिथि समाप्त हुई है या नहीं, निम्नलिखित में से किसी भी स्थिति में लिखित नोटिस द्वारा अनुबंध को पूर्णतः समाप्त करने का अधिकार होगा।

(i) यदि अभियंता द्वारा ठेकेदार को किसी दोषपूर्ण कार्य को सुधारने, पुनर्निर्मित करने अथवा बदलने के लिए, या कार्य को अकुशल, अनुचित अथवा गैर-पेशेवर तरीके से किए जाने के संबंध में लिखित नोटिस दिया जाता है और ठेकेदार ऐसे नोटिस की आवश्यकताओं का सात दिनों की अवधि के भीतर पालन करने में विफल रहता है।

(ii) यदि ठेकेदार ने बिना किसी उचित कारण के कार्य की प्रगति को रोक दिया है अथवा कार्य को उचित तत्परता एवं सावधानी से आगे बढ़ाने में विफल रहा है, जिसके कारण अभियंता की राय में (जो ठेकेदार के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगी) ठेकेदार कार्य को निर्धारित पूर्णता तिथि तक पूरा करने में सक्षम नहीं होगा और अभियंता द्वारा सात दिनों का लिखित नोटिस दिए जाने के बाद भी ऐसी स्थिति जारी रहती है।

(iii) यदि ठेकेदार लगातार अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने की उपेक्षा करता है और/या अनुबंध की किसी भी शर्त एवं नियम का पालन करने में चूक करता है तथा अभियंता द्वारा इस संबंध में लिखित नोटिस दिए जाने के सात दिनों के भीतर उस चूक को सुधारने अथवा उसे सुधारने के लिए प्रभावी कदम उठाने में विफल रहता है।

(iv) यदि ठेकेदार इस अनुबंध की धारा 21 में उल्लिखित किसी भी कृत्य को करता है, तो ठेकेदार उपर्युक्त किसी भी स्थिति के अंतर्गत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी हो जाएगा और अभियंता को नियोक्ता की ओर से आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार होगा।

(v) अभियंता को उपर्युक्तानुसार अनुबंध को निर्धारित अथवा निरस्त करने का अधिकार होगा। इस संबंध में अभियंता के हस्ताक्षर से ठेकेदार को दिया गया लिखित समाप्ति/निरस्तीकरण नोटिस इसका निर्णायक प्रमाण माना जाएगा। अनुबंध के अंतर्गत वसूल की जाने वाली सम्पूर्ण सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit) जब्त कर ली जाएगी और वह पूर्णतः राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSC) के अधिकार में होगी। यदि सुरक्षा जमा राशि का कोई भाग अभी तक जमा/प्राप्त नहीं हुआ है, तो उसकी मांग कर उसे भी जब्त किया जाएगा।

(vi) ठेकेदार को कार्य की माप लेने के लिए नोटिस देने के पश्चात्, अभियंता ठेकेदार द्वारा किए गए कार्य तथा शेष/अपूर्ण कार्य को उसके कब्जे से लेकर किसी अन्य ठेकेदार को शेष कार्य पूरा करने के लिए सौंप सकता है। ऐसी स्थिति में कार्य को पूरा करने में नियोक्ता द्वारा मूल ठेकेदार को अनुबंध की दरों पर पूरा कार्य करने पर देय राशि की तुलना में यदि कोई अतिरिक्त व्यय होता है, तो वह मूल ठेकेदार द्वारा वहन एवं भुगतान किया जाएगा। इस अतिरिक्त राशि का अभियंता द्वारा जारी लिखित प्रमाण-पत्र अंतिम एवं निर्णायक माना जाएगा।

ऐसी अतिरिक्त राशि को NSC द्वारा ठेकेदार को उसके अनुबंध के अंतर्गत देय किसी भी राशि, किसी अन्य खाते में देय राशि, सुरक्षा जमा अथवा उसकी बिक्री से प्राप्त राशि में से काटा जा सकता है।

यदि विभाग द्वारा कार्य पूरा करने में किया गया व्यय ठेकेदार को उसके अनुबंध की दरों के अनुसार देय राशि से कम होता है, तो ऐसी बची हुई राशि का भुगतान ठेकेदार को नहीं किया जाएगा।

धारा 14 – माप की पहुँच से बाहर किए जाने वाले कार्य की माप

यदि ठेकेदार किसी कार्य को ढकने या इस प्रकार रखने से पहले कि वह माप की पहुँच से बाहर हो जाए, अभियंता अथवा उसके प्रतिनिधि को कम से कम सात दिन पूर्व लिखित सूचना देगा, ताकि उक्त कार्य को ढकने से पहले उसकी माप एवं सही आयाम लिए जा सकें। अभियंता अथवा उसका प्रतिनिधि उक्त सात दिनों की अवधि में कार्य का निरीक्षण करेगा। ठेकेदार अभियंता अथवा उसके प्रतिनिधि की लिखित सहमति के बिना किसी भी कार्य को ढकेगा नहीं अथवा माप की पहुँच से बाहर नहीं करेगा।

यदि ठेकेदार द्वारा बिना पूर्व सूचना दिए या अभियंता की लिखित सहमति प्राप्त किए बिना कोई कार्य ढक दिया जाता है अथवा माप की पहुँच से बाहर कर दिया जाता है, तो उसे ठेकेदार के खर्चे पर पुनः खोलना पड़ेगा। ऐसा न करने की स्थिति में उक्त कार्य अथवा उसमें प्रयुक्त सामग्री के लिए कोई भुगतान या भत्ता देय नहीं होगा।

धारा 15 – विनिर्देश के अनुसार कार्य न किए जाने की स्थिति में कार्रवाई

अनुबंध के अंतर्गत किए जा रहे अथवा किए गए सभी कार्य हर समय अभियंता, उसके अधिकृत प्रतिनिधि, गुणवत्ता नियंत्रण से संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों तथा मुख्य तकनीकी परीक्षक (Chief Technical Examiner) के कार्यालय के अधिकारियों के निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण के लिए खुले रहेंगे।

ठेकेदार सामान्य कार्य घंटों के दौरान तथा अन्य ऐसे समय, जब संबंधित अधिकारियों के निरीक्षण की उचित सूचना दी गई हो, स्वयं उपस्थित रहेगा अथवा अपने लिखित रूप से अधिकृत किसी जिम्मेदार प्रतिनिधि को उपस्थित रखेगा, ताकि उसे दिए गए आदेशों एवं निर्देशों का पालन किया जा सके।

ठेकेदार के अधिकृत प्रतिनिधि को दिए गए आदेश एवं निर्देश उसी प्रकार प्रभावी माने जाएंगे, जैसे वे सीधे ठेकेदार को दिए गए हों।

यदि अभियंता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि, मुख्य तकनीकी परीक्षक अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों को यह प्रतीत होता है कि कोई कार्य:

- दोषपूर्ण, अपूर्ण या असंतोषजनक कार्यकुशलता से किया गया है; या
- ठेकेदार द्वारा उपलब्ध कराई गई घटिया अथवा अनुबंध में निर्धारित गुणवत्ता से निम्न सामग्री/वस्तुओं से किया गया है; या
- अन्यथा अनुबंध की शर्तों के अनुरूप नहीं है,

तो अभियंता द्वारा कार्य, सामग्री अथवा वस्तुओं का विवरण देते हुए **कार्य पूर्ण होने के छह माह के भीतर** लिखित रूप से मांग किए जाने पर, ठेकेदार को उक्त कार्य को, जैसा आवश्यक हो, पूर्णतः या आंशिक रूप से **अपने खर्च एवं लागत पर सुधारना, हटाना तथा पुनः निर्मित करना** होगा। इसी प्रकार, निर्दिष्ट घटिया सामग्री/वस्तुओं को हटाकर उचित एवं उपयुक्त सामग्री/वस्तुओं से बदलना होगा।

यदि ठेकेदार अभियंता द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर ऐसा करने में विफल रहता है, तो ऐसी चूक के लिए ठेकेदार **अनुबंध की धारा 2 में निर्धारित दर पर क्षतिपूर्ति** देने के लिए उत्तरदायी होगा, जो कार्य को समय पर पूरा न करने की स्थिति में लागू होती है।

ऐसी स्थिति में अभियंता, अनुबंध में लागू दर पर संबंधित कार्य को स्वीकार न करने के बजाय, सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित समझी गई **कम दर** पर उस कार्य को स्वीकार कर सकता है, बशर्ते कि ऐसा कार्य वस्तु/संरचना की सुरक्षा एवं उपयोगिता को प्रभावित न करता हो।

अन्यथा अभियंता उक्त कार्य को पूर्णतः अस्वीकार कर सकता है और **ठेकेदार के जोखिम एवं लागत पर** उसे तथा उससे संबंधित/आनुषंगिक कार्यों को सुधारने, हटाने अथवा पुनः निष्पादित कराने की व्यवस्था कर सकता है। इस संबंध में अभियंता द्वारा लिखित रूप से दिया गया निर्णय **अंतिम एवं ठेकेदार के लिए बाध्यकारी** होगा।

धारा 16 – रखरखाव अवधि के दौरान क्षति एवं दोष के लिए ठेकेदार की जिम्मेदारी

यदि ठेकेदार अथवा उसके कार्यरत कर्मचारी/सेवक उस भवन के किसी भाग को, जिसमें वे कार्य कर रहे हों, अथवा किसी मुख्य/सहायक भवन, अन्य स्थापना, फिक्सचर आदि को या उसके किसी भाग को तोड़ते, क्षतिग्रस्त करते, विरूपित करते अथवा नष्ट करते हैं, या कार्य के प्रगति पर रहने के दौरान किसी भी कारण से कार्य को कोई क्षति होती है, अथवा अभियंता द्वारा कार्य के पूर्ण होने का अंतिम अथवा अन्यथा प्रमाण-पत्र जारी किए जाने के बाद **बारह माह** के भीतर दोषपूर्ण अथवा अनुचित सामग्री या कार्यकुशलता के कारण कार्य में कोई दोष, सिकुड़न अथवा अन्य खराबी दिखाई देती है, तो ठेकेदार को इस संबंध में लिखित सूचना प्राप्त होने पर उक्त क्षति/दोष को **अपने खर्चे पर ठीक करना** होगा।

यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियंता किसी अन्य कारीगर/एजेंसी के माध्यम से उक्त कार्य को ठीक करा सकता है तथा इस पर होने वाला खर्च ठेकेदार को देय किसी भी राशि, भविष्य में देय होने वाली राशि अथवा ठेकेदार की **सुरक्षा जमा राशि (Security Deposit)** या उसके किसी पर्याप्त भाग से काट लिया जाएगा।

धारा 17 – ठेकेदार द्वारा उपकरण, संयंत्र आदि की व्यवस्था

ठेकेदार अपने खर्चे पर कार्य के उचित निष्पादन हेतु सभी सामग्री, संयंत्र, औजार, उपकरण, सीढ़ियां, रस्सियां, उठाने वाले उपकरण, मचान तथा अस्थायी कार्य आदि उपलब्ध कराएगा, सिवाय उन विशेष सामग्रियों के, जिन्हें अनुबंध के अनुसार नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराया जाना निर्धारित हो।

उक्त सभी सामग्री एवं उपकरण मूल, परिवर्तित अथवा प्रतिस्थापित कार्य के लिए आवश्यक होंगे, चाहे उनका उल्लेख विनिर्देशों अथवा अनुबंध के अन्य दस्तावेजों में किया गया हो या नहीं, अथवा इन शर्तों में उनका उल्लेख हो या नहीं। इनमें कार्यस्थल तक तथा कार्यस्थल से सामग्री/उपकरण के परिवहन की व्यवस्था भी शामिल होगी।

ठेकेदार कार्य की **ले-आउटिंग, गणना, वजन एवं माप लेने तथा कार्य अथवा सामग्री के निरीक्षण** के लिए आवश्यक संख्या में कर्मचारियों तथा आवश्यक साधन एवं सामग्री भी बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध कराएगा।

यदि ठेकेदार ऐसा करने में विफल रहता है, तो अभियंता द्वारा आवश्यक व्यवस्था ठेकेदार के खर्चे पर की जा सकती है तथा उक्त खर्च ठेकेदार को अनुबंध के अंतर्गत देय किसी राशि और/या उसकी सुरक्षा जमा राशि से काट लिया जाएगा।

धारा 18.1 – श्रमिक को भुगतान की गई क्षतिपूर्ति की वसूली

जहां **Workmen's Compensation Act, 1923** की धारा 12(1) के प्रावधानों के अंतर्गत सरकार को ठेकेदार द्वारा नियोजित किसी श्रमिक को क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ता है, वहां भुगतान की गई ऐसी क्षतिपूर्ति की राशि को, उक्त अधिनियम की धारा 12(2) के अंतर्गत नियोक्ता के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियोक्ता ठेकेदार की **सुरक्षा जमा राशि** अथवा ठेकेदार को नियोक्ता द्वारा देय किसी भी राशि में से वसूल कर सकता है, चाहे वह राशि इस अनुबंध के अंतर्गत देय हो अथवा अन्यथा।

नियोक्ता उक्त अधिनियम की धारा 12(1) के अंतर्गत उसके विरुद्ध किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार लिखित रूप से ऐसा अनुरोध न करे और ऐसे दावे के कारण नियोक्ता पर आने वाली सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध न कराए।

धारा 18.2 – ठेकेदार के विफल रहने पर श्रमिकों को भुगतान एवं सुविधाएं सुनिश्चित करना

जहां **Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970** तथा **Contract Labour (Regulation and Abolition) Central Rules, 1971** के प्रावधानों के अंतर्गत NSC को ठेकेदार द्वारा कार्य में नियोजित किसी श्रमिक को मजदूरी का भुगतान करना पड़ता है अथवा उक्त अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत अपेक्षित कल्याण एवं स्वास्थ्य सुविधाएं अथवा ठेकेदार के श्रमिकों के लिए स्वच्छता संबंधी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने पर कोई व्यय करना पड़ता है, वहां NSC द्वारा भुगतान की गई मजदूरी अथवा किए गए व्यय की राशि ठेकेदार से वसूल की जाएगी।

नियोक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उक्त राशि अथवा उसका कोई भाग ठेकेदार की **सुरक्षा जमा राशि** या ठेकेदार को देय किसी भी राशि में से, चाहे वह इस अनुबंध के अंतर्गत हो अथवा अन्यथा, काटकर वसूल कर सके।

नियोक्ता **Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, 1970** की धारा 20(1) एवं धारा 21(4) के अंतर्गत किए गए किसी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगा, जब तक कि ठेकेदार लिखित रूप से ऐसा अनुरोध न करे और ऐसे दावे के विरोध में नियोक्ता पर आने वाली सभी लागतों के लिए पूर्ण सुरक्षा उपलब्ध न कराए।

धारा 19 – विवादों का निपटारा एवं मध्यस्थता

19.1 – अभियंता का निर्णय

यदि नियोक्ता और ठेकेदार के बीच अनुबंध अथवा कार्य के निष्पादन से संबंधित या उससे उत्पन्न किसी भी प्रकार का विवाद उत्पन्न होता है, चाहे वह कार्य के निष्पादन के दौरान हो अथवा कार्य पूर्ण होने के बाद, तथा चाहे अनुबंध के निरस्तीकरण अथवा अन्य समाप्ति से पहले हो अथवा बाद में, जिसमें अभियंता की किसी राय, निर्देश, निर्धारण, प्रमाण-पत्र अथवा मूल्यांकन से संबंधित विवाद भी शामिल है, तो विवादित विषय को सर्वप्रथम **लिखित रूप में अभियंता के समक्ष** प्रस्तुत किया जाएगा तथा उसकी एक प्रति दूसरे पक्ष को दी जाएगी।

ऐसे संदर्भ में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा कि यह संदर्भ इस खंड के अंतर्गत किया जा रहा है।

अभियंता को ऐसा संदर्भ प्राप्त होने के **84वें दिन से अधिक देर नहीं** करते हुए अपने निर्णय की सूचना नियोक्ता एवं ठेकेदार दोनों को देनी होगी। निर्णय में यह उल्लेख होगा कि वह इस खंड के अंतर्गत दिया जा रहा है।

जब तक अनुबंध पहले ही निरस्त या समाप्त न कर दिया गया हो, ठेकेदार कार्य को उचित तत्परता से जारी रखेगा। ठेकेदार एवं नियोक्ता अभियंता के प्रत्येक निर्णय का तत्काल पालन करेंगे, जब तक कि बाद में आपसी समझौते अथवा मध्यस्थ के निर्णय द्वारा उसे संशोधित न किया जाए। यदि नियोक्ता अथवा ठेकेदार अभियंता के निर्णय से संतुष्ट नहीं है, अथवा अभियंता संदर्भ प्राप्त होने के **84वें दिन तक** अपना निर्णय देने में विफल रहता है, तो संबंधित पक्ष, अभियंता को सूचना की प्रति देते हुए, दूसरे पक्ष को मध्यस्थता प्रारंभ करने के अपने इरादे की लिखित सूचना दे सकता है।

ऐसी सूचना अभियोग/विवाद के संबंध में मध्यस्थता प्रारंभ करने के पक्ष के अधिकार को स्थापित करेगी।

धारा 19.2 – मध्यस्थता प्रारंभ करने की पूर्व सूचना

किसी विवाद के संबंध में मध्यस्थता तब तक प्रारंभ नहीं की जा सकेगी, जब तक कि उपर्युक्तानुसार मध्यस्थता प्रारंभ करने के इरादे की सूचना नहीं दी गई हो।

यदि अभियंता ने विवादित विषय पर नियोक्ता एवं ठेकेदार को अपने निर्णय की सूचना दे दी है और अभियंता के निर्णय की सूचना प्राप्त होने के **70 दिनों के भीतर** किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता प्रारंभ करने के इरादे की सूचना नहीं दी जाती है, तो अभियंता का उक्त निर्णय नियोक्ता एवं ठेकेदार दोनों के लिए **अंतिम एवं बाध्यकारी** हो जाएगा।

ठेकेदार द्वारा मध्यस्थता के लिए अनुरोध **कार्य पूर्ण होने के बाद ही** स्वीकार किया जाएगा।

धारा 20.1 – आपसी समझौता

जहां किसी विवाद के संबंध में उप-खंड 19.1 के अनुसार मध्यस्थता प्रारंभ करने के इरादे की सूचना दी गई है, वहां विवाद की मध्यस्थता तब तक प्रारंभ नहीं की जाएगी जब तक कि दोनों पक्षों द्वारा विवाद को **आपसी सहमति एवं सौहार्दपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास** पहले नहीं किया गया हो।

बशर्ते कि यदि दोनों पक्ष अन्यथा सहमत न हों, तो मध्यस्थता प्रारंभ करने के इरादे की सूचना दिए जाने के **56वें दिन या उसके बाद** मध्यस्थता प्रारंभ की जा सकती है, भले ही विवाद को आपसी समझौते से निपटाने का प्रयास किया गया हो अथवा नहीं।

धारा 21 – मध्यस्थता (ARBITRATION)

इस निविदा के अंतर्गत मध्यस्थता निम्नलिखित शर्तों द्वारा नियंत्रित होगी।

21.1 – क्षेत्राधिकार (Jurisdiction)

वर्तमान निविदा दस्तावेजों तथा पक्षकारों के बीच अनुबंध निष्पादित होने के बाद उत्पन्न होने वाले सभी विवाद/मतभेद, जिनमें अनुबंध की शर्तों एवं प्रावधानों की व्याख्या से संबंधित विवाद भी शामिल हैं, केवल नई दिल्ली/दिल्ली स्थित न्यायालयों के अनन्य क्षेत्राधिकार के अधीन होंगे।

धारा 21.2 – मध्यस्थता संबंधी प्रावधान

यदि NSC और दूसरे पक्ष के बीच किसी शर्त अथवा विषय को लेकर कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो दोनों पक्ष पहले आपसी समझ एवं विचार-विमर्श के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

यदि विचार-विमर्श के बाद भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो दोनों पक्ष **Arbitration and Conciliation Act, 1996**, समय-समय पर किए गए संशोधनों सहित, के प्रावधानों के अंतर्गत विवाद का समाधान करने के लिए बाध्य होंगे।

इस प्रावधान के अंतर्गत **राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD)**, दोनों पक्षों की सहमति से, विवाद के समाधान के लिए **एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator)** नियुक्त करेंगे तथा दोनों पक्ष मध्यस्थ के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। न्यायालय में जाने से पहले दोनों पक्ष विवाद को **मध्यस्थता के माध्यम से निपटाने** के लिए बाध्य होंगे।

मध्यस्थता नई दिल्ली में तथा अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। दिल्ली के न्यायालयों को क्षेत्राधिकार प्राप्त होगा।

मध्यस्थ को दोनों पक्षों की सहमति से निर्णय/अवार्ड तैयार करने एवं प्रकाशित करने की अवधि बढ़ाने का अधिकार होगा।

यदि किसी विवाद में शामिल दावा **₹1,00,000/- से अधिक** है, तो मध्यस्थ **Arbitration and Conciliation Act, 1996** के प्रावधानों के अनुसार कारणयुक्त/विस्तृत निर्णय (**Speaking Award**) देगा।

यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (PSU) है

यदि ठेकेदार/आपूर्तिकर्ता एक **Public Sector Undertaking (PSU)** है, तो उपर्युक्त मध्यस्थता खंड लागू नहीं होगा। ऐसी स्थिति में निम्नलिखित प्रावधान लागू होंगे:

अनुबंध के प्रावधानों की व्याख्या एवं उनके अनुप्रयोग से संबंधित किसी भी विवाद अथवा मतभेद को किसी भी पक्ष द्वारा मध्यस्थता के लिए **Department of Public Enterprises** के ऐसे एकमात्र मध्यस्थ को भेजा जाएगा, जिसे भारत सरकार के **Department of Public Enterprises** के प्रभारी सचिव द्वारा नामित किया जाएगा।

इस खंड के अंतर्गत होने वाली मध्यस्थता पर **Arbitration and Conciliation Act, 1996** लागू नहीं होगा।

मध्यस्थ का निर्णय विवाद के दोनों पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। हालांकि, निर्णय से असंतुष्ट पक्ष उक्त निर्णय को निरस्त अथवा संशोधित कराने के लिए **Law Secretary, Department of Legal Affairs, Ministry of Law and Justice, Government of India** के समक्ष आगे संदर्भ प्रस्तुत कर सकता है।

ऐसे संदर्भ में विवाद का निर्णय **Law Secretary** अथवा **Law Secretary** द्वारा अधिकृत **Special Secretary/Additional Secretary** द्वारा किया जाएगा और उनका निर्णय दोनों पक्षों के लिए अंतिम एवं निर्णायक होगा।

मध्यस्थता की लागत दोनों पक्षों द्वारा मध्यस्थ द्वारा सूचित अनुसार समान रूप से वहन की जाएगी।

धारा 21.3 – अप्रत्याशित घटना / फोर्स मेज्योर (Force Majeure)

यदि किसी पक्ष द्वारा अनुबंध के अंतर्गत अपने दायित्वों का पालन करने में विफलता **नागरिक अशांति (Civil Disturbance)**, **युद्ध (War)**, **दैवीय आपदा (Act of God)** अथवा किसी अन्य ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण होती है जो दोनों पक्षों के नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में डिफॉल्ट करने वाला पक्ष दोषी नहीं माना जाएगा, बशर्ते कि वह ऐसी परिस्थितियों की सूचना दूसरे पक्ष को दे। उक्त परिस्थितियों के समाप्त होने के बाद संबंधित पक्ष को ऐसी घटनाओं/परिस्थितियों के समाप्त होने की सूचना भी दूसरे पक्ष को देनी होगी। ऐसी घटना घटित होने के **48 घंटे के भीतर** संबंधित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को लिखित सूचना जारी की जानी होगी।

धारा – 22: तकनीकी स्टाफ एवं कर्मचारियों की नियुक्ति

ठेकेदार की देखरेख, पर्यवेक्षण, तकनीकी स्टाफ एवं कर्मचारी

i. ठेकेदार कार्य के निष्पादन के दौरान तथा उसके पश्चात, जब तक कि अनुबंध के अंतर्गत दायित्वों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हो, सभी आवश्यक पर्यवेक्षण एवं देखरेख की व्यवस्था करेगा।

ठेकेदार को निविदा स्वीकृत पत्र प्राप्त होने के तुरंत बाद तथा कार्य प्रारंभ होने से पूर्व, कार्य के प्रभारी मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि का नाम, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु, पता तथा अन्य विवरण एवं संबंधित प्रमाण-पत्र अभियंता को लिखित रूप में प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रतिनिधि की योग्यता एवं अनुभव अनुसूची 'F' में निर्दिष्ट योग्यता एवं अनुभव से कम नहीं होना चाहिए। अभियंता, ऐसी सूचना प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर, उक्त प्रतिनिधि की नियुक्ति के संबंध में अपनी स्वीकृत अथवा अस्वीकृत ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित करेगा।

अभियंता की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ठेकेदार द्वारा ऐसे मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि की नियुक्ति की जाएगी तथा कार्य प्रारंभ होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर उसे साइट पर उपलब्ध होना अनिवार्य होगा।

यदि ठेकेदार स्वयं (या फर्म/कंपनी के मामले में कोई साझेदार) निर्धारित योग्यता रखता है, तो ऐसे ठेकेदार के लिए मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि नियुक्त करना आवश्यक नहीं होगा। तथापि, ठेकेदार को अपनी ओर से एक जिम्मेदार प्रतिनिधि नियुक्त करना होगा, जो ठेकेदार की अनुपस्थिति में कार्यस्थल पर उसका प्रतिनिधित्व करेगा। इस स्थिति में इस खंड के अंतर्गत मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि पर लागू सभी प्रावधान ठेकेदार अथवा उसके जिम्मेदार प्रतिनिधि पर भी लागू होंगे।

मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि और/या ठेकेदार, अभियंता अथवा उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उचित सूचना दिए जाने पर, लिखित रूप में, व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य माध्यम से, अभियंता के समक्ष तथा/या कार्यस्थल पर उपस्थित होकर आवश्यक निर्देश प्राप्त करेगा।

मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि अथवा जिम्मेदार प्रतिनिधि को दिए गए निर्देशों को उसी प्रकार प्रभावी माना जाएगा, जैसे वे सीधे ठेकेदार को दिए गए हों। मुख्य तकनीकी प्रतिनिधि और/या ठेकेदार अथवा उसका अधिकृत जिम्मेदार प्रतिनिधि कार्य के महत्वपूर्ण चरणों के दौरान, कार्य की माप दर्ज करते समय तथा जब भी अभियंता या उसके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा आवश्यक समझा जाए, कार्यस्थल पर वास्तव में उपस्थित रहेगा। उसे साइट ऑर्डर बुक में दिए गए निर्देशों को नोट करने तथा माप की स्वीकृति के प्रमाणस्वरूप अपने हस्ताक्षर करने होंगे।

यदि अभियंता, जिसका निर्णय इस संबंध में अंतिम एवं ठेकेदार पर बाध्यकारी होगा, इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कोई उपयुक्त तकनीकी प्रतिनिधि अथवा जिम्मेदार एजेंट प्रभावी रूप से नियुक्त नहीं किया गया है अथवा वह प्रभावी रूप से कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं रहता या इस खंड के प्रावधानों का उचित रूप से पालन नहीं कर रहा है, तो अनुसूची 'F' में निर्दिष्ट राशि के अनुसार ठेकेदार से वसूली की जाएगी। साइट ऑर्डर बुक में दर्ज अभियंता का निर्णय तथा मापन पुस्तिका में दर्ज माप ठेकेदार पर अंतिम एवं बाध्यकारी होंगे।

इसके अतिरिक्त, यदि ठेकेदार उपयुक्त तकनीकी प्रतिनिधि अथवा जिम्मेदार एजेंट नियुक्त करने में विफल रहता है अथवा नियुक्त व्यक्ति प्रभावी रूप से उपस्थित नहीं रहता या अपने दायित्वों का संतोषजनक रूप से निर्वहन नहीं करता है, तो अभियंता को कार्य को तब तक निलंबित रखने का पूर्ण अधिकार होगा, जब तक उपयुक्त प्रतिनिधि नियुक्त नहीं कर दिया जाता। ऐसी स्थिति में कार्य में होने वाली देरी के लिए ठेकेदार पूर्णतः जिम्मेदार होगा।

ठेकेदार प्रत्येक रनिंग बिल/अंतरिम बिल अथवा अंतिम बिल के साथ तकनीकी प्रतिनिधि/जिम्मेदार एजेंट की नियुक्ति एवं रोजगार का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा तथा अभियंता द्वारा किसी भी समय मांगे जाने पर संबंधित साक्ष्य प्रस्तुत करेगा।

ठेकेदार कार्यस्थल पर केवल ऐसे तकनीकी सहायक नियुक्त एवं उपलब्ध कराएगा, जो अपने-अपने क्षेत्र में कुशल एवं अनुभवी हों। इसके अतिरिक्त, कार्य के उचित पर्यवेक्षण हेतु सक्षम फोरमैन एवं पर्यवेक्षकीय स्टाफ भी उपलब्ध कराया जाएगा।

ठेकेदार कार्य को उचित एवं समयबद्ध ढंग से पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में कुशल, अर्द्ध-कुशल एवं अकुशल श्रमिक उपलब्ध एवं नियोजित करेगा।

अभियंता को यह अधिकार होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति पर आपत्ति करे अथवा उसे कार्यस्थल से हटाने का निर्देश दे, जो उसकी राय में दुर्व्यवहार करता हो, अयोग्य हो, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाह हो अथवा जिसकी सेवाएँ अभियंता की दृष्टि में अन्यथा अवांछनीय हों। ऐसे व्यक्ति को अभियंता की लिखित अनुमति के बिना पुनः कार्यस्थल पर नियोजित नहीं किया जाएगा। हटाए गए व्यक्ति के स्थान पर यथाशीघ्र सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति की जाएगी।

धारा – 23: कार्य का विभाजन (Split of Work)

यदि आवश्यक एवं उचित समझा जाए, तो संपूर्ण कार्य को दो या अधिक ठेकेदारों के बीच विभाजित किया जा सकता है अथवा कार्य को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के बजाय उसके किसी भाग को ही स्वीकार किया जा सकता है।

धारा – 24: ठेकेदार द्वारा देय लेवी/कर

i. इस अनुबंध के संबंध में सामग्री पर लागू बिक्री कर अथवा कोई अन्य कर ठेकेदार द्वारा देय होगा तथा इस संबंध में नियोक्ता द्वारा किसी भी प्रकार के दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

ii. ठेकेदार को स्थानीय प्राधिकरणों से लाल बजरी (Red Bajri), पत्थर, मूरम आदि की आपूर्ति के लिए आवश्यक परमिट प्राप्त करना होगा तथा संबंधित रॉयल्टी जमा करनी होगी।

iii. यदि किसी कानून, अधिसूचना अथवा आदेश के अंतर्गत कार्य में ठेकेदार द्वारा प्रयुक्त किसी सामग्री के संबंध में राज्य सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को किसी प्रकार की रॉयल्टी अथवा इसी प्रकार की राशि नियोक्ता द्वारा भुगतान करना पड़ता है, तो ऐसी स्थिति में नियोक्ता को ठेकेदार से उक्त भुगतान की गई राशि वसूल करने का अधिकार होगा। यह राशि ठेकेदार को देय राशि में से काटी जा सकेगी।

धारा – 26: रिश्त/कमीशन

ठेकेदार अथवा उसके साझेदार, एजेंट, कर्मचारी या उसकी ओर से कार्य करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा नियोक्ता के किसी अधिकारी, कर्मचारी, प्रतिनिधि अथवा अभियंता के प्रतिनिधि को इस अनुबंध अथवा नियोक्ता के किसी अन्य अनुबंध को प्राप्त करने अथवा उसके निष्पादन के संबंध में कोई रिश्ता, कमीशन, उपहार अथवा अन्य लाभ दिया जाना अथवा देने का वादा किया जाना, ठेकेदार को लागू किसी आपराधिक दायित्व के अतिरिक्त, इस अनुबंध तथा नियोक्ता के साथ उसके अन्य सभी अनुबंधों को रद्द करने का आधार होगा।

ऐसी स्थिति में होने वाली किसी भी हानि अथवा क्षति की भरपाई के लिए ठेकेदार उत्तरदायी होगा। नियोक्ता को इस प्रकार देय राशि ठेकेदार को इस अनुबंध अथवा किसी अन्य अनुबंध के अंतर्गत देय राशि में से काटने का अधिकार होगा।

इस खंड के अंतर्गत किसी अपराध के किए जाने से संबंधित कोई भी प्रश्न अथवा विवाद भारत में उस समय लागू संबंधित कानून के अनुसार निपटाया जाएगा।

धारा – 27: कार्य के चित्र एवं फोटोग्राफ

ठेकेदार को अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना उसे उपलब्ध कराए गए किसी भी ड्राइंग अथवा अपने द्वारा किए जा रहे कार्य से संबंधित किसी भी जानकारी को किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं करना होगा।

कार्य अथवा उसके किसी भाग या कार्यस्थल पर उपयोग किए जा रहे किसी संयंत्र/प्लांट का कोई भी फोटोग्राफ ठेकेदार अथवा उसके कर्मचारियों या उसके उप-ठेकेदारों के कर्मचारियों द्वारा अभियंता की पूर्व लिखित स्वीकृति के बिना लिया या लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

ऐसे किसी भी फोटोग्राफ को अभियंता की लिखित स्वीकृति के बिना प्रकाशित अथवा किसी अन्य माध्यम से प्रसारित नहीं किया जाएगा।

सुरक्षा संहिता (SAFETY CODE)

i) ऐसे सभी कार्यों के लिए, जिन्हें जमीन से अथवा किसी मजबूत संरचना से सुरक्षित रूप से नहीं किया जा सकता, श्रमिकों के लिए उपयुक्त **स्केफोल्डिंग (मचान)** उपलब्ध कराई जाएगी, सिवाय ऐसे अल्प अवधि के कार्यों के जिन्हें सीढ़ी से सुरक्षित रूप से किया जा सकता है। जब सीढ़ी का उपयोग किया जाए, तो उसे पकड़कर रखने के लिए एक अतिरिक्त **मजदूर** लगाया जाएगा। यदि सीढ़ी का उपयोग सामग्री ले जाने के लिए भी किया जाता है, तो सीढ़ी पर उपयुक्त पायदान एवं पकड़ने के स्थान (Handholds) उपलब्ध कराए जाएंगे। सीढ़ी का झुकाव **1:4** से अधिक तीव्र नहीं होना चाहिए अर्थात् 1 ऊर्ध्वाधर के लिए 4 क्षैतिज।

ii) सभी कार्य प्लेटफॉर्म एवं अन्य कार्यस्थलों तक सुरक्षित पहुँच की व्यवस्था की जाएगी। प्रत्येक सीढ़ी को सुरक्षित रूप से स्थिर किया जाएगा। कोई भी पोर्टेबल सिंगल सीढ़ी **9 मीटर (30 फीट)** से अधिक लंबी नहीं होगी। 3 मीटर (10 फीट) तक की लंबाई वाली सीढ़ी में दोनों साइड रेल के बीच की चौड़ाई किसी भी स्थिति में **29 सेमी (11½ इंच)** से कम नहीं होगी। इससे अधिक लंबी सीढ़ियों के लिए प्रत्येक अतिरिक्त 30 सेमी (12 इंच) लंबाई पर चौड़ाई कम से कम ¼ इंच बढ़ाई जाएगी। सीढ़ी के पायदानों के बीच समान दूरी होगी और यह दूरी **30 सेमी (12 इंच)** से अधिक नहीं होगी।

विद्युत उपकरणों से उत्पन्न होने वाले खतरों से बचने के लिए पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी। कार्यस्थल पर किसी भी सामग्री को इस प्रकार ढेर या रखा नहीं जाएगा जिससे किसी व्यक्ति अथवा आम जनता के लिए खतरा या असुविधा उत्पन्न हो। ठेकेदार जनता को दुर्घटना से बचाने के लिए आवश्यक सभी प्रकार की **बाड़, बैरिकेड एवं प्रकाश व्यवस्था** उपलब्ध कराएगा।

उपरोक्त सावधानियों की अनदेखी के कारण किसी व्यक्ति को चोट लगने पर उसके द्वारा दायर किए गए किसी वाद, कार्रवाई अथवा कानूनी कार्यवाही के बचाव से संबंधित सभी खर्च ठेकेदार द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसे वाद अथवा कार्रवाई में न्यायालय द्वारा निर्धारित क्षतिपूर्ति एवं लागत अथवा ठेकेदार की सहमति से किए गए समझौते के अंतर्गत भुगतान की गई राशि भी ठेकेदार द्वारा वहन की जाएगी।

iii) खुदाई एवं ट्रेंचिंग (Excavation & Trenching)

1.2 मीटर (4 फीट) या उससे अधिक गहरी सभी खाइयों/ट्रेंच में प्रत्येक **30 मीटर (100 फीट)** लंबाई या उसके अंश के लिए कम से कम एक सीढ़ी हमेशा उपलब्ध कराई जाएगी। सीढ़ी ट्रेंच के तल से कम से कम **90 सेमी (3 फीट)** जमीन की सतह से ऊपर तक निकली होनी चाहिए।

1.5 मीटर (5 फीट) या उससे अधिक गहरी ट्रेंच की साइडों को उपयुक्त ढलान देने के लिए पीछे की ओर काटा जाएगा अथवा लकड़ी की मजबूत सपोर्ट/ब्रेसिंग द्वारा सुरक्षित किया जाएगा, ताकि ट्रेंच की साइड के धंसने का खतरा न रहे।

खुदाई से निकली सामग्री को ट्रेंच के किनारे से **1.5 मीटर (5 फीट)** के भीतर अथवा ट्रेंच की गहराई के आधे भाग के भीतर, **जो भी अधिक हो**, नहीं रखा जाएगा।

कटिंग हमेशा **ऊपर से नीचे की ओर** की जाएगी। किसी भी परिस्थिति में नीचे से खुदाई करके ऊपर की मिट्टी को कमजोर करना (**Undermining/Undercutting**) नहीं किया जाएगा।

iv) विध्वंस कार्य (Demolition)

विध्वंस कार्य प्रारंभ करने से पहले तथा कार्य के दौरान निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएंगी:

- कार्यस्थल से लगे सभी रास्तों एवं खुले क्षेत्रों को या तो बंद किया जाएगा अथवा उचित रूप से सुरक्षित किया जाएगा।
- कोई भी विद्युत केबल अथवा उपकरण, जिससे खतरा उत्पन्न हो सकता है, विद्युत रूप से चालू अवस्था में नहीं छोड़ा जाएगा।
- आग, विस्फोट अथवा बाढ़ के जोखिम से कार्यरत व्यक्तियों को बचाने के लिए सभी व्यावहारिक उपाय किए जाएंगे। भवन के किसी भी फर्श, छत अथवा अन्य भाग पर मलबा या सामग्री इतनी मात्रा में नहीं रखी जाएगी जिससे वह असुरक्षित हो जाए।
- अभियंता द्वारा पर्याप्त माने गए सभी आवश्यक **व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE)** कार्यस्थल पर उपलब्ध रखे जाएंगे तथा उन्हें तत्काल उपयोग के लिए उपयुक्त स्थिति में रखा जाएगा। ठेकेदार यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित श्रमिक इन उपकरणों का उचित रूप से उपयोग करें।
- आँखों को नुकसान पहुँचाने की संभावना वाले कार्यों के लिए श्रमिकों को **सुरक्षात्मक चश्मे (Protective Goggles)** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- वेल्डिंग कार्य में लगे श्रमिकों को **वेल्डर के सुरक्षात्मक आई-शील्ड/फेस शील्ड** उपलब्ध कराए जाएंगे।
- पत्थर तोड़ने वाले श्रमिकों को सुरक्षात्मक चश्मे एवं सुरक्षात्मक कपड़े उपलब्ध कराए जाएंगे तथा उन्हें पर्याप्त सुरक्षित दूरी पर बैठाया जाएगा।

सीसा युक्त पेंटिंग कार्य

h) ठेकेदार 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष अथवा महिला श्रमिकों को किसी भी रूप में सीसा युक्त उत्पादों से पेंटिंग कार्य के लिए नियोजित नहीं करेगा।

जहाँ 18 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिक सीसा युक्त पेंटिंग कार्य में लगाए जाते हैं, वहाँ निम्नलिखित सावधानियाँ बरती जाएंगी:

a) सीसा अथवा सीसा उत्पाद युक्त पेंट का उपयोग केवल **पेस्ट अथवा तैयार पेंट** के रूप में किया जाएगा।

b) जब पेंट को स्प्रे के रूप में लगाया जाए अथवा सीसा युक्त सूखे पेंट की सतह को रगड़ने/खुरचने का कार्य किया जाए, तो श्रमिकों को उपयुक्त **फेस मास्क** उपलब्ध कराए जाएंगे।

c) ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को **ओवरऑल (काम के सुरक्षात्मक कपड़े)** उपलब्ध कराए जाएंगे तथा कार्य के बीच में श्रमिकों को हाथ-मुँह धोने आदि के लिए पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएंगी।

d) NSC सुरक्षा संहिता के प्रावधानों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के पुरुष अथवा महिला श्रमिकों को किसी भी रूप में सीसा युक्त उत्पादों से पेंटिंग कार्य में नियोजित नहीं किया जाएगा।

उठाने वाली मशीनरी एवं विद्युत सुरक्षा

e) प्रत्येक क्रेन चालक अथवा होइस्टिंग उपकरण ऑपरेटर उचित रूप से योग्य एवं प्रशिक्षित होना चाहिए। **21 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति** किसी भी होइस्टिंग मशीन, जिसमें स्कैफोल्डिंग विन्च भी शामिल है, का प्रभारी नहीं होगा और न ही ऑपरेटर को सिग्नल देगा।

f) प्रत्येक होइस्टिंग मशीन तथा प्रत्येक चैन, रिंग, हुक, शैकल, स्विगल एवं पुली ब्लॉक आदि की **सुरक्षित कार्य भार क्षमता (Safe Working Load – SWL)** उचित माध्यम से निर्धारित की जाएगी। प्रत्येक होइस्टिंग मशीन एवं संबंधित उपकरण पर उसकी सुरक्षित कार्य भार क्षमता स्पष्ट रूप से अंकित होगी तथा जिस परिस्थिति में वह लागू है, उसका भी स्पष्ट उल्लेख होगा। परीक्षण के उद्देश्य को छोड़कर किसी भी मशीन अथवा उपकरण पर उसकी निर्धारित सुरक्षित कार्य भार क्षमता से अधिक भार नहीं डाला जाएगा।

g) विभागीय मशीनों के मामले में सुरक्षित कार्य भार क्षमता की सूचना विद्युत अभियंता द्वारा दी जाएगी। ठेकेदार की मशीनों के संबंध में, जब भी ठेकेदार कोई मशीन कार्यस्थल पर लाएगा, वह उसकी सुरक्षित कार्य भार क्षमता अभियंता को सूचित करेगा तथा संबंधित विद्युत अभियंता से उसका सत्यापन करवाएगा।

h) होइस्टिंग उपकरणों के मोटर, गियरिंग, ट्रांसमिशन, विद्युत वायरिंग तथा अन्य खतरनाक भागों पर प्रभावी सुरक्षा गार्ड लगाए जाएंगे। होइस्टिंग उपकरणों में ऐसे प्रबंध किए जाएंगे जिससे भार के आकस्मिक रूप से नीचे गिरने का जोखिम न्यूनतम हो। लटके हुए भार के किसी भाग के आकस्मिक रूप से अलग होने/गिरने की संभावना को कम करने के लिए पर्याप्त सावधानियाँ बरती जाएंगी।

विद्युत प्रतिष्ठानों पर कार्यरत श्रमिकों को, जहाँ विद्युत प्रणाली पहले से ऊर्जीकृत हो, आवश्यकतानुसार **इंसुलेटिंग मैट, सुरक्षात्मक दस्ताने, स्लीव्स एवं सुरक्षा जूते/बूट** उपलब्ध कराए जाएंगे। श्रमिक अंगूठी, घड़ी अथवा चाबी या अन्य ऐसी वस्तुएँ नहीं पहनेंगे/रखेंगे जो विद्युत की अच्छी चालक हों।

i) स्कैफोल्डिंग एवं सुरक्षा उपकरण

सभी स्कैफोल्डिंग, सीढ़ियों एवं इस सुरक्षा संहिता में उल्लिखित अन्य सुरक्षा उपकरणों को सुरक्षित स्थिति में बनाए रखा जाएगा। उपयोग के दौरान किसी भी स्कैफोल्डिंग, सीढ़ी अथवा उपकरण को बदला या हटाया नहीं जाएगा।

कार्यस्थल के निकट उपयुक्त **धुलाई एवं स्वच्छता सुविधाएँ** उपलब्ध कराई जाएंगी।

j) सुरक्षा प्रावधानों का प्रदर्शन

इन सभी सुरक्षा प्रावधानों को कार्यस्थल पर प्रमुख स्थान पर **नोटिस बोर्ड के माध्यम से प्रदर्शित** किया जाएगा। सुरक्षा संहिता के अनुपालन के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम ठेकेदार द्वारा नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

k) निरीक्षण

सुरक्षा सावधानियों से संबंधित नियमों एवं विनियमों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदार द्वारा की गई व्यवस्थाएँ **श्रम अधिकारी, विभाग के अभियंता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों** द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगी।

l) अन्य लागू कानूनों का अनुपालन

उपरोक्त सुरक्षा प्रावधानों के बावजूद, इन प्रावधानों को भारत में वर्तमान में लागू किसी अन्य **अधिनियम, नियम अथवा विनियम** के पालन से ठेकेदार को किसी भी प्रकार की छूट देने वाला नहीं माना जाएगा। ठेकेदार को कार्य पर लागू सभी संबंधित कानूनों एवं नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।

ठेकेदार श्रम विनियम

संक्षिप्त शीर्षक

1. इन विनियमों को “राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड, ठेकेदार श्रम विनियम” कहा जा सकता है।

2. परिभाषाएँ

(i) ‘कामगार (Workman)’ से आशय ऐसे प्रत्येक व्यक्ति से है जो NSC अथवा उसके ठेकेदार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, उप-ठेकेदार के माध्यम से, राष्ट्रीय बीज निगम के ज्ञान या बिना ज्ञान के, पारिश्रमिक या मजदूरी के लिए कुशल, अर्द्ध-कुशल या अकुशल मैनुअल, पर्यवेक्षकीय, तकनीकी अथवा विद्युत कार्य करने हेतु नियोजित किया गया हो। इसमें निम्नलिखित व्यक्ति शामिल नहीं होंगे—

(a) जो मुख्य रूप से प्रबंधकीय या प्रशासनिक क्षमता में कार्यरत हो; अथवा

(b) जो पर्यवेक्षकीय क्षमता में कार्यरत हो और ₹500/- प्रतिमाह से अधिक वेतन प्राप्त करता हो तथा अपने पद से संबंधित कर्तव्यों अथवा उसमें निहित शक्तियों के कारण मुख्य रूप से प्रबंधकीय प्रकृति के कार्य करता हो; अथवा

(c) जो ‘आउट-वर्कर’ हो, अर्थात् ऐसा व्यक्ति जिसे मुख्य नियोक्ता की ओर से कोई वस्तु या सामग्री दी जाती है, जिसे मुख्य नियोक्ता के व्यापार अथवा व्यवसाय के उद्देश्य से बिक्री हेतु तैयार, साफ, धुलाई, परिवर्तन, सजावटी परिष्करण, मरम्मत, अनुकूलन अथवा अन्य किसी प्रकार से संसाधित किया जाना हो तथा यह कार्य आउट-वर्कर के घर अथवा मुख्य नियोक्ता के परिसर के अतिरिक्त किसी अन्य स्थान पर किया जाता हो।

(ii) ‘उचित मजदूरी (Fair Wages)’ से आशय ऐसी मजदूरी से है जो समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित एवं अधिसूचित की जाती है तथा जो समय-दर अथवा पीस-वर्क (Piece Work) के आधार पर कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर लागू होती है।

(iii) ‘ठेकेदार (Contractor)’ में प्रत्येक ऐसा व्यक्ति शामिल होगा जो संविदा श्रमिकों के माध्यम से किसी निर्धारित परिणाम को प्राप्त करने का कार्य करता है, केवल वस्तुओं या निर्मित सामग्री की आपूर्ति को छोड़कर, अथवा जो किसी कार्य के लिए संविदा श्रमिकों की आपूर्ति करता है। इसमें उप-ठेकेदार (Sub-Contractor) भी शामिल होगा।

(iv) ‘मजदूरी (Wages)’ का वही अर्थ होगा जो मजदूरी भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act) में परिभाषित किया गया है।

3. कार्य के घंटे एवं साप्ताहिक अवकाश

(a) सामान्यतः किसी वयस्क कर्मचारी के कार्य के घंटे प्रतिदिन 9 घंटे से अधिक नहीं होने चाहिए तथा किसी बाल श्रमिक के लिए 4½ घंटे प्रतिदिन से अधिक नहीं होने चाहिए। विश्राम के अंतराल सहित किसी दिन का कार्यकाल कुल मिलाकर 12 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए।

(b) यदि किसी वयस्क श्रमिक से किसी दिन 9 घंटे से अधिक अथवा किसी सप्ताह में 48 घंटे से अधिक कार्य कराया जाता है, तो अतिरिक्त कार्य के घंटों के लिए उसे सामान्य मजदूरी दर की दोगुनी दर पर ओवरटाइम मजदूरी का भुगतान किया जाएगा। बच्चों से अतिरिक्त कार्य नहीं कराया जाएगा।

(c)

(i) प्रत्येक श्रमिक को सामान्यतः रविवार को साप्ताहिक अवकाश दिया जाएगा, जैसा कि समय-समय पर संशोधित न्यूनतम मजदूरी (केन्द्रीय) नियम, 1960 के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित है, चाहे वह श्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत आता हो अथवा नहीं।

(ii) जहां राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी में साप्ताहिक विश्राम दिवस की मजदूरी शामिल नहीं है, वहां श्रमिक को विश्राम दिवस की मजदूरी उस दिन से ठीक पहले के कार्य दिवस पर लागू मजदूरी की दर से देय होगी, बशर्ते कि उसने उसी ठेकेदार के अधीन लगातार कम से कम 6 दिन कार्य किया हो।

(iii) यदि अभियंता द्वारा ठेकेदार को सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन श्रमिक से कार्य कराने की अनुमति दी जाती है, तो ठेकेदार उस श्रमिक को सामान्य साप्ताहिक अवकाश से ठीक पहले या उसके बाद के 5 दिनों में से किसी एक दिन पूर्ण दिवस का वैकल्पिक अवकाश देगा तथा सामान्य साप्ताहिक अवकाश के दिन किए गए कार्य के लिए श्रमिक को ओवरटाइम दर से मजदूरी का भुगतान करेगा।

4. मजदूरी आदि के संबंध में सूचना प्रदर्शित करना

ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पहले कार्यस्थल पर ऐसे प्रमुख एवं स्पष्ट स्थानों पर, जहां अधिकांश श्रमिकों द्वारा बोली जाने वाली अंग्रेजी तथा स्थानीय भारतीय भाषा में, स्वच्छ एवं पठनीय स्थिति में निम्नलिखित विवरण प्रदर्शित एवं निरंतर बनाए रखा जाएगा—

- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी की दरें;
- वास्तव में श्रमिकों को भुगतान की जा रही मजदूरी;
- उक्त मजदूरी के लिए निर्धारित कार्य के घंटे;

- मजदूरी अवधि;
- मजदूरी भुगतान की तिथि; तथा
- अन्य संबंधित जानकारी, जैसा कि परिशिष्ट 'A' में निर्धारित है।

5. मजदूरी का भुगतान

- ठेकेदार ऐसी मजदूरी अवधि निर्धारित करेगा जिसके लिए मजदूरी देय होगी।
- कोई भी मजदूरी अवधि एक माह से अधिक नहीं होगी।
- जहां किसी प्रतिष्ठान अथवा ठेकेदार द्वारा नियोजित संविदा श्रमिकों की संख्या 1,000 से कम है, वहां प्रत्येक श्रमिक की मजदूरी संबंधित मजदूरी अवधि की अंतिम तिथि के बाद सातवें दिन की समाप्ति से पहले भुगतान की जाएगी। अन्य मामलों में भुगतान दसवें दिन की समाप्ति से पहले किया जाएगा।
- यदि किसी श्रमिक की सेवा ठेकेदार द्वारा या उसकी ओर से समाप्त की जाती है, तो उसके द्वारा अर्जित मजदूरी का भुगतान उसकी सेवा समाप्ति की तिथि से दूसरे कार्य दिवस की समाप्ति से पहले किया जाएगा।
- सभी मजदूरी भुगतान कार्य दिवस पर, कार्यस्थल पर, कार्य के समय तथा पूर्व में अधिसूचित तिथि को किए जाएंगे। यदि कार्य मजदूरी अवधि समाप्त होने से पहले पूर्ण हो जाता है, तो अंतिम भुगतान अंतिम कार्य दिवस के 48 घंटे के भीतर किया जाएगा।
- प्रत्येक श्रमिक को देय मजदूरी का भुगतान सीधे उसे अथवा उसके द्वारा इस उद्देश्य से अधिकृत व्यक्ति को किया जाएगा।
- सभी मजदूरी का भुगतान प्रचलित सिक्के अथवा मुद्रा में या दोनों के माध्यम से किया जाएगा।
- मजदूरी से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं की जाएगी, सिवाय उन कटौतियों के जो राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा सामान्य अथवा विशेष आदेश के माध्यम से निर्धारित की गई हों या जो मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अनुमन्य हों।
- कार्यस्थल पर मजदूरी अवधि तथा मजदूरी भुगतान के स्थान एवं समय को दर्शाने वाली सूचना प्रदर्शित की जाएगी तथा उसकी एक प्रति ठेकेदार द्वारा अभियंता को प्राप्ति की पुष्टि सहित भेजी जाएगी।
- यह ठेकेदार का दायित्व होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि मजदूरी का भुगतान अभियंता अथवा अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाए। उक्त अधिकारी/प्रतिनिधि ठेकेदार द्वारा श्रमिकों को मजदूरी वितरित किए जाने के स्थान एवं समय पर उपस्थित रहेगा।
- ठेकेदार अभियंता अथवा अभियंता के अधिकृत प्रतिनिधि से, जैसा भी मामला हो, “मजदूरी रजिस्टर (Register of Wages)” अथवा “मजदूरी-सह-मस्टर रोल (Wages-cum-Muster Roll)” में की गई प्रविष्टियों के अंत में निर्धारित प्रारूप में उनके हस्ताक्षर सहित प्रमाण-पत्र प्राप्त करेगा।

6. श्रम अभिलेख (LABOUR RECORDS)

- ठेकेदार द्वारा संविदा के अंतर्गत कार्यरत सभी व्यक्तियों का “नियोजित व्यक्तियों का रजिस्टर (Register of Persons Employed)” CL (R&A) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रपत्र XIII में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-IV)
- ठेकेदार द्वारा उसके अधीन संविदा कार्य में नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में “मस्टर रोल रजिस्टर (Muster Roll Register)” CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XVI में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-V)
- ठेकेदार द्वारा उसके अधीन संविदा कार्य में नियोजित सभी श्रमिकों के संबंध में “मजदूरी रजिस्टर (Wage Register)” CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XVII में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-V)
- दुर्घटना रजिस्टर (Register of Accidents):**
ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर सुविधानुसार निर्धारित प्रारूप में दुर्घटना रजिस्टर रखा जाएगा। इसमें निम्नलिखित विवरण अनिवार्य रूप से शामिल होंगे—
 - दुर्घटना में घायल/दुर्घटनाग्रस्त श्रमिक का पूरा विवरण।
 - मजदूरी की दर।
 - लिंग।
 - आयु।
 - दुर्घटना की प्रकृति एवं कारण।
 - दुर्घटना की तिथि एवं समय।
 - अस्पताल में भर्ती किए जाने की तिथि एवं समय।
 - अस्पताल से छुट्टी की तिथि।
 - उपचार की अवधि एवं उपचार का परिणाम।

- j) चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्धारित **कमाई की क्षमता में कमी तथा दिव्यांगता का प्रतिशत**
- k) कर्मचारी/कामगार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अंतर्गत देय क्षतिपूर्ति की राशि।
- l) क्षतिपूर्ति के भुगतान की तिथि।
- m) भुगतान की गई राशि तथा जिस व्यक्ति को भुगतान किया गया उसका विवरण।
- n) वह प्राधिकारी जिसके द्वारा क्षतिपूर्ति निर्धारित की गई।
- o) टिप्पणियां।

(v) जुर्माना रजिस्टर (Register of Fines):

ठेकेदार द्वारा CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XXII में “जुर्माना रजिस्टर” रखा जाएगा। (परिशिष्ट-XII)

(vi) ठेकेदार द्वारा कार्यस्थल पर किसी प्रमुख एवं स्पष्ट स्थान पर उन अधिनियमों एवं कृत्यों/चूकों की स्वीकृत सूची प्रदर्शित की जाएगी, जिनके लिए जुर्माना लगाया जा सकता है। (परिशिष्ट-X)

(vii) कटौती रजिस्टर (Register of Deductions):

क्षति अथवा हानि के कारण की गई कटौतियों का “कटौती रजिस्टर” CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XX में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-XII)

(viii) अग्रिम रजिस्टर (Register of Advances):

ठेकेदार द्वारा “अग्रिम रजिस्टर” CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XXII में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-XIII)

(ix) ओवरटाइम रजिस्टर (Register of Overtime):

ठेकेदार द्वारा “ओवरटाइम रजिस्टर” CL (R&A) नियम, 1971 के प्रपत्र XXXIII में रखा जाएगा। (परिशिष्ट-XIV)

2. उपस्थिति कार्ड-सह-मजदूरी पर्ची

(ATTENDANCE CARD-CUM-WAGE SLIP)

(i) ठेकेदार द्वारा उसके द्वारा नियोजित प्रत्येक श्रमिक को **उपस्थिति कार्ड-सह-मजदूरी पर्ची (Attendance Card-cum-Wage Slip)** परिशिष्ट-VII में दिए गए निर्धारित प्रारूप के अनुसार जारी की जाएगी।

(ii) यह कार्ड प्रत्येक मजदूरी अवधि के लिए वैध होगा।

(iii) ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक की उपस्थिति कार्ड पर प्रतिदिन **दो बार दर्ज** की जाएगी—

- पहली बार कार्य प्रारंभ होने के समय; तथा
- दूसरी बार विश्राम अवधि के बाद, वास्तविक रूप से कार्य प्रारंभ करने से पूर्व।

(iv) संबंधित मजदूरी अवधि के दौरान उपस्थिति कार्ड श्रमिक के पास ही रहेगा।

(v) ठेकेदार द्वारा संबंधित मजदूरी अवधि की मजदूरी के भुगतान से कम से कम **एक दिन पूर्व** कार्ड के पीछे दिए गए मजदूरी पर्ची वाले भाग को पूरा किया जाएगा।

(vi) मजदूरी भुगतान के समय ठेकेदार श्रमिक के हस्ताक्षर अथवा अंगूठे का निशान मजदूरी पर्ची पर प्राप्त करेगा तथा उसके बाद कार्ड अपने पास रखेगा।

3. रोजगार कार्ड

(EMPLOYMENT CARD)

ठेकेदार द्वारा प्रत्येक श्रमिक को उसकी नियुक्ति के **तीन दिनों के भीतर** CL (R&A) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रपत्र XIV में रोजगार कार्ड जारी किया जाएगा। (परिशिष्ट-VIII)

4. सेवा प्रमाण-पत्र

(SERVICE CERTIFICATE)

किसी भी कारण से श्रमिक की सेवा समाप्त होने पर ठेकेदार द्वारा संबंधित श्रमिक को CL (R&A) केंद्रीय नियम, 1971 के प्रपत्र XV में **सेवा प्रमाण-पत्र** जारी किया जाएगा। (परिशिष्ट-IX)

5. श्रम अभिलेखों का संरक्षण

(PRESERVATION OF LABOUR RECORDS)

विनियम संख्या 6 एवं 7 के अंतर्गत रखे जाने वाले सभी अभिलेखों को अंतिम प्रविष्टि की तिथि से **तीन वर्ष** की अवधि तक मूल रूप में सुरक्षित

रखा जाएगा तथा उन्हें अभियंता, श्रम अधिकारी अथवा विभाग द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य अधिकारी के निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।

6. श्रम अधिकारी को जांच अथवा पूछताछ करने की शक्ति

(POWER OF LABOUR OFFICER TO MAKE INVESTIGATIONS OR ENQUIRY)

श्रम अधिकारी अथवा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इस संबंध में अधिकृत कोई अन्य व्यक्ति, उचित मजदूरी संबंधी धाराओं एवं इन विनियमों के प्रावधानों के उचित अनुपालन को सुनिश्चित करने और लागू कराने के उद्देश्य से जांच/पूछताछ करने के लिए अधिकृत होगा।

वह ठेकेदार अथवा उप-ठेकेदार द्वारा उक्त प्रावधानों के संबंध में की गई किसी भी चूक या उल्लंघन से संबंधित शिकायत की जांच करेगा।

श्रम अधिकारी अथवा अधिकृत व्यक्ति अपनी जांच/पूछताछ के परिणाम की रिपोर्ट संबंधित अभियंता को प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह उल्लेख होगा कि ठेकेदार द्वारा किस सीमा तक चूक की गई है तथा ठेकेदार के बिल से आवश्यक कटौती कर संबंधित श्रमिकों को उनकी मजदूरी एवं अन्य देय राशि का भुगतान किए जाने की अनुशंसा की जाएगी।

यदि इन विनियमों के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा अपील की जाती है, तो ऐसी अपील पर अधीक्षण अभियंता द्वारा निर्णय दिए जाने के बाद अभियंता द्वारा श्रमिकों को वास्तविक भुगतान किया जाएगा।

अभियंता, श्रम अधिकारी अथवा अधीक्षण अभियंता, जैसा भी मामला हो, से रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** संबंधित श्रमिकों को भुगतान की व्यवस्था करेगा।

7. श्रम अधिकारी की रिपोर्ट

(REPORT OF LABOUR OFFICER)

श्रम अधिकारी अथवा उपर्युक्त रूप से अधिकृत व्यक्ति अपनी जांच/पूछताछ के परिणाम की रिपोर्ट संबंधित अभियंता को प्रस्तुत करेगा, जिसमें ठेकेदार द्वारा की गई चूक की सीमा, यदि कोई हो, का उल्लेख होगा तथा ठेकेदार के बिल से आवश्यक कटौती करके संबंधित श्रमिकों को मजदूरी एवं अन्य देय राशि का भुगतान किए जाने का उल्लेख किया जाएगा।

यदि इन विनियमों के **खंड 13** के अंतर्गत ठेकेदार द्वारा कोई अपील की जाती है, तो अधीक्षण अभियंता द्वारा उस अपील पर निर्णय दिए जाने के बाद अभियंता द्वारा श्रमिकों को वास्तविक भुगतान किया जाएगा।

अभियंता, श्रम अधिकारी अथवा अधीक्षण अभियंता, जैसा भी मामला हो, से रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि से **45 दिनों के भीतर** संबंधित श्रमिकों को भुगतान की व्यवस्था करेगा।

8. श्रम अधिकारी के निर्णय के विरुद्ध अपील

(APPEAL AGAINST THE DECISION OF LABOUR OFFICER)

श्रम अधिकारी अथवा अधिकृत व्यक्ति के निर्णय एवं अनुशंसा से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति, निर्णय की तिथि से **30 दिनों के भीतर** संबंधित अभियंता के समक्ष अपील कर सकता है। अपील की एक प्रति उसी समय संबंधित **अधीक्षण अभियंता** को भी भेजी जाएगी।

ऐसी अपील के अधीन रहते हुए श्रम अधिकारी का निर्णय **ठेकेदार पर अंतिम एवं बाध्यकारी** होगा।

9. विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व पर प्रतिबंध

(PROHIBITION REGARDING REPRESENTATION THROUGH LAWYER)

(i) श्रमिक का प्रतिनिधित्व

इन विनियमों के अंतर्गत किसी जांच अथवा पूछताछ में श्रमिक का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है—

(a) उस पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(b) उस ट्रेड यूनियन महासंघ (Federation of Trade Unions) का अधिकारी, जिससे उपर्युक्त ट्रेड यूनियन संबद्ध है।

(c) यदि नियोक्ता किसी पंजीकृत ट्रेड यूनियन का सदस्य नहीं है, तो उस उद्योग से संबंधित पंजीकृत ट्रेड यूनियन का अधिकारी, जिसमें श्रमिक कार्यरत है।

(ii) नियोक्ता/ठेकेदार का प्रतिनिधित्व

इन विनियमों के अंतर्गत किसी जांच अथवा पूछताछ में नियोक्ता का प्रतिनिधित्व निम्नलिखित द्वारा किया जा सकता है—

(a) उस नियोक्ता संघ का अधिकारी, जिसका वह सदस्य है।

(b) उस नियोक्ता संघों के महासंघ का अधिकारी, जिससे उक्त नियोक्ता संघ संबद्ध है।

(c) यदि नियोक्ता किसी नियोक्ता संघ का सदस्य नहीं है, तो संबंधित उद्योग से जुड़े नियोक्ता संघ का अधिकारी अथवा उस उद्योग में कार्यरत

कोई अन्य नियोक्ता, जिसमें संबंधित नियोक्ता कार्यरत है।

(iii) इन विनियमों के अंतर्गत किसी भी जांच अथवा पूछताछ में कोई भी पक्ष किसी अधिवक्ता/कानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से प्रतिनिधित्व करने का अधिकारी नहीं होगा।

10. पुस्तकों एवं पर्चियों का निरीक्षण

(INSPECTION OF BOOKS AND SLIPS)

ठेकेदार अपने श्रम संबंधी निर्धारित अभिलेखों को उसके किसी श्रमिक, उसके एजेंट, श्रम अधिकारी अथवा राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा इस संबंध में अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, उचित सूचना प्राप्त होने के पश्चात, सुविधाजनक समय एवं स्थान पर निरीक्षण हेतु उपलब्ध कराएगा।

11. विवरणी प्रस्तुत करना

(SUBMISSION OF RETURNS)

ठेकेदार द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाने वाली आवधिक विवरणियां (Periodical Returns) प्रस्तुत की जाएंगी।

12. संशोधन

(AMENDMENTS)

राष्ट्रीय बीज निगम द्वारा समय-समय पर इन विनियमों में आवश्यकतानुसार संशोधन या परिवर्तन किया जा सकता है।

इन विनियमों के अनुप्रयोग, व्याख्या अथवा प्रभाव से संबंधित किसी भी प्रश्न पर संबंधित अभियंता का निर्णय अंतिम होगा।

रजिस्ट्रों के प्रारूपों की सूची

(LIST OF PROFORMA FOR REGISTERS — APPENDIX-I TO XIII)

1. ठेकेदार द्वारा नियोजित श्रमिकों का रजिस्टर
2. मस्टर रोल
3. मजदूरी रजिस्टर
4. मजदूरी कार्ड एवं मजदूरी पर्ची
5. अग्रिम रजिस्टर
6. ओवरटाइम रजिस्टर

जुर्माना लगाए जाने योग्य कृत्यों एवं चूकों की सूची

NSC ठेका श्रमिक विनियमावली के नियम 7(v) के अनुसार, इसे कार्यस्थल पर अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा दोनों में प्रमुख स्थान पर प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है।

1. जानबूझकर अवज्ञा या आदेशों की अवहेलना, चाहे अकेले की गई हो या अन्य कृत्यों के साथ मिलकर।
2. चोरी, धोखाधड़ी या बेईमानी, जो ठेकेदार के व्यवसाय अथवा NSC की संपत्ति से संबंधित हो।
3. रिश्तत लेना या देना अथवा किसी प्रकार की अवैध संतुष्टि/लाभ प्राप्त करना।
4. लगातार देर से कार्यस्थल पर उपस्थित होना।
5. नशे की हालत में रहना, लड़ाई-झगड़ा करना, उपद्रवी या अव्यवस्थित व्यवहार करना अथवा कार्य के प्रति उदासीन व्यवहार करना।
6. कार्य के प्रति लगातार लापरवाही बरतना।
7. ज्वलनशील अथवा अन्य सामग्री के भंडारण वाले क्षेत्र के पास या आसपास धूम्रपान करना।
8. लगातार अनुशासनहीनता करना।
9. कार्य की प्रगति के दौरान किए जा रहे कार्य अथवा NSC या ठेकेदार की संपत्ति को क्षति पहुँचाना।
10. ड्यूटी के दौरान सोना।
11. जानबूझकर कार्य में लापरवाही करना अथवा कार्य की गति धीमी करना।
12. नाम, आयु, पिता का नाम आदि के संबंध में गलत जानकारी देना।
13. नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए वेतन कार्ड को बार-बार खोना।
14. नियोक्ता की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग करना अथवा कार्यस्थल पर बिना अनुमति किसी वस्तु का निर्माण/तैयारी करना।
15. कुशल श्रमिकों द्वारा निर्माण एवं अनुरक्षण कार्य में खराब कारीगरी करना, जिसे विभाग द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया हो और जिसके कारण ठेकेदार को पुनः सुधार कार्य करना पड़े।
16. झूठी शिकायत करना और/या भ्रामक बयान देना।
17. प्रतिष्ठान के परिसर में व्यापारिक गतिविधियों में संलग्न होना।
18. कर्मचारियों/प्रतिष्ठान के व्यावसायिक मामलों की किसी भी अनधिकृत जानकारी को प्रकट करना।
19. नियोक्ता की अनुमति के बिना प्रतिष्ठान के परिसर में धन एकत्र करना अथवा धन संग्रह हेतु प्रचार/आह्वान करना।
20. नियोक्ता की पूर्व अनुमति के बिना परिसर के अंदर बैठक आयोजित करना।
21. कार्य समय के दौरान परिसर में किसी श्रमिक या नियोक्ता को धमकाना अथवा भयभीत करना।

संशोधन एवं विघटन कार्यों के लिए विनिर्देश एवं शर्तें

(A) विघटन (Dismantling)

विघटन (Dismantling) का अर्थ है किसी संरचना के विभिन्न भागों को बिना क्षति पहुँचाए सावधानीपूर्वक अलग करना तथा हटाना। इसमें भवन के एक या एक से अधिक भागों का विघटन शामिल हो सकता है, जैसा कि ड्राइंग में निर्दिष्ट अथवा दर्शाया गया हो।

(B) ध्वस्तीकरण (Demolition)

ध्वस्तीकरण (Demolition) का अर्थ है संरचना को तोड़ना/ध्वस्त करना। इसमें कार्य के किसी पूरे भाग अथवा उसके किसी हिस्से को ध्वस्त करना शामिल होगा, जिसमें ड्राइंग में निर्दिष्ट अथवा दर्शाए गए सभी संबंधित कार्य भी सम्मिलित होंगे।

सावधानियाँ (Precautions)

1. विघटन अथवा ध्वस्तीकरण से प्राप्त सभी सामग्री, जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो, **सरकार की संपत्ति** होगी तथा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व उसे सुरक्षित रूप से रखा जाएगा और बाद में प्रभारी अभियंता (Engineer-in-Charge) को सौंप दिया जाएगा।
2. ध्वस्तीकरण कार्य की पहले से उचित योजना बनाई जाएगी तथा सामान्यतः इसे **उस क्रम के विपरीत क्रम में** किया जाएगा, जिस क्रम में संरचना का निर्माण किया गया था। कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रस्तावित कार्य-विधि को प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराया जाएगा।
3. **IS: 4130** तथा अनुबंध की शर्तों एवं सुरक्षा संहिता (Safety Code) में निर्धारित सुरक्षा उपायों का उचित रूप से पालन किया जाएगा।
4. विघटन एवं ध्वस्तीकरण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व आस-पास के कार्य अथवा संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक **प्रॉपिंग (Propping), शोरिंग (Shoring) तथा/या अंडरपिनिंग (Underpinning)** की व्यवस्था की जाएगी। कार्य इस प्रकार किया जाएगा कि आसपास के कार्य अथवा संपत्ति को किसी प्रकार की क्षति न पहुँचे। जहाँ निर्दिष्ट हो, वहाँ प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार अस्थायी घेराबंदी अथवा विभाजन (Partitions) भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
5. धूल से होने वाली परेशानी (Dust Nuisance) को न्यूनतम रखने के लिए आवश्यक सावधानियाँ बरती जाएंगी।
6. विघटन कार्य **व्यवस्थित तरीके से** किया जाएगा। ऐसी सभी सामग्री, जो ऊँचाई से गिरने अथवा छत, चिनाई आदि को तोड़ने के कारण क्षतिग्रस्त हो सकती है, उसे पहले सावधानीपूर्वक हटाया जाएगा। विघटित सामग्री को हाथ से अथवा अन्य उपयुक्त साधन से **नीचे उतारा जाएगा, फेंका नहीं जाएगा**, तथा प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार उचित रूप से ढेर लगाकर रखा जाएगा।
7. जहाँ मौजूदा फिक्सिंग **कील, स्क्रू, बोल्ट, रिबेट आदि** द्वारा की गई हो, वहाँ उचित औजारों का उपयोग करके फिक्सिंग को निकालते हुए विघटन किया जाएगा। सामग्री को खींचकर अथवा फाड़कर नहीं हटाया जाएगा।
8. विघटन अथवा ध्वस्तीकरण के दौरान प्राप्त सभी **पुनः उपयोग योग्य (Serviceable) सामग्री** को अलग करके प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार उचित रूप से व्यवस्थित एवं सुरक्षित रखा जाएगा।
9. सभी **अनुपयोगी सामग्री, मलबा (Rubbish) आदि** को प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार हटाकर उचित स्थान पर निस्तारित किया जाएगा।
10. ठेकेदार मौजूदा **अस्थायी अथवा स्थायी सेवाओं (Services)** को आवश्यकतानुसार बनाए रखने तथा/या डिस्कनेक्ट करने की व्यवस्था करेगा।

माप (Measurements)

सभी कार्यों का माप **दशमलव प्रणाली (Decimal System)** में, अपनी वास्तविक स्थिति में, नेट आधार पर लिया जाएगा, जब तक कि आगे अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

(a) सभी आयाम (Dimensions) निकटतम **1 सेमी** तक सही मापे जाएंगे।

(b) क्षेत्रफल (Area) **वर्ग मीटर (sqm)** में निकाला जाएगा तथा **दो दशमलव स्थान** तक दर्ज किया जाएगा।

(c) घनफल (Cubic Contents) **0.01 घन मीटर (cum)** तक निकाला जाएगा।

विघटित किए जाने वाले तथा ध्वस्त किए जाने वाले कार्य के भागों का **अलग-अलग माप** लिया जाएगा।

छिपे हुए कार्य (Hidden Work) को छोड़कर, सभी कार्यों का माप **ध्वस्तीकरण अथवा विघटन से पूर्व** लिया जाएगा तथा सामग्री के आयतन में वृद्धि (Increase in Bulk) के लिए कोई अतिरिक्त मात्रा स्वीकार नहीं की जाएगी। रिक्त स्थानों (Voids), खुले स्थानों (Openings) आदि के लिए कटौती का प्रावधान उसी आधार पर होगा, जो नए निर्माण कार्य के लिए अपनाया जाता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में किए गए कार्यों का माप **अलग-अलग** लिया जाएगा:

(a) पानी और/या तरल कीचड़ (Liquid Mud) में अथवा उसके नीचे किया गया कार्य।

(b) गंदे/दूषित स्थानों (Foul Positions) में अथवा उनके नीचे किया गया कार्य।

दरें (Rates)

निर्धारित दर में ध्वस्तीकरण एवं विघटन कार्य के लिए आवश्यक सभी श्रम तथा औजारों की लागत, जिसमें मचान (Scaffolding) भी शामिल है, सम्मिलित होगी।

दर में निम्नलिखित कार्य भी शामिल माने जाएंगे:

- उपयोग योग्य सामग्री को अलग करना एवं उचित रूप से व्यवस्थित करके रखना।
- अनुपयोगी सामग्री/मलबे को प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार हटाना एवं निस्तारित करना।
- उन संरचनात्मक भागों की सुरक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी शोरिंग (Temporary Shoring) उपलब्ध कराना, जिन्हें ध्वस्त नहीं किया जाना है।
- आस-पास की संपत्ति/संरचना की सुरक्षा के लिए आवश्यक अस्थायी सहारा उपलब्ध कराना।
- आवश्यकता होने पर अस्थायी घेराबंदी (Enclosures) अथवा विभाजन (Partitions) उपलब्ध कराना।

उपरोक्त सभी कार्यों की लागत को संबंधित अनुबंधित दरों में सम्मिलित माना जाएगा तथा इनके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

विद्युत कार्य हेतु अतिरिक्त विनिर्देश

1. कार्य CPWD विशिष्टियाँ, 2005 (समय-समय पर यथासंशोधित) तथा भारतीय विद्युत नियम, 1956 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अनुसार किया जाएगा।
2. ठेकेदार द्वारा कार्य स्थल पर उपयोग की जाने वाली सामग्री के लिए कार्यस्थल पर सामग्री लाने से पूर्व प्रभारी अभियंता से अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
3. ठेकेदार को कार्य पूर्ण होने पर पूर्णता ड्राइंग (Completion Plan) तीन प्रतियों में तथा ट्रेसिंग क्लॉथ/पेपर की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। ऐसा न करने की स्थिति में अनुबंध की धारा 8.3 के अनुसार अंतिम बिल से निर्धारित राशि की कटौती की जाएगी।
4. कार्य स्थल पर कार्यरत अन्य ठेकेदारों के साथ पूर्ण समन्वय एवं सहयोग करते हुए कार्य किया जाएगा।
5. सभी इंटर-कनेक्शन उपयुक्त लंबाई के केबल द्वारा, उनकी विद्युत धारा वहन क्षमता के अनुरूप, सोल्डर-लेस थिम्बल के साथ किए जाएंगे। सभी अर्थ कनेक्शन तथा मेटल बोर्ड के कनेक्शन केवल सोल्डर्ड थिम्बल/लम्स द्वारा किए जाएंगे। इस संबंध में ठेकेदार को कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
6. केवल Anchor/Cona (ISI मार्क) के पियानो टाइप स्विच एवं सॉकेट का ही उपयोग किया जाएगा। इनके साथ उपयुक्त रंग की Hylam शीट कवर का प्रयोग किया जाएगा, जिस पर स्पष्ट रूप से “HYLAM” अंकित होना चाहिए। इस मद में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। Hylam शीट का रंग प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराया जाएगा।
7. कंड्यूट एवं केबल की रूटिंग प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराना अनिवार्य होगा।
8. स्विच गियर की व्यवस्था तथा एंगल आयरन अथवा शीट मेटल बोर्ड के आयाम दर्शाने वाली ड्राइंग को निर्माण एवं कार्यस्थल पर स्थापना से पूर्व प्रभारी अभियंता से अनुमोदित कराया जाएगा।
9. अर्थिंग का कार्य प्रभारी अभियंता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया जाएगा।
10. कार्य के निष्पादन के दौरान भवन को हुई किसी भी प्रकार की क्षति की मरम्मत विद्युत ठेकेदार द्वारा अपने स्वयं के खर्च एवं जोखिम पर की जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
11. ठेकेदार को प्रत्येक दिन का कार्य समाप्त होने के पश्चात मलबा/कचरा आदि हटाकर प्रभारी अभियंता द्वारा निर्धारित स्थान पर ले जाना होगा। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा। कार्य पूर्ण होने के पश्चात कार्यस्थल को साफ-सुथरा रखना ठेकेदार की जिम्मेदारी होगी। ऐसा न करने पर कार्यस्थल की सफाई ठेकेदार के जोखिम एवं खर्च पर कराई जाएगी।
12. कार्य पूर्ण होने तथा विभाग को पूर्ण रूप से हस्तांतरित किए जाने तक सामग्री एवं विद्युत प्रतिष्ठानों की सुरक्षा एवं चौकीदारी की व्यवस्था ठेकेदार द्वारा स्वयं की जाएगी। इसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. जब भी कंड्यूट किसी मेटलिक बॉक्स, फ्रेम आदि में प्रवेश करे, तो कंड्यूट के दोनों सिरों पर चेक नट उपलब्ध कराए जाएंगे।
14. प्रभारी अभियंता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा जब भी आवश्यक हो, ठेकेदार को साइट ऑर्डर बुक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा।
15. कार्य निष्पादित करने वाले व्यक्तियों के पास भारतीय विद्युत अधिनियम/लागू विद्युत नियमों के अनुसार आवश्यक वैध विद्युत लाइसेंस होना अनिवार्य होगा।
16. ठेकेदार को विद्युत कार्यों की सामान्य विशिष्टियाँ, 2005 के Annexure “E” के अनुसार पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) प्रस्तुत करना होगा। निर्धारित परीक्षण प्रभारी अभियंता की उपस्थिति में किए जाएंगे।
17. सभी AC स्विच एवं SDB को क्रमांकित किया जाएगा। प्रभारी अभियंता के निर्देशानुसार SDB एवं मुख्य बोर्ड पर आवश्यक लेटरिंग/अंकन कार्य भी किया जाएगा। इस संबंध में कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।
18. कार्य के पूर्ण किए गए हिस्से को अलग-अलग भागों में विभाग द्वारा अपने अधिकार में नहीं लिया जाएगा, जब तक कि प्रभारी अभियंता द्वारा अन्यथा सहमति प्रदान न की गई हो।

विद्युत उपकरणों के अनुशंसित निर्माता/ब्रांड

1. ट्रांसफॉर्मर (Transformer)

- क) Siemens India Ltd.
- ख) NGEF Ltd.
- ग) Crompton Greaves Ltd.
- घ) GEC Ltd.
- ङ) Jyoti Ltd.
- च) Kasun (Madras)
- छ) NEI Ltd.
- ज) ITE Hyderabad
- झ) BHEL

2. HT सर्किट ब्रेकर एवं फ्यूज स्विच यूनिट्स (HT Circuit Breaker and Fuse Switch Units)

- क) Siemens India Ltd.
- ख) NGEF Ltd.
- ग) GEC Ltd.
- घ) MET Ltd.
- ङ) Jyoti Ltd.
- च) Crompton Greaves Ltd.
- छ) Allind
- ज) Kirloskar
- झ) Voltas
- ञ) BHEL

3. LT स्विचगियर (PCC) एवं मोटर कंट्रोल सेंटर (MCC)

- क) Larsen & Toubro (L&T)
- ख) Siemens India Ltd.
- ग) Bhartia Cutler Hammer
- घ) English Electric Company

4. केबल (Cables)

- क) Cable Corporation of India
- ख) Fort Gloster
- ग) TCC
- घ) NICCO
- ङ) Grandlay
- च) Universal
- छ) Asian Cables
- ज) Industrial Cable

5. सीलिंग फैन (Ceiling Fans)

- क) GEC Ltd.
- ख) Philips
- ग) Usha
- घ) Crompton
- ङ) Orient
- च) Cool Home

6. एग्जॉस्ट फैन (Exhaust Fans)

क) GEC Ltd.

ख) Philips

ग) Usha

घ) Crompton

ङ) Cool Home

7. लाइटिंग फिटेस (Lighting Fixtures)

I. इन्कैंडेसेंट फिटेस (Incandescent Fixtures)

क) GEC Ltd.

ख) Philips

ग) Deccon

घ) Crompton

II. फ्लोरोसेंट एवं HPMV फिटेस (Fluorescent and HPMV Fixtures)

क) Philips

ख) GEC

ग) Crompton

घ) Anchor

ङ) Mysore Lamps

च) Best & Crompton Ltd.

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

अनुभाग – V
अनुलग्नक-A

(NSC को ऑनलाइन माध्यम से 'तकनीकी बोली' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है)

तकनीकी बोली हेतु प्रपत्र

क्र. सं.	विवरण	टिप्पणी / हाँ या नहीं
1	NIT के अनुसार निविदा शुल्क (अप्रतिदेय) – ऑनलाइन माध्यम से।	
2	निविदा के अनुसार EMD (बयाना राशि) – ऑनलाइन माध्यम से।	
3	तेलंगाना राज्य विद्युत विभाग के साथ फर्म के पंजीकरण प्रमाण-पत्र/लाइसेंस की प्रति।	
4	यदि फर्म साझेदारी फर्म है, तो साझेदारी विलेख (Partnership Deed)।	
5	यदि फर्म लिमिटेड कंपनी अथवा साझेदारी फर्म है, तो हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकरण-पत्र।	
6	यदि फर्म स्वामित्व फर्म/एकल स्वामित्व (Sole Proprietorship) है, तो स्वामित्व संबंधी शपथ-पत्र।	
7	PAN संख्या।	
8	चालू वर्ष एवं पिछले दो वर्षों की आयकर विवरणी (Income Tax Return)।	
	ITR 2024-25 – मूल्य	
	ITR 2025-26 – मूल्य	
	वर्तमान स्थिति (Current Status)	
9	बैंक का नाम एवं पता।	
	खाता संख्या।	
	IFSC कोड।	
10	निम्नलिखित पंजीकरण प्रमाण-पत्रों की प्रतियां:	
	i) GST पंजीकरण।	
	ii) PF, ESI अथवा श्रम लाइसेंस।	
11	निम्नलिखित कार्यों के लिए विभाग द्वारा जारी प्रदर्शन/अनुभव प्रमाण-पत्र:	
12	पिछले चार वर्षों के दौरान किए गए कार्यों का प्रमाण-पत्र (Work Done Certificate)।	
	2022-23 – ₹----- लाख	
	2023-24 – ₹----- लाख	
	2024-25 – ₹----- लाख	
	2025-26 – ₹----- लाख	
	वर्तमान स्थिति (Current Status)	
14	फर्म के ब्लैकलिस्ट/डिबार न होने तथा इस कार्यालय में कोई मध्यस्थता (Arbitration) मामला लंबित न होने संबंधी शपथ-पत्र/प्रमाण-पत्र।	
16	वैधता अवधि एवं संबंधित वस्तु/आइटम सहित MSME/NSIC प्रमाण-पत्र तथा MSME Udyog Aadhaar Memorandum।	
17	तकनीकी बोली (Technical Bid)।	
18	निविदा के समर्थन में अन्य कोई दस्तावेज, यदि कोई हो।	
19	ठेकेदार का पता।	
	संपर्क संख्या।	
	ई-मेल आईडी।	

समझौता प्रपत्र

अनुबंध संख्या: _____

दिनांक: _____

यह समझौता दिनांक... .. को दिल्ली में राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (National Seeds Corporation Limited), भारत सरकार का उपक्रम, जिसका पंजीकृत कार्यालय बीज भवन, पूसा कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110012 में स्थित है, अपने अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से (जिस अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारियों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करेगा), जिसे आगे “निगम” कहा जाएगा, प्रथम पक्ष, तथा

_____ अपने स्वामी/प्रोपराइटर के माध्यम से (जिस अभिव्यक्ति का अर्थ, जब तक विषय या संदर्भ के प्रतिकूल न हो, इसके उत्तराधिकारियों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करेगा), जिसे आगे “ठेकेदार” कहा जाएगा, द्वितीय पक्ष, के मध्य निष्पादित किया गया।

जबकि

निगम द्वारा निविदा संख्या _____ आमंत्रित की गई थी, जिसके नियम एवं शर्तें निविदा आमंत्रण सूचना (NIT), अनुबंध की सामान्य शर्तों, विशिष्टियों, ड्राइंग तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों में वर्णित अथवा संदर्भित हैं। उक्त सभी दस्तावेजों की प्रतियां इस समझौते के साथ संलग्न हैं तथा ये सभी दस्तावेज इस अनुबंध का अभिन्न अंग हैं। और इस समझौते में जहां कहीं भी “अनुबंध” (CONTRACT) शब्द का प्रयोग किया गया है, उसमें ये सभी दस्तावेज सम्मिलित माने जाएंगे।

और जबकि ठेकेदार ने निगम द्वारा आमंत्रित उक्त निविदा को स्वीकार करते हुए _____ स्थान पर उक्त कार्य को कुल ₹ _____ की राशि में, निविदा दस्तावेजों में उल्लिखित नियमों एवं शर्तों के अनुसार निष्पादित करने की सहमति प्रदान की है।

अब यह समझौता निम्नलिखित रूप से साक्ष्यित, सहमत एवं घोषित किया जाता है:

1. निगम के साथ किए गए करार के अनुसार ठेकेदार द्वारा कार्य निष्पादित किए जाने के एवज में किए जाने वाले भुगतान के प्रतिफल के रूप में, ठेकेदार कार्यदिश जारी होने की तारीख के 7वें दिन से _____ माह की अवधि के भीतर अनुबंध की शर्तों के अनुसार उक्त कार्य को विधिवत उपलब्ध कराएगा, निष्पादित करेगा तथा पूर्ण करेगा।

ठेकेदार उक्त कार्य को “एक वर्ष की अवधि, जो कार्य पूर्ण होने की तारीख से प्रारंभ होगी”, की अनुरक्षण अवधि के दौरान अपने स्वयं के खर्च पर अनुरक्षित करेगा। इसके अतिरिक्त, अनुबंध में उल्लिखित या वर्णित अथवा उससे निहित होने वाले तथा उक्त कार्य की पूर्णता के लिए यथोचित रूप से आवश्यक सभी अन्य कार्य एवं दायित्वों को अनुबंध में निर्धारित समय, तरीके, नियमों एवं शर्तों के अनुसार पूरा करेगा।

2. उक्त कार्य के विधिवत प्रावधान, निष्पादन एवं पूर्णता के प्रतिफल के रूप में निगम, ठेकेदार द्वारा वास्तव में निष्पादित कार्य के लिए निविदा दस्तावेजों का अभिन्न अंग बनने वाली विधिवत बिल ऑफ क्वांटिटीज (BOQ) में ठेकेदार द्वारा उद्धृत एवं निगम द्वारा स्वीकृत दरों (₹ _____) अथवा सहमत दरों पर तथा अनुबंध के प्रावधानों के अंतर्गत ठेकेदार को देय अन्य राशि का भुगतान करेगा। उक्त भुगतान अनुबंध में निर्धारित समय एवं तरीके से किया जाएगा।

3. उपर्युक्त के प्रतिफल के रूप में ठेकेदार, निगम द्वारा ठेकेदार को प्रदान की गई सेवाओं, यदि कोई हों, के लिए निगम को देय राशि तथा अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार निगम को देय अन्य सभी राशि का भुगतान करेगा। उक्त भुगतान अनुबंध में निर्धारित तरीके से किया जाएगा।

4. मध्यस्थता संबंधी प्रावधान (Arbitration Clause):

NSC तथा दूसरे पक्ष के मध्य किसी भी नियम, शर्त अथवा अन्य विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होने की स्थिति में, दोनों पक्ष आपसी समझ एवं विचार-विमर्श के माध्यम से विवाद को सुलझाने का प्रयास करेंगे।

यदि विचार-विमर्श के पश्चात भी विवाद का समाधान नहीं होता है, तो दोनों पक्ष मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 (Arbitration and Conciliation Act, 1996) तथा समय-समय पर किए गए उसके संशोधनों के प्रावधानों के अंतर्गत विवाद का समाधान करने के लिए बाध्य होंगे।

उक्त प्रावधान के अंतर्गत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (CMD) द्वारा विवाद के समाधान हेतु एकमात्र मध्यस्थ (Sole Arbitrator) नियुक्त किया जाएगा तथा दोनों पक्ष मध्यस्थ के निर्णय का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

न्यायालय में जाने से पूर्व दोनों पक्ष विवाद को मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता की कार्यवाही नई दिल्ली में तथा अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। इस संबंध में दिल्ली के न्यायालयों का क्षेत्राधिकार होगा।

इसके अतिरिक्त, यदि ठेकेदार कोई सरकारी विभाग/सरकारी उपक्रम/CPSE है, तो इस निविदा से संबंधित किसी भी विवाद अथवा मतभेद को

Administrative Mechanism for Resolution of CPSEs Disputes (AMRCD) के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।

5. अप्रत्याशित घटना संबंधी प्रावधान (Force Majeure Clause):

यदि किसी पक्ष द्वारा समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के निष्पादन में असफलता किसी नागरिक अशांति (Civil Disturbance), युद्ध (War), दैवीय आपदा (Act of God) अथवा किसी अन्य ऐसी अप्रत्याशित परिस्थिति के कारण होती है, जो संबंधित पक्ष के नियंत्रण से बाहर है, तो ऐसी स्थिति में संबंधित पक्ष को अपने दायित्वों के निर्वहन में असफलता के लिए दोषी नहीं माना जाएगा।

हालांकि, संबंधित पक्ष को ऐसी परिस्थितियों के उत्पन्न होने की सूचना दूसरे पक्ष को देनी होगी। उक्त परिस्थितियों के समाप्त होने के पश्चात भी संबंधित पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को ऐसी परिस्थितियों के समाप्त होने की सूचना दी जाएगी।

ऐसी सूचना घटना के घटित होने/समाप्त होने के **48 घंटे के भीतर** जारी की जानी होगी।

6. संशोधन संबंधी प्रावधान (Amendment Clause):

इस समझौते की किसी भी नियम अथवा शर्त को दोनों पक्षों के बीच लिखित समझौते द्वारा संशोधित अथवा परिवर्तित किया जा सकता है।

7. गोपनीयता संबंधी प्रावधान (Confidentiality Clause):

दोनों पक्ष इस समझौते की अवधि के दौरान तथा इसके समाप्त होने अथवा समय से पूर्व निरस्त किए जाने के पश्चात भी, दोनों पक्षों के बीच आदान-प्रदान किए गए सभी ज्ञान एवं सूचनाओं को पूर्णतः गोपनीय रखेंगे।

दोनों पक्ष अपने-अपने अधिकारों की सीमा तक, इस समझौते के अंतर्गत अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए यथोचित रूप से आवश्यक तकनीकी सूचना एवं डेटा एक-दूसरे के साथ साझा करेंगे।

प्रत्येक पक्ष इस बात से सहमत है कि वह दूसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई तकनीकी सूचना, डेटा एवं गोपनीय व्यावसायिक जानकारी को गोपनीय रखेगा तथा ऐसे डेटा के प्रकटीकरण को तीसरे पक्ष के समक्ष रोकने के लिए उसी स्तर की सावधानी बरतेगा, जिस स्तर की सावधानी वह अपने स्वयं के स्वामित्व वाले डेटा की सुरक्षा के लिए बरतता है। ऐसे तकनीकी सूचना, डेटा एवं गोपनीय व्यावसायिक जानकारी को आगे “**डेटा (DATA)**” कहा जाएगा।

इस समझौते के अंतर्गत दोनों पक्षों द्वारा आदान-प्रदान किए गए डेटा का उपयोग इस समझौते में निर्धारित उद्देश्य के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा।

गोपनीयता एवं डेटा के उपयोग पर उपर्युक्त प्रतिबंध निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे:

- ऐसी सूचना जो सार्वजनिक क्षेत्र (Public Domain) में उपलब्ध हो अथवा इस प्रावधान का उल्लंघन किए बिना बाद में सार्वजनिक क्षेत्र में आ जाए।
- ऐसी सूचना जो सूचना के प्रकटीकरण के समय संबंधित पक्ष के पास पहले से उपलब्ध थी तथा जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दूसरे पक्ष से प्राप्त नहीं की गई थी।
- ऐसी सूचना जिसे किसी पक्ष द्वारा कानून, नियम अथवा विनियमों के अंतर्गत किसी न्यायिक अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रकट करना आवश्यक हो।

समाप्ति संबंधी प्रावधान (Termination Clause):

अनुबंध के अंतर्गत उपलब्ध अन्य सभी संविदात्मक अधिकारों एवं उपचारों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यदि ठेकेदार अनुबंध के नियमों एवं शर्तों के अनुसार अपने संविदात्मक दायित्वों का निर्वहन करने में विफल रहता है, तो NSC ठेकेदार को लिखित डिफॉल्ट नोटिस देकर अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त कर सकता है।

यदि NSC अनुबंध को पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से समाप्त करता है, तो NSC रद्द किए गए सामान/सेवाओं के समान सामान/सेवाओं की खरीद ऐसे नियमों एवं शर्तों तथा ऐसे तरीके से कर सकता है, जैसा कि वह उचित समझे। ऐसी खरीद “**ठेकेदार के जोखिम एवं लागत (Risk and Cost)**” पर की जाएगी।

यदि ऐसी वैकल्पिक खरीद की व्यवस्था करने में NSC को कोई अतिरिक्त व्यय करना पड़ता है, तो उक्त अतिरिक्त व्यय की भरपाई के लिए ठेकेदार NSC के प्रति उत्तरदायी होगा।

वारंटी (Warranties):

ठेकेदार यह वारंटी देता है कि सभी _____ सामग्री एवं कारीगरी में दोषों से मुक्त होंगे और इनकी वारंटी अवधि स्थापना की तारीख से **एक वर्ष** होगी।

वारंटी अवधि के दौरान पाए जाने वाले किसी भी दोष को ठेकेदार द्वारा निगम से कोई अतिरिक्त भुगतान लिए बिना तत्काल ठीक किया जाएगा।

दायित्व की सीमा (Limitation of Liability):

किसी भी स्थिति में कोई भी पक्ष दूसरे पक्ष के प्रति इस अनुबंध से उत्पन्न अथवा संबंधित किसी अप्रत्यक्ष, परिणामी, विशेष अथवा दंडात्मक क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। इसमें लाभ की हानि, व्यवसाय की हानि अथवा प्रतिष्ठा/सद्भावना (Goodwill) की हानि शामिल है, चाहे ऐसी क्षति अनुबंध, अपकृत्य (Tort), लापरवाही (Negligence) अथवा अन्य किसी आधार पर उत्पन्न हुई हो।

क्षतिपूर्ति (Indemnification):

ठेकेदार सहमत है कि वह निगम तथा उसके अधिकारियों, निदेशकों, कर्मचारियों एवं एजेंटों को इस अनुबंध के किसी भी प्रावधान के उल्लंघन से उत्पन्न अथवा संबंधित सभी दावों, देनदारियों, क्षतियों, हानियों, लागतों एवं व्ययों, जिसमें यथोचित अधिवक्ता शुल्क भी शामिल है, से क्षतिपूर्ति करेगा, उनका बचाव करेगा तथा उन्हें हानि से मुक्त रखेगा।

साक्ष्य स्वरूप

उपरोक्त के साक्ष्य स्वरूप, दोनों पक्षों ने अपने-अपने हस्ताक्षर के नीचे उल्लिखित दिनांक को इस समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।

_____ की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पद: _____

दिनांक: _____

उपस्थित गवाह:

गवाह 1: _____

गवाह 2: _____

_____ राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड की ओर से हस्ताक्षरित एवं सुपुर्द

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता: _____

नाम: _____

पद: _____

दिनांक: _____

उपस्थित गवाह:

गवाह 1: _____

गवाह 2: _____

शपथ-पत्र प्रमाण-पत्र (Affidavit Certificate)

(बोलीदाता द्वारा ₹100/- (केवल एक सौ रुपये) के गैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर मूल प्रति में, नोटरी पब्लिक द्वारा विधिवत सत्यापित कर प्रस्तुत किया जाना है।)

मैं/हम _____ (नाम, पदनाम एवं पता) एतद्वारा घोषित करता/करते हैं कि मेरी/हमारी फर्म/कंपनी को पिछले _____ वर्षों के दौरान, जहां मैंने/हमने वस्तुओं की आपूर्ति की है, किसी भी सरकारी विभाग/संगठन/सार्वजनिक उपक्रम (PSU)/संस्था आदि द्वारा निविदा में भाग लेने से न तो ब्लैकलिस्ट किया गया है और न ही डिबार (प्रतिबंधित) किया गया है। साथ ही, राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड (NSC) में कोई मध्यस्थता (Arbitration) मामला लंबित नहीं है।

अनुलग्नक-A-2

मैं/हमने ई-निविदा के नियम एवं शर्तों को पढ़ एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं। मैं/हम एतद्वारा प्रमाणित करता/करते हैं कि उपर्युक्त उल्लिखित तथा मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तुत की गई सभी सूचनाएं सत्य एवं सही हैं। यदि प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना गलत/असत्य पाई जाती है, तो NSC प्रबंधन द्वारा मेरी/हमारी बोली को अस्वीकृत किया जा सकता है। उपरोक्त सभी सूचनाएं मेरी/हमारी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सत्य एवं सही हैं।

अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

फर्म/कंपनी का नाम: _____

पूरा पता: _____

मुहर: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

नाम: _____

पदनाम: _____

भाग ख

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

अनुभाग – VII

अनुलग्नक-1

(NSC को ऑनलाइन माध्यम से 'मूल्य बोली (Price Bid)' के अंतर्गत प्रस्तुत किया जाना है)

सेवा में,
क्षेत्रीय प्रबंधक
राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
सिकंदराबाद

महोदय,

हमने निर्धारित विशिष्टियों का परीक्षण किया है तथा फाइल संख्या _____, दिनांक _____ के अंतर्गत जारी ई-निविदा संख्या _____ के नियम एवं शर्तों का अध्ययन किया है, जो “NSC, माडिकोंडा, वारंगल के क्षेत्र कार्यालय में 202 KVAR क्षमता के APFC पैनल बोर्ड की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण एवं कमीशनिंग तथा अन्य सभी सहायक आवश्यक कार्यों और विद्युत विभाग से आवश्यक प्रमाण-पत्र/अनुमति/NOC सहित” कार्य से संबंधित है।
उक्त कार्य के लिए आपकी विशिष्टियों तथा निविदा में उल्लिखित नियम एवं शर्तों के अनुसार हमारी दरें निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	विवरण	मात्रा	राशि (₹)
1	400A, 3 पोल MCCB, 50KA, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	25,600.00
2	400A ROM एवं Spederlinkis, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	6,000.00
3	APFC रिले, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	21,500.00
4	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC3, L&T मेक की आपूर्ति	2 नग	3,724.00
5	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC5, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	1,974.00
6	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC10, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	2,513.00
7	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC15, L&T मेक की आपूर्ति	1 नग	3,423.00
8	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC20, L&T मेक की आपूर्ति	2 नग	7,882.00
9	कैपेसिटर कॉन्टेक्टर MOC25, L&T मेक की आपूर्ति	5 नग	21,595.00
10	100A, 3 पोल MCCB, L&T मेक की आपूर्ति	8 नग	16,520.00
11	32A, 3 पोल MCB, L&T मेक की आपूर्ति	4 नग	3,754.00
12	वोल्टमीटर एवं एम्पीयर मीटर सेट, L&T मेक की आपूर्ति	1 सेट	10,000.00
13	CT कॉइल, ब्रांडेड कंपनी की आपूर्ति	3 नग	3,000.00
14	हेवी-ड्यूटी राउंड टाइप कैपेसिटर, L&T मेक की आपूर्ति	202 KVAR	50,500.00
15	3.5C × 185 वर्ग मिमी एल्युमिनियम आर्मर्ड केबल, Polycab	10 मीटर	14,750.00
16	6C × 2.5 वर्ग मिमी कॉपर आर्मर्ड केबल, Polycab	10 मीटर	4,320.00
17	185 वर्ग मिमी कॉपर/एल्युमिनियम लम्स, Polycab	8 नग	1,000.00
18	400A एल्युमिनियम बसबार, L&T मेक की आपूर्ति	आवश्यकतानुसार	40,000.00
19	16 SWG CRCA पाउडर कोटेड पैनल की आपूर्ति	आवश्यकतानुसार	60,000.00
20	उपर्युक्त सभी सामग्री के परिवहन शुल्क	L.S.	3,000.00
21	उपर्युक्त सभी सामग्री की असेंबली, वर्टिकल स्टैंड टाइप पर फर्श पर फिक्सिंग, आवश्यक सिविल कार्य, परीक्षण एवं कमीशनिंग आदि के शुल्क	L.S.	8,000.00
	कुल		₹3,09,055.00
	GST @ 18%		₹55,629.90

	राउंड ऑफ		+₹0.10
	कुल योग (Grand Total)		₹3,64,685.00

शब्दों में: रुपये तीन लाख चौंसठ हजार छह सौ पचासी मात्र।

उपर्युक्त दरों में सभी प्रकार की श्रम लागत, सामग्री, उपकरण, परिवहन, लोडिंग, अनलोडिंग एवं उठाने (Lifting) आदि के सभी खर्च सम्मिलित हैं।

उपर्युक्त कार्यों की मात्रा एवं संख्या आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है।

मैं/हम कुल मूल्य के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करता/करते हैं। मेरी/हमारी दरें निर्धारित दर से _____% (प्रतिशत) अधिक हैं।	
अथवा	
मैं/हम कुल मूल्य के लिए अपनी निविदा प्रस्तुत करता/करते हैं। मेरी/हमारी दरें निर्धारित दर से _____% (प्रतिशत) कम हैं।	

सभी कर, अर्थात् GST, ठेकेदार/फर्म द्वारा वहन किया जाएगा।

हम निविदा संख्या _____ में उल्लिखित सभी नियम एवं शर्तों से सहमत हैं। यह प्रमाणित किया जाता है कि हमारे द्वारा उद्धृत मूल्य उचित है तथा इसी प्रकार के कार्य के लिए अन्य कार्यों में सामान्यतः वसूल किए जाने वाले मूल्य से अधिक नहीं है।

नाम: _____

पदनाम: _____

फर्म/कंपनी का नाम: _____

पूरा पता: _____

स्थान: _____

दिनांक: _____

रबर स्टाम्प: _____